खण्ड-209, अंक-3
मंगलवार, 27 माघ, शक संवत् 1881
(16 फरवरी, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 209 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १६ फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५४

अक्षयवर सिंह, श्री
अजोज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अल० जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्र
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भण्डारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री

बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्म दत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अघमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री

सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १६ फरवरी, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

निम्न-आय वर्ग गृह-निर्माण योजनार्थ केन्द्र से प्राप्त कथित धन

**१---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कम आय वालों की गृह निर्माण योजना हेतु केंद्रीय सरकार से प्राप्त ८,००,००० रु० पर ऋण वितरण संबंधी प्रतिबन्ध लगाने का क्या कारण है और वे प्रतिबन्ध क्या हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---निम्न-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना हेतु केंद्रीय सरकार से इस वित्तीय वर्ष में ८,००,००० रु० की कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है इसलिये उस पर वितरण संबंधी प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न नहीं उठता है।

**२---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त धन में से अब तक कितना वितरित किया जा चुका है और कितना-कितना, कहां-कहां जमा पड़ा हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---प्रश्न नहीं उठता।

**३---श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कोई ऐसी व्यवस्था अविलम्ब करने जा रही है ताकि यह वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व उपरोक्त धन का शेष भी काम आ सके और वित्तीय वर्ष समाप्त होने के फलस्वरूप यह धन बेकार न पड़ा रह जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---प्रश्न नहीं उठता।

इण्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ से संबंधित विज्ञप्ति

**४---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विज्ञप्ति संख्या ए-(१)-५३७५/१५---१६९२-५८, इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३५, १९५८) की धारा ८ की उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके गवर्नर महोदय द्वारा इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ (यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१) की धारा १६-ए, १६-बी, १६-सी, १६-ई, १६-एफ और १६-जी के अन्तर्गत विषयों के संबंध में बनाये गये विनियम के अध्याय १, २ एवं ३ प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं पर लागू कर दिये गये हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)---जी हां। इस प्रसंग में माननीय सदस्य कृपया इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ में संक्रमणकालीन उपबन्ध संख्या ८(२) का भी अवलोकन कर लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह विज्ञप्ति कब प्रकाशित की गयी है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---५ दिसम्बर को।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश में कितनी शिक्षा संस्थाओं ने इस प्रशासन योजना को स्वीकार कर लिया है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---इसके अनुसार ६ महीने की अवधि उनको दी गयी है उसके बाद ही बतलाया जा सकता है कि कितनों ने स्वीकार की है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह आदर्श व्यवस्था योजना जिस दिन से शिक्षा संस्थाओं को मिली है उस दिन से ६ महीने के बाद यह लागू होगी अथवा गजट में जिस दिन प्रकाशित हुई है उस दिन से ६ महीने के बाद लागू होगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---जिस दिन से प्रकाशित हुई है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---यह ५ दिसम्बर को प्रकाशित हुई और यहां टेबिल पर ३, ४ दिन हुये रखी गयी है। तो इसमें जो संशोधन आयेंगे वे प्रकाशित होने के दिन से लागू होंगे अथवा जिस दिन संशोधन होगा उस दिन से ?

श्री अध्यक्ष---यह तो अधिनियम में दिया हुआ है कि वे नियम तत्काल लागू हो जायेंगे और जब उनमें संशोधन होगा यहां सदन में, तब वे संशोधित नियम उसके बाद से लागू होंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो संस्थायें मान्यता प्राप्ति के लिये प्रार्थना-पत्र देंगी माध्यमिक परिषद् को, या जो मान्यता प्राप्त संस्थायें हैं, सब में यह योजना लागू होगी या जो मान्यता प्राप्त संस्थायें हैं उन्हीं में यह लागू होगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---जिनको मान्यता प्राप्त है उनमें तो लागू हो गयी और जिन्हें मान्यता प्राप्त करनी है उनके बारे में बाद में होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---जो कानून लागू कर दिया गया है, जिसकी मियाद ६ महीने की बतलायी गयी वह किस तारीख को लागू किया गया था और ६ महीने की मियाद किस तारीख को पूरी होती है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---इसका उत्तर तो मैंने अभी दे दिया।

रामनगर में महिला अस्पताल खोलने की प्रार्थना

**५---श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल (जिला गोंडा)---क्या सरकार रामनगर, जिला बाराबंकी में महिला अस्पताल खोलने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कब तक खुलेगा ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---जी नहीं।

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल---क्या सरकार को ज्ञात है कि १८ मील की दूरी तक चारों ओर कोई महिला अस्पताल न होने से हमारे क्षेत्र की जनता को घोर कष्ट का सामना करना पड़ता है जब कि रामनगर टाउन एरिया की आबादी १०,००० के लगभग है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके अभाव से कुछ न कुछ तकलीफ तो होती होगी।

श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी तृतीय पंचवर्षीय योजना में रामनगर में महिला अस्पताल खोलने पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--डिस्ट्रिक्ट ऐडवाइजरी कमेटी ने यह सलाह दी है कि पहले फतेहपुर तहसील को कंसीडर कर लिया जाय और उसके बाद रामनगर को सोचिये।

श्री रामायणराय---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुरुषों की अपेक्षा जब महिलाओं को अधिक रोग होता है तो महिला अस्पताल खोलने में उनको संकोच क्या है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आपकी सलाह है।

तारांकित प्रश्न

[द्वितीय सत्र (१९५९) के चौथे मंगलवार के लिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत]

कुमायूं फारेस्ट फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट

*१--श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं "फारेस्ट फैक्ट फाइंडिंग" कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार के पास प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं और सरकार उनको कब तक कार्यान्वित करने जा रही है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री महमूद अली खां)---समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो २१३ फुलस्केप टाइप पृष्ठों की है और जिसमें बहुत सी सिफारिशें हैं। यह रिपोर्ट विचाराधीन है इसलिये इस समय यह संभव नहीं है कि सिफारिशों के विवरण दिये जा सकें या यह बतलाया जा सके कि उनको कब तक कार्यान्वित किया जा सकेगा।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस रिपोर्ट में जो सिफारिश की गयी है उसका एक सब से प्रमुख निचोड़ यह है कि कमेटी ने एक मत से यह सिफारिश की है कि जंगलात के उच्च विभागीय अधिकारी जब नये नियम बनाते हैं तो वहां के स्थानीय निकायों के लोगों की राय नहीं लेते हैं ? यदि हां, तो भविष्य में ऐसे आदेश जारी करेंगे कि नियम बनाते समय उनकी राय भी ले लिया करें ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, जब रिपोर्ट पर विचार होगा तो उस वक्त जितने इस किस्म के सुझाव होंगे उन सब पर विचार किया जायगा और वैसे ही आर्डर्स ईश्यू किये जायेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह रिपोर्ट गोपनीय है ? अगर नहीं है, तो क्या सदन के सदस्यों के लिये इस रिपोर्ट को उपलब्ध कराया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर---इसको छपवाया जा रहा है, लेकिन बीच में बजट को छापने का काम था, इसलिये उसके छपने में विलम्ब हो गया। जब वह छप जायगी तो यहां उसकी इत्तिला लोगों को दी जायगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत आयी है या सरकार को ज्ञात है कि यह कमेटी जहां-जहां मोटर सड़क जाती है केवल वहीं गयी, जहां जंगल थे वहां नहीं गयी, जबकि श्री प्रतापसिंह ने खुद कहा कि जंगलों के नजदीक जाना चाहिये, क्या यह बात सही है ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे पास तो ऐसी शिकायत नहीं आयी।

श्री प्रतापसिंह—क्या इस बात को देखते हुए कि कमेटी की सिफारिशों का सम्बन्ध जनता को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं से है, इसको विचार में रखते हुए सरकार कबतक कमेटी को रिपोर्ट पर फाइनल डिसीशन लेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जितनी जल्दी से जल्दी मुमकिन हो सकेगा हम फैसला करेंगे।

श्री प्रतापसिंह—क्या वन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि साढ़े बाईस लाख जनता ने जब आवाज बुलन्द की तो उसके बाद कमेटी स्थापित की और अभी तक उसकी सिफारिशों पर विचार नहीं हुआ, तो इंटेरिम पीरियड में जो बन्दोबस्त हो रहा है क्या उसको रोकने के आर्डर्स इश्यू करेंगे ताकि बीच में कोई नयी प्राब्लम खड़ी न हो जाय ?

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि जब तक बन्दोबस्त शुरू नहीं किया गया था, सारी शिकायत यह थी कि क्यों जल्दी से जल्दी नहीं कराया जाता है। जब शुरू करा दिया जाता है तो बन्द कर दिया जाय। बन्दोबस्त तो अपनी जगह पर है और जहां तक इसकी सिफारिशात हैं उनपर अलग से गौर किया जायगा। जिस वक्त फाइनल आर्डर गवर्नमेन्ट देगी उस वक्त हम उसका लिहाज कर लेंगे।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच करायेंगे कि जिस रूप से सरकार ने आर्डर्स ईश्यू किये हैं उनके अनुसार बन्दोबस्त नहीं किया जा रहा है, जिससे जनता को परेशानी है ?

श्री सैयद अली जहीर—जो आदेश जारी हुए हैं उनमें मुझे तो कोई खराबी मालूम नहीं होती है और न किसी खराबी को इत्तिला दी है माननीय सदस्य ने। अगर उसमें कोई खराबी है या गलती है तो उसको ठीक किया जायगा।

[१६ फरवरी, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—२—**श्री मुनीन्द्रपाल सिंह** (जिला पीलीभीत)—[१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*३—**श्री मुनीन्द्रपाल सिंह**—[२३ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

बद्रीनाथ के निकट बिजली घर की आवश्यकता

*४—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बद्रीनाथ के पास ऋषि गंगा के चश्मे के विषय में १९५० में बिजली पैदा करने के लिये सर्वे हुई थी ? यदि हां, तो उसको कार्यान्वित अब तक क्यों नहीं किया गया ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)—इस प्रकार का कोई सर्वे सन् १९५० में नहीं हुआ था ।

*५—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सरकार बद्रीनाथ के आस-पास में एक पावर हाउस का प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—तपोवन गुलाबकोटी के आस-पास धोली गंगा पर एक जल विद्युत योजना विचाराधीन है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में सरकार इस प्रकार का कोई सर्वे कराने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---कोई इस प्रकार का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है। अगर माननीय सदस्य इस प्रकार का सर्वे कराने की कोई बात बतायेंगे तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह तपोदन वाली स्कीम कब से शुरू हो जायेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---यह अभी अन्डर एग्जामिनेशन है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । यह ठीक है कि इसको तीसरी योजना में लाने की कोशिश करेंगे।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी, जो वहां पर नदियां हैं उनका वेग तेज है, इस बात को तथा वहां पर गृह उद्योग-धन्धों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---मैंने पहले ही बता दिया कि यह सब बातें जो कही गयीं, उन सब पर विचार हो रहा है और इस योजना को कार्यान्वित करना अगर फीजिबिल होगा तो तीसरी योजना में उसे अवश्य लिया जायेगा।

मैनपुरी तथा एटा जिलों में कुछ मार्गों को पक्का करने की प्रार्थना

*६---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के विधायकों ने २६-३-५५ को निर्माण मंत्री को ऐसी दरख्वास्त दी थी कि मैनपुरी जिले में घिरौर से अलूपुराघाट २२ मील कच्चा रास्ता और एटा जिले में अलीगंज से अलूपुराघाट ६ मील कच्चा रास्ता कुल मिलाकर ३१ मील कच्ची सड़क पक्की करदी जाये जिससे चार जिले फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, आगरा, सड़क द्वारा मिल जाते हैं और व्यापारियों को बहुत बड़ी सुविधा हो जाय ? उस दरख्वास्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री (श्री महावीरसिंह)---प्रथम भाग जी हां।

द्वितीय भाग---द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कथित सड़क के निर्माण के लिये कोई प्राविधान नहीं किया जा सका।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक करीब ५ साल हो गये और विधायकों को इस बात की कोई सूचना नहीं दी गयी कि सड़क बन सकेगी या नहीं, इसके कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री महावीरसिंह---विधायकों को यह मालूम हो गया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका तो क्या तीसरी योजना में उसके पहले वर्ष में ही इसको कार्यान्वित करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री महावीरसिंह---इसी योजना के सम्बन्ध में सलाह अंतरिम जिला परिषद् से मांगी गयी है। वहां से उनकी सलाह आ जाने के बाद ही इस पर विचार किया जायेगा।

*७---**श्री लक्ष्मण राव कदम** (जिला झांसी)---[हटा दिया गया।]

ऊधर बांध की मरम्मत पर व्यय

*८---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले के ऊधर बांध की मरम्मत का कार्य किस तारीख से शुरू हुआ किस तारीख को समाप्त हो गया और इस कार्य में कुल कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री धर्मसिंह---इस बांध पर मरम्मत का कार्य ११-६-१९५९ को प्रारम्भ किया गया था और १५-७-१९५९ को समाप्त हो गया। इस कार्य पर ४२,७७९ ६० व्यय हुआ है।

वन विभाग सम्बन्धी साहित्य प्रकाशनार्थ मशीनें खरीदने का विचार

*९---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या वित्त मंत्री वन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन, कार्य योजनाओं, बुलेटिन, परिपत्र सम्मेलनों और बैठकों आदि की कार्यवाहियों को शीघ्र छपवाने हेतु वित्तीय वर्ष १९५९-६० में मुद्रण मशीनों को खरीदने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

श्री महमूद अली खां---जी हां।

*१०---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---यदि हां, तो उक्त मुद्रण मशीनों की लागत क्या होगी तथा उनके लिये कितने स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री महमूद अली खां---

	रु०
(१) डुप्लीकेटर	१३,७६५
(२) वेरीटाइपर मशीन	१५,७२५

वित्तीय वर्ष १९५९-६० में केवल वेरीटाइपर मशीन ही खरीदी जायेगी। इन मशीनों के लिये कोई भी अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दोनों मशीनों के लिये बजट में कितने रुपये की धनराशि स्वीकृति हेतु रखी गयी थी ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरा जहां तक खयाल है वेरीटाइपर मशीन के लिये जो सप्लीमेन्टरी बजट पास हो गया है उसमें रखी गयी थी और जो डुप्लीकेटर हैं उसके लिये इस वर्ष के बजट में प्राविजन है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इन दोनों मशीनों के लिये केवल २२,७०० रुपये की धनराशि प्रस्तुत की गयी थी जब कि इसकी कीमत करीब २९,७०० रुपये पाई गयी है ? इन दोनों में इतने फर्क का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर---मैं इसकी तफसील तो नहीं बता सकता । बहरहाल यह मुमकिन है कि उसकी अन्दाजन कीमत रखी गई हो, लेकिन उसकी कीमत दरियाफ्त की गई हो तो ज्यादा रही हो।

गोरखपुर में राप्ती के पुल में ली गई जमीन का मुआवजा

*११---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या यह सत्य है कि गोरखपुर शहर के मुहल्ला हांसूपुर चउरा अव्वल के निवासियों की जो जमीन राप्ती पुल निर्माण के सम्बन्ध में हस्तगत की गई है उसका मुआविजा शीघ्र दे दिया जाय इस आशय का आदेश गत १८-९-५९ को जिलाधीश, गोरखपुर के नाम सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश की प्रतिलिपि तथा उस पर जो कार्यवाही सरकारी आदेश की प्रतिलिपि तथा उस पर जो कार्यवाही सरकारी आदेश के अनुसार जिलाधीश गोरखपुर द्वारा की गई हो उसे सदन के सम्मुख रखेंगी ?

श्री महावीर सिंह--प्रथम भाग--जी हां।

द्वितीय भाग--सरकारी आदेश की प्रतिलिपि सदन के समक्ष प्रस्तुत है।

तृतीय भाग--जिलाधीश, गोरखपुर, ने ग्राम चकरा अव्वल की भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में लगभग सारी कार्यवाही समाप्त कर ली है व भूमि के अस्थाई अर्जन के निमित्त प्रतिकर के वितरण के लिये राजस्व परिषद् की स्वीकृति मांगी है।

उक्त ग्राम की भूमि के स्थाई अर्जन के हेतु काश्तकारों की आपत्तियां सुनी जा चुकी हैं व ड्राफ्ट अवार्ड राजस्व परिषद् को भेजा जायेगा।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४६ पर।)

श्री मदन पांडेय--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान, उत्तर में जो लेटर मुझे दिया गया है उसकी कुछ लाइनों की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह एक पत्र है जो सहायक सचिव की ओर से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजा गया है उसकी छठी लाइन से आगे मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

".....has informed Government that the possession of the trees and land was taken over by the Sarvajanik Nirman Vibhag after obtaining the consent of the tenants in writing while in your letter under reference it has been stated that the land and trees had been taken over by the Sarvajanik Nirman Vibhag without the consent of the petitioners."

अध्यक्ष महोदय, एक तो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का व्यू है उसमें और जो यहां से सहायक सचिव ने वहां के निर्माण विभाग के अधिकारियों को लेटर भेजा जिसकी बदौलत उन्होंने सूचना भेजी है, दोनों में विरोधाभास है। दूसरा पैरा इस प्रकार से है :

"It has also been stated in your letter that a proper account has not been kept to see the number of trees cut. The Executive Engineer in his letter under reference has intimated that the trees had been cut after they had been counted by the Overseer in the presence of the tenants."

तो इन दोनों विरोधाभासों की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जिस ओवरसियर का जिक्र इस पत्र में किया गया है, जिनके द्वारा पेड़ों के काटने के हिसाब की सूचना दी गई थी, यह वही ओवरसियर हैं जिनके विरुद्ध वहां के अधिकारियों ने घूस लेने की शिकायत की थी और उस पत्र को मैंने स्वयं माननीय मंत्री जी को दिया था? यदि हां, तो इस विरोधाभास से स्पष्ट है कि जो जांच की गई है उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी है, इसलिये क्या माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को ही सूचना मानकर और निवेदन मानकर फिर से किसी उच्चाधिकारी द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री महावीरसिंह--माननीय सदस्य अगर नोटिस देंगे तो ओवरसियर के बारे में पता लगा लिया जायगा कि यह वही ओवरसियर है या नहीं? जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है उसके लिये थोड़ी-बहुत जांच हो चुकी है।

श्री मदन पांडेय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पत्र के आधार पर भी और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सूचना है उसके बाद इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पेमेन्ट नहीं हुआ है, तो क्या सरकार शीघ्र पेमेन्ट कराने के लिये आदेश जारी करेगी?

श्री महावीर सिंह--जब आपने सवाल किया उसके बाद भी और उसके पहले भी बराबर याद-दिहानी की गई है और जल्दी हो रही है और बहुत शीघ्र ही यह काम खत्म हो जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सचिवालय से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो खत भेजा गया वह अंग्रेजी में क्यों भेजा गया, हिन्दी में क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री अध्यक्ष---यह पत्र सितम्बर, १९५९ का है और आप को जो सूचना मिली होगी कि सभी पत्र हिन्दी में जायंगे वह अभी मिली होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---अभी वित्त मंत्री जी का भाषण हुआ कि हिन्दी में विशेष प्रयत्न किया जायगा, उसको ध्यान में रखते हुए क्या भविष्य में इस प्रकार के पत्र हिन्दी ही में जाया करेंगे ?

श्री महावीरसिंह---वह प्रयत्न तो बराबर होता ही रहता है।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार के आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि बिना उनकी सहमति लिये हुए उनके सामने कटनेवाले पेड़ों का हिसाब रखा जाय ?

श्री महावीरसिंह---इस तरह के आर्डर्स तो हैं ही।

रिहन्द से बिजली लेने के लिए हिन्दुस्तान अल्मोनियम कारपोरेशन का इकरारनामा

*१२---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया उस इकरारनामें की शर्तों को सदन के सामने रखेगी जो गत २९ अक्तूबर को हिन्दुस्तान अल्म्यूनियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा राज्य सरकार के बीच मिर्जापुर जिले की रिहन्द योजना से उक्त कारपोरेशन द्वारा संचालित अल्म्यूनियम कारखाने को बिजली देने के सम्बन्ध में सम्पादित हुआ है ?

श्री धर्म सिंह---इकरारनामें की एक प्रति मेरे पास है और माननीय सदस्य उसको देख सकते हैं। इकरारनामें पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् जनता की जानकारी के लिये सरकार ने उसकी मुख्य शर्तों को एक प्रेस नोट द्वारा अखबारों में प्रकाशित किया था और उसकी एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४७ पर।)

श्री मदन पांडेय---१७५ रुपये पर किलोवाट की दर किस आधार पर कैलकुलेट की गई है और जनता को जो रेट होगा उसमें और इसमें कितना अन्तर होगा ?

श्री गिरधारी लाल---मुख्य मंत्री जी ने पहले एक बयान सदन में दिया था जिसमें सब बातें साफ कर दी गई थीं। बल्क रूप में अल्म्युनियम फैक्ट्री को रामैटिरियल के रूप में सब चीजें दी गई हैं। जनता का रेट बाद में सोचा जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जिस रेट पर इस फैक्ट्री को बिजली देगा है वह कास्ट आफ प्रोडक्शन से ज्यादा है या कम और कितना ?

श्री गिरधारीलाल---रेट ज्यादा है। मैं इस समय बिलकुल ठीक तो नहीं बता सकता लेकिन १६५ या १६६ रुपये फी किलोवाट के करीब बिजली की कास्ट पड़ती है।

श्री मदन पांडेय---मंत्री जी के बयान में १५० रुपये बताई गई थी और वह कास्ट आफ प्रोडक्शन के लगभग बराबर बताई गई थी। आज १६६ बताई गई है, तो इन दोनों में कौन-सी सही है ?

श्री गिरधारी लाल---दोनों ठीक हैं। १५० रुपये ९० परसेंट लोड फैक्टर पर थी और १७५ रुपये हन्ड्रेड परसेंट लोड फैक्टर पर है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---यह कास्ट आफ प्रोडक्शन से कितनी मात्रा में अधिक पड़ती है ?

श्री अध्यक्ष---कास्ट आफ प्रोडक्शन १६५ ई० और १७५ पर दी गई, तो १० ज्यादा हुई।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को मालूम है कि कृषि के लिये इस समय १७५ रुपये से अधिक दर पर बिजली दी जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल---यह ठीक है। यह बल्क रूप में दी जा रही है। अल्यू-मिनियम की फैक्ट्री हमारे सूबे में ही नहीं बल्कि हमारे देश में एक खास चीज है। इस कम्पनी को हम बिजली रिहन्द सब-स्टेशन पर ही दे रहे हैं लाइन के लासेज और रख-रखाव का खर्चा सब-कम्पनी पर ही पड़ेगा।

श्री रामायणराय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कारखाने को बिजली देने के बाद कितनी बिजली जनता के लिये बचेगी ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---ठीक फीगर्स तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतनी बिजली बचेगी जो जनता शायद १५,२० वर्ष तक खत्म नहीं कर सकेगी। जैसा माननीय सदस्यों ने पढ़ा या सुना होगा, वित्त मंत्री जी की स्पीच में, उस क्षेत्र में तीन पावर स्टेशन, सोहावल, गोरखपुर, और मऊ हैं, जिन्हें हम रिहन्द से मिला रहे हैं। यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट से तय हो गया है। पहली अप्रैल से काम शुरू हो जायगा। उसके बाद कम से कम २० किलोवाट तो यह मिलेगी और ४।। किलोवाट का एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन मिर्जापुर के कोल-फील्ड्स के पास खुलने वाला है। यह सब जनता के लिये बहुत ज्यादा है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---यह बिजली जनता को किस रेट पर देंगे ?

श्री गिरधारीलाल---यह हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सम्भव है कि वह रेट १७५ से ज्यादा का होगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सरकार को पता है कि वहां इस समय ३६८ रुपये पर बिजली दी जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल---रिटेल की दर तो ज्यादा होगी ही। अल्यूमिनियम फैक्ट्री को अपने सूबे में लाने के लिये हम उसे कन्सेशनल रेट भी दे सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो कास्ट निश्चित की गई है वह सेंट्रल सप्लाई ऐक्ट के प्रोफार्मा में मूल्य निर्धारण की व्यवस्था के अनुसार की गई है या किसी अन्य व्यवस्था के अनुसार ?

श्री गिरधारीलाल---कानून के मातहत ही यह सब कैलकुलेशन किया है।

***१३---श्री मदन पांडेय**---[हटा दिया गया।]

अजगैन-हसनगंज सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेने की सिफारिश

***१४---श्री भीखा लाल** (जिला उन्नाव)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव में स्थित अजगैन-हसनगंज-मोहान सड़क को अन्तरिम जला परिषद् ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने के लिये लिखा है ? यदि हुई ?

श्री महावीरसिंह--प्रथम भाग--जिलाधीश, उन्नाव ने अजगैन-हसनगंज सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ले लेने की सिफारिश की है ।

दूसरा भाग--अभी इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री भीखालाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश उन्नाव ने इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेने को कब लिखा था तथा इसमें अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

श्री महावीरसिंह--मार्च, ५९ को कमिश्नर, लखनऊ डिवीजन ने लिखा था और उसके साथ डिप्टी कमिश्नर उन्नाव के २३ फरवरी, १९५९ के पत्र की प्रतिलिप भी भेजी थी । इसके लिये आप बजट देख लें ।

कानपुर सूती मिलों पर बिजली कर का बकाया

*१५--**श्री भीखालाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर टैक्सटाइल मिलों के ऊपर अलग-अलग किन-किन वर्षों का कितना-कितना बिजली-कर बाकी है और उस बकाया को वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

श्री धर्म सिंह--यह सूचना संलग्न सूची में दी हुई है । जिलाधीश, कानपुर को आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं कि वह इन मिलों से बकाया बिजली-कर एक वर्ष के अन्दर किस्तों में वसूल कर लें ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४८ पर) ।

*१६--**श्री भीखालाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बकाया की वसूली के लिये किसी फार्म या पार्टी से कोई समझौता हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस समझौते की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं ।

श्री भीखालाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिलाधीश कानपुर को वसूलयाबी के आदेश कब दिये गये ?

श्री धर्मसिंह--समय-समय पर जाते ही रहते हैं । जहां तक इस आदेश का सम्बन्ध है २७ जनवरी, १९६० को दिया गया था ।

श्री भीखालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी वसूलयाबी के लिये जो तरीका सरकार ने मुकर्रर कर रखा है उसके अधीन ३ साल से अब तक वारंट गिरफ्तारी या कुर्की क्यों नहीं जारी किये गये ?

श्री धर्मसिंह--१ अप्रैल, १९५९ से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनने के बाद यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बकाया को इस प्रकार से वसूल कर सकता है या नहीं ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह १९६० में जो आदेश गये हैं उसके पहले बकाया की वसूली के लिये सरकार ने क्या आवश्यक कार्य किये हैं ?

श्री धर्मसिंह--जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास ये सब मसले आते हैं । वे आदेश देते हैं और पैसा वसूल होता ही रहता है और हुआ भी है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बतायेगी कि इन आदेशों के बाद वहां के जिलाधीश ने क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह---जी, अभी तो पत्र ही भेजा गया है । उनको पूरे तौर पर हिदायत दे दी गयी है कि बिना हमें बताये हुए वे कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---ऐसी कानपुर की कौन-कौन टैक्सटाइल मिल्स हैं जिनके पास यह रुपया बकाया है ? इन पर कितना रुपया बकाया है ?

श्री धर्मसिंह---फिलहाल हमारे पास जो रिपोर्ट आयी है उसके आधार पर निम्नलिखित ६ मिलों पर बकाया है :---

१---लक्ष्मीरतन काटन मिल्स, कानपुर, २---म्योर मिल्स, कानपुर, ३---न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर, ४---स्वेदेशी काटन मिल्स, कानपुर, ५---अथर्टन वेस्ट मिल्स, कानपुर, ६---जुग्गीलाल कमलापति मिल्स, कानपुर ।

जहां तक रुपये का सम्बन्ध है वह ५,०६, ८०४.३१ रुपये केवल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के सम्बन्ध में बकाया है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो रुपया बकाया है वह किस-किस सन् का है अथवा कितने दिनों का है ?

श्री धर्मसिंह---डिटेल में तो मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं, लेकिन ५७-५८, ५८-५९ और ५९-६० का है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बतायेगी कि सरकार ने जो सन् ६० में जिलाधीश को आदेश भेजे हैं वह इस प्रकार भेजे हैं कि मिल की जो सिक्योरिटी जमा है पहले उसको जब्त कर लिया जाय और जो बाकी बचे उसको अलग से वसूल किया जाय ?

श्री धर्मसिंह---आदेश यह भेजे हैं कि १२ महीने के अन्दर इन्स्टालमेंट का रुपया वसूल न हो तो जल्द से जल्द रुपया वसूल करने की जिलाधीश कोशिश करें और अगर मिल को अटैच करने की बात भी हो तो उसकी भी कार्यवाही करें । यानी जितनी जल्दी से जल्दी रुपया वसूल हो सके वैसी कार्यवाही किये जाने के आदेश भेजे गये हैं ?

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि १०-५ रुपया जो तकावी की बकाया होती है गरीबों पर, उसके वसूल करने में सरकार जो नीति बरतती है, वही नीति इसमें क्यों नहीं बरती जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल---अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि बिजली कंपनी ने भी उस रुपये को वसूल करने की कोई कोशिश की या नहीं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री धर्मसिंह---बिजली कम्पनी ने उनको नोटिस दिया और कोशिश की कि उपभोक्ता उसके पैसे को अदा करें ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उसने पहले ऐसा कानून बना रखा है कि बिजली का कर यदि बकाया हो तो उसे मालगुजारी की तरह से वसूल किया जाय और जब यह ऐक्ट इस सदन में बिल के रूप में पेश था तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसको आप पास कर दें तो आप देखेंगे कि कोई बकाया नहीं रह जायगा ? उस ऐक्ट के बनने के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की और उसको मालगुजारी की तरह से वसूल क्यों नहीं किया गया ह?

श्री धर्मसिंह---जैसा कि मैंने निवेदन किया पहली अप्रैल से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनने के बाद यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उस एरियर्स को एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल कर सकता है या नहीं ।

श्री राजनारायण---जो कानून है कर वसूल करने का, उसमें यह निश्चित व्यवस्था है कि उसे मालगुजारी की तरह से वसूल किया जाय, तो जो मालगुजारी वसूल करने वाली अथारिटीज हैं वे बिजली के बकाये को भी वसूल कर सकती हैं या नहीं ?

श्री धर्मसिंह---मैंने कहा कि एक आदेश जिलाधीश को भेज दिया गया और उसी के अनुसार वे कार्य कर रहे हैं ।

नहरों में खांदियों का बढ़ना

*१७---**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५-५६ व १९५६-५७ व १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में नवम्बर तक उत्तर प्रदेश की नहरों में कितनी खांदियां हुईं ?

श्री धर्मसिंह---वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २४९ पर) ।

*१८---**श्री सजीवनलाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त खांदियों के सम्बन्ध में १९५९ में नवम्बर तक कितने मुकदमें चल रहे हैं और किसानों पर कितना तावान लगाया गया है ?

श्री धर्मसिंह---७०७ मुकदमें तथा तावान की धनराशि ४,३८,८२७ रुपया है ।

श्री सजीवन लाल---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५५-५६ में १,७९८ खांदियां हुई और सन् १९५९ में वही बढ़ कर ४,५०९ हो गयीं, तो उनको रोकने के लिये सरकार कौन-सा कदम उठा रही है ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक १९५५-५६ का सम्बन्ध है, केवल एक वर्ष के आंकड़े हैं और १९५८-५९ के आंकड़े नवम्बर तक के हैं जो १ वर्ष ९ महीने के करीब होते हैं । जहां तक हो सकता है विभाग की ओर से इसको रोकने के लिये प्रयत्न किया जाता है, मुकदमे चलाये जाते हैं, लोगों को समझाया जाता है तथा और भी कार्यवाहियां की जाती हैं जिससे इस तरह की चोजें रुक सकें ।

श्री सजीवन लाल---मैं पूछ रहा हूं कि माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसको रोकने के लिये सरकार भविष्य में कौन से कदम उठा रही है ?

श्री धर्मसिंह---जैसा, मैंने कहा लोगों को समझाया जाता है तथा और कार्यवाही की जाती है । इसके सिवा और कोई ऐसी बात तो है नहीं, जिससे यह रोका जा सके ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि खांदियों की संख्या में जो प्रतिवर्ष बराबर वृद्धि होती रही है उसका कारण क्या है ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक इसमें बढ़ोत्तरी की बात है लोगों में सेंस आये, इस बात की रिस्पांसिबिलिटी आये और लोग महसूस करें, तब यह चीज कम हो सकती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के आवेदन-पत्र उनके पास आये हैं कि इन खांदियों के करने में वहां के नहर विभाग के निम्न कर्मचारियों का भी हाथ रहा है ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसी कितनी खांदियां हैं इस समय जिनके बारे में वहां के लोगों ने लिखा है और सरकार कहती है कि

उनको किसानों ने काटा है, लेकिन वस्तुतः बात ऐसी है कि नहर की पटरियां कमजोर होने की वजह से फट गयीं और वे खांदियों में शामिल हो गयी हैं ?

श्री धर्मसिंह---इस प्रकार के आंकड़े इस समय नहीं हैं, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---इन बढ़ती हुई खांदियों की संख्या को देखते हुए सरकार कोई ऐसा आदेश ग्राम सभाओं के प्रधानों के पास भेजने की कृपा करेगी कि वे इस पर विचार करें कि वे इस बात को देख रेख करें जिससे उनके क्षेत्र के अन्दर कोई खांदी भविष्य में न कटने पावे ?

श्री धर्मसिंह---इस पर विचार किया जायगा।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो खांदियां बढ़ रही हैं इसके लिये क्या सरकार प्रदेशीय स्तर पर कोई उपाय सोच रही है ?

श्री गिरधारीलाल---खांदियों के बढ़ने का प्रश्न दो तीन बार उठ चुका है और यह ठीक है कि उन की तादाद बढ़ रही है। इस पर हम विचार करेंगे और देखेंगे कि कोई तरीका निकले जिससे उनकी संख्या कम हो और जनता को कम से कम ब्रीवेज करने का मौका मिले।

श्री दाताराम चौधरी (जिला सहारनपुर)---क्या जिस सरकारी कर्मचारी के हल्के में ज्यादा खांदियां होती हैं उससे भी पूछा जाता है कि क्यों यह गड़बड़ी हो रही है ?

श्री धर्म सिंह---उनसे पूछने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन इन तमाम बातों पर विचार किया जायगा कि वह क्यों अधिक हो रही हैं और उन्हें रोकने का क्या उपाय हो सकता है।

गंडक नहर योजना पर अनुमानित व्यय

*१९---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गंडक नहर योजना में प्रदेश के राजस्व का कितना धन लगेगा ?

श्री धर्मसिंह---पश्चिमी गंडक नहर योजना में उत्तर प्रदेश सरकार का अनुमानित व्यय १०९९·८३ लाख रुपया होगा।

*२०---**श्री उग्रसेन**---गोरखपुर तथा देवरिया जनपद में अकाल निवारण हेतु गंडक नहर योजना में कौन-कौन से कार्य किये जावेंगे ?

श्री धर्मसिंह---योजना के अन्तर्गत गोरखपुर तथा देवरिया जनपदों में ६९ मील मुख्य नहर तथा १,२५० मील सहायक जल वितरण शाखायें बनाने का प्रस्ताव है।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गंडक नहर योजना से गोरखपुर व देवरिया में कितने हजार एकड़ की सिंचाई होगी ?

श्री धर्मसिंह---धान की ३,७०,०८४ एकड़, रबी की ७४,०९७ एकड़, गन्ने की १,४५, १९४ एकड़ होगी, इस तरह से कुल सिंचाई ५,९२,७७५ एकड़ की सिंचाई होगी।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गंडक नहर योजना का काम कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री धर्मसिंह---अभी यह भारत सरकार को भेजी गई है और वहां वह एग्जामिन हो रही है, यू० पी० और बिहार सरकार द्वारा विचार हो चुका है, जैसे ही वहां से एप्रूवल आ जायगा, कार्य आरम्भ हो जायगा।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि देवरिया और गोरखपुर जिलों में अलग अलग मुख्य शाखा कितनी होंगी और कितनी डिस्ट्रिब्यूटरीज निकाली जायेंगी ?

श्री धर्मसिंह---मुख्य शाखा कितनी होगी यह तो प्रश्न २० के उत्तर में बता दिया है लेकिन अलग अलग दोनों जिलों में कितनी होगी फिलहाल वह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पारसाल की बाढ़ और कटाव के कारण योजना के मार्ग में कोई परिवर्तन हो रहा है या वह उसी मूल योजना के अनुसार चलेगी ?

श्री धर्मसिंह---जैसा मैंने निवेदन किया वह फिलहाल भारत सरकार को भेजी गई है और वहां से आने के बाद अगर दिक्कतें आईं और तब्दीली की बात होगी तो उस पर भी विचार कर लिया जायगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि गंडक नहर योजना पर कितने रुपये खर्च होने का अनुमान है और इस योजना के सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार ने अपने क्या सुझाव प्रस्तुत किये हैं ?

श्री धर्मसिंह---यू० पी० तथा बिहार की सम्मिलित लागत २,९९२.७० लाख रुपये की है और इस को लागू करने के पहले कुछ बेटरमेंट लेवी लगाने का भी विचार किया जायगा और जो भारत सरकार से पैसा मिलेगा वह भी लगाया जायगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव---इस योजना के सम्बन्ध मे जो बेटरमेंट लेवी लगाने का विचार हो रहा है उसको लगाने से पहले क्या सरकार इस सम्बन्ध में विधान सभा के सदस्यों की भी राय लेगी ?

श्री गिरधारीलाल---यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि योजना पर कितना व्यय होगा और उस को कैसे वसूल किया जायगा । इसके लिये अभी तक मुख्तलिफ सुझाव हैं, बेटरमेंट लेवी का भी है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस तरह से होगा । यह भी हो सकता है कि सीधे काश्तकारों से सिंचाई दर के रूप में ही वसूल किया जाय परन्तु अभी अन्तिम रूप से कुछ इस बारे में नहीं कहा जा सकता ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने हजार एकड़ जमीन इस नहर को बनाने के लिये ली जायगी ?

श्री धर्मसिंह---नोटिस की आवश्यकता है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में परिगणित और पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

*२१---**श्री उग्रसेन**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के पी० डब्लू० डी० विभाग में नीचे लिखे पद पर कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और उनमें से कितने क्रमशः परिगणित और पिछड़ी जाति के हैं:

(क) चपरासी,
(ख) चीफ इंजीनियर, सुपरिन्टेन्डिन्ग इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तरों के जूनियर व सीनियर क्लर्क,
(ग) मेट,
(घ) मैकेनिक,
(ट) पी० ए०,
(ठ) एकाउन्टेन्ट,
(ड) टाइपिस्ट,

श्री महावीर सिंह---सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २५० पर)

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि परिगणित जाति की संख्या चपरासियों में और चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाबू लोगों में इतनी कम क्यों है ?

श्री महावीरसिंह---जहां तक चपरासियों का सवाल है, जैसे दरख्वास्तें आती हैं, लिये जाते हैं। जहां तक औरों का सवाल है, रोजगार के कार्यालय में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते, कहीं-कहीं नियुक्तियों के लिये ली गई परीक्षाओं में औरों से योग्यता में पीछे पाये गये तथा अधिकांश कर्मचारी दूसरे विभाग में अच्छा पद पाने पर इस विभाग को छोड़ कर भी चले गये।

श्री उग्रसेन---बड़े बड़े पदों के बारे में तो मंत्री जी बताते हैं कि अभ्यर्थी योग्य नहीं मिले और परीक्षा में सफल नहीं हो पाते, लेकिन जो छोटे-छोटे पद हैं उनमें उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाय इसकी कोई व्यवस्था मंत्री जी इस विभाग में करेंगे ?

श्री महावीरसिंह---कोशिश तो हो ही रही है ।

श्री प्रतापसिंह---इस बात को ध्यान में रखते हुये कि परिगणित जाति के योग्य लोगों की संख्या कम नहीं है बल्कि हमारे रोजगार के दफ्तर से उन्हीं लोगों के नाम भेजे जाते हैं जिनके पक्ष में वे होते हैं, क्या मंत्री जी इस बात की छानबीन करने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरसिंह---एक कमेटी बैठाई हुई है जो इस पर विचार कर रही है। उसमें सब चीजों को देखा जायगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव---इस विभाग में इस बात को ध्यान रखते हुये कि परिगणित जाति और पिछड़ी हुई जातियों के लिये जो प्रतिशत निर्धारित है उसके मुताबिक कर्मचारियों की संख्या नहीं है, सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो इनके लिये चुनाव बोर्ड बनाये गये हैं उनमें भी इन जातियों का प्रतिनिधित्व हो सके ?

श्री गिरधारीलाल---इसमें दो-तीन प्रश्न हैं। इस प्रश्न का ताल्लुक इसी विभाग से नहीं है बल्कि पूरी गवर्नमेन्ट से है और यह पूरी तौर से गवर्नमेन्ट के ध्यान में है कि इस प्रकार कि जितनी भी नौकरियां हैं क्लरिकल, मिनिस्टीरियल या और नीचे की, उनके अन्दर निर्धारित प्रतिशत पूरा हो। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन श्री राधाकृष्ण अग्रवाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई गई है और वह इस प्रश्न को देख रही है। वह जो भी कुछ सिफारिश करेगी उसके मुताबिक काम करने की कोशिश की जायगी ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फर नगर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन चपरासी न लिये जाने का यह भी एक कारण है कि अधिकारी लोग चपरासियों से अपने घर का काम अधिकतर लेते हैं ?

श्री महावीरसिंह---ऐसी तो कोई शिकायत नहीं है । आपके पास हो तो दे दें ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जब तक इस विभाग में चपरासियों तथा अन्य जितने भी निम्न पद हैं उनमें परिगणित जाति का प्रतिशत पूरा न हो जाय तब तक दूसरे लोग इनमें भर्ती न किये जायें ?

श्री गिरधारी लाल---यह तो एक जनरल पालिसी का सवाल है, सिर्फ इसी विभाग का नहीं है। कमेटी के जरिये से उस पर सोचा जा रहा है, उसमें इसको भी देखा जायगा ।

गंगा के काजीटोला घाट पैण्टूनब्रिज पर उतराई लेने की शिकायत

*२२---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार के पास गाजीपुर जनता की ओर से कोई शिकायत या ऐसा प्रार्थना-पत्र आया है कि जिसमें यह निवेदन किया गया है कि गाजीपुर

जिले के काजीटोला घाट पर गंगाजी का जो वेन्टून ब्रिज है उस पर से आने जाने वाले पैदल यात्रियों से उतराई न ली जाय ?

श्री महावीरसिंह---जी हां ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---सरकार बतायेगी कि उसके पास जो यह शिकायत आयी है उसको दूर करने के लिये उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री महावीरसिंह---यह काजीटोला घाट गंगा पर है, नेशनल हाईवेज नहीं है और नेशनल हाईवेज पर जो खर्च होता है वह केन्द्रीय सरकार व्यय करती है । लेकिन जो हमारे प्राविंशियल हाईवेज पर हैं वे संख्या में अधिक हैं इसलिये वहां पर यह सब आर्थिक दृष्टिकोण से भी लागू करना सम्भव नहीं है ।

देरापुर तहसील में सब-रजिस्ट्रार का दफ्तर

*२३---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देरापुर तहसील, जिला कानपुर में रजिस्ट्रार कार्यालय न खोलने का क्या कारण है ?

*२४---क्या सरकार को विदित है कि देरापुर तहसील के पूरन पुरवा, डकपुरवा जोत, अजनपुर, इनौती, उसरीजपुरवा, रामपुर के किसानों को पचीसों मील दूर रजिस्ट्री कराने तहसील अकबरपुर जाना पड़ता है और दसगुना दाखिल करने देरापुर आते हैं और रजिस्ट्री कराके दाखिल खारिज कराने देरापुर आते हैं अतः इस प्रकार किसानों को तेहरा खर्च होता है ?

श्री महमूद अली खां---१६ नवम्बर सन् १९५९ से तहसील देरापूर, जिला कानपुर में सब-रजिस्ट्रार का एक कार्यालय खोल दिया गया है । अतएव माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न नहीं उठते ।

*२५---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**---[हटा दिया गया ।]

*२६---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---[२३ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न ४७ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

लोअर गंगा नहर पर कुलाबों को स्थाई करने के लिये फर्रुखाबाद जिले के कुछ काश्तकारों की प्रार्थना

*२७---**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा जनखन, उमरन, इसामुद्दीनपुर, जिला फर्रुखाबाद के काश्तकारों का प्रार्थना-पत्र लोअर गंगा नहर कानपुर की दाहिनी पटरी पर ८९ मील ७ फर्लांग पर लगे हुये चन्दरोजा कुलाबों के स्थायी करने हेतु भी अधिशासी अभियंता नहर गंग डिवीजन, कानपुर को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ।

श्री धर्मसिंह---जी नहीं ।

*२८---**श्री होरीलाल यादव**---[१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

सचिवालय के वित्त विभाग में परिगणित वर्ग के क्लर्क

*२९---**श्री गया प्रसाद** (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेश फाइनेन्स विभाग में कुल कितने सीनियर व जूनियर क्लर्क हैं ? उनमें कितने क्रमशः परिगणित व पिछड़े वर्ग से हैं ?

श्री महमूद अली खां---उत्तर प्रदेश सचिवालय के वित्त विभाग में १०० सीनियर और ५२ जूनियर क्लर्क हैं जिसमें से ५ सीनियर और ३ जूनियर क्लर्क परिगणित जाति से हैं। पिछड़े वर्ग के क्लर्क कोई भी इस विभाग में नहीं हैं।

श्री गयाप्रसाद---मंत्री जी बतायेंगे कि पिछड़ीजाति के एक भी अभ्यर्थी न होने का क्या कारण है ?

श्री सैयदअली जहीर---इसका कोई खास कारण मैं इस वक्त तो नहीं बता सकता। बहरहाल कोशिश यह हो रही है कि इन जातियों के जो लोग मिलते जायं जहां तक हो सके और जब जगहें खाली हों, उन पर अगर मुनासिब किस्म के कैन्डीडेट्स मिलें तो जरूर लिये जायं।

बूढ़ी राप्ती पर पुल उद्घाटन में पत्रकारों पर व्यय तथा लोअर गंगा की जुरौलिया शाखा को बढ़ाने का सर्वेक्षण

*३०---**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले में बूढ़ी राप्ती नामक नदी पर निर्मित पुल का उद्घाटन करने के लिये २१ अगस्त, १९५९ को जब वे गये थे तो उनके विभाग की ओर से पत्रकारों को उस स्थान तक ले जाने में कितना व्यय हुआ था और वापस लाने में कितना व्यय हुआ ?

श्री गिरधारीलाल---पत्रकारों तथा अन्य निमंत्रित लोगों को पुल तक ले जाने और वापस लाने के लिये यू० पी० गवर्नमेन्ट रोडवेज, बस्ती से दो बसें आरक्षित कराई गई थीं जिनपर कुल व्यय २५१.१० रु० हुआ।

*३१---**श्री रामस्वरूप वर्मा** (अनुपस्थित)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि औरैया, जिला इटावा के अन्दर जुरौलिया शाखा लोअर गंगानहर, भोगनीपुर डिवीजन को तहसील पुखरायां, जिला कानपुर के अन्तर्गत पिचौरा तक बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई सर्वे किया गया था ? यदि हां, तो इसको पिचौरा तक बढ़ाने में कितना खर्च पड़ेगा और सरकार इसे कब तक पूरा करने की बात सोच रही है ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी हां,

द्वितीय भाग---लगभग ६ लाख रुपये,

तृतीय भाग---पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध न होने के कारण इस योजना को कार्यान्वित करना अभी सम्भव नहीं है।

विभागीय बचत कमेटियों के सुझावों का कार्यान्वयन

*३२---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ में निर्मित विभागीय बचत कमेटियों (Economy Committees) की प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक सरकारी विभाग में क्या क्या बचतें अभी तक कर दी गई हैं ?

श्री महमूद अली खां---सन् १९५७-५८ में निर्मित विभागीय बचत कमेटियों के सुझावों के आधार पर सरकार के विभिन्न विभागों में जो बचतें की गईं उनका एक† विवरण-पत्र मेज पर रख दिया गया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मंत्री जी बतायेंगे कि कुल बचत जो १,५०,००,००० रुपये के करीब बतायी गयी है इसको अभी तक कार्यान्वित कर देने में क्या कोई अंग अवशिष्ट रह गया है या पूरी लागू कर दी गई है ?

---

†छापा नहीं गया।

श्री सैयद अली जहीर—फेहरिस्त में जो बचतें दी गई हैं वे तमाम लागू कर दी गई हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इन विभागों के अलावा कुछ अन्य विभागों में भी बचत करने के लिये सरकार ने कोई गुंजाइश निकाली है ?

श्री सैयद अली जहीर—विचार तो सभी विभागों के लिये है लेकिन बराबर जहां तक होता है वहां तक उसमें बचत की जाती है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—प्रश्न ३२ के उत्तर से संबंधित जो रिपोर्ट माननीय अवस्थी जी की टेबिल पर रखी गयी है वह और माननीय सदस्यों की टेबिल पर भी रखी गयी है ?

श्री अध्यक्ष—सिर्फ अवस्थी जी की ही टेबिल पर रखी गयी है, और किसी की टेबिल पर नहीं, क्योंकि बहुत लम्बी लिस्ट है ।

श्री राजनारायण—सन् १९५७-५८ में जो यह एकानामी कमेटी निर्मित हुई थी इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी और उसके मुताबिक कार्यवाही कब से शुरू हुई ?

श्री सैयद अली जहीर—जैसा कि आप इस रिपोर्ट से देखेंगे १९५७-५८ में भी बचत की गयी, १९५८-५९ और १९५९-६० में भी बचत की गयी और जाहिर है कि कोई बहुत विलम्ब नहीं हुआ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतलायेगी कि आम निर्वाचन के लिये जो मसविदा पेश हुआ है वह किस प्रकार से पूरा किया जा रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—कोई ७५ हजार की कमी की गयी है ५८-५९ मे और ६ लाख की कमी की गयी है १९५९-६० में, आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण—मैं यह जानना चाहता हूं कि निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत ७५ हजार की कमी एक और ६ लाख की कमी एक जो रखी गयी है यह कमी किस ढंग से, कहां पर हो रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह ब्योरा इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

सार्वजनिक निर्माण अन्वेषणालय के कार्यों की सूची

*३३—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ सार्वजनिक निर्माण अन्वेषणालय द्वारा सन् १९५८-५९ में क्या अन्वेषण किये गये और उन्हें कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

श्री महावीरसिंह—इस अन्वेषणालय द्वारा १९५८-५९ में किये गये अन्वेषणों की एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है। इन में से कुछ को कार्यान्वित किया गया है तथा शेष पर प्रयोग जारी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २५१ पर)

*३४—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में उक्त अन्वेषणालय का स्थापना व्यय क्या रहा है ?

श्री महावीरसिंह—९५,२१०·०० रु०।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह जो ३० प्रयोगों की सूची है इनमें से कितने प्रयोगों की सूची इस वक्त प्रयोग में लायी जा रही है ?

श्री महावीरसिंह—इसमें से क्रम-संख्या ४,१५ और २० को कार्यान्वित किया गया है और शेष पर प्रयोग जारी है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इस अन्वेषणालय स्थापन व्यय के अलावा कुछ अन्य व्यय जो कि प्रयोग में लाये जाते हैं उनका व्यय क्या इसके साथ सम्मिलित नहीं है ?

श्री महावीरसिंह—इसमें बहुत सी चीजें सम्मिलित हैं। अधिकारियों का वेतन है, अन्य कर्मचारियों का वेतन है, कांटिजेंसी है और यात्रा भत्ता है ।

उरई को बिजली कनेक्शन तथा जालौन जिले की सिंचाई योजना

*३५—श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उरई, जिला जालौन में अब तक कितने बिजली के कनेक्शन नगर-निवासियों को दिये जा चुके हैं और बिजली के कनेक्शन पाने के लिये लिये १ दिसम्बर, १९५९ तक कितनी दरख्वास्तें पेंडिंग थीं ?

श्री गिरधारी लाल—१ दिसम्बर, १९५९ तक ९० बिजली के कनेक्शन दिये जा चुके थे और २५१ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे।

*३६—श्री गोविन्द नारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में सन् १९६० में सिंचाई विभाग की ओर से कहां-कहां बांध बनाने की योजना है तथा कौन-कौन से नये बम्बे, रजबहे तथा नहरें निकालने की योजना है ?

श्री गिरधारी लाल—जालौन जिले में बंधियां और नहरें बनाने की योजनाओं की सूची संलग्न है, जो मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नथी 'छ' आगे पृष्ठ २५२ पर ।)

जालौन जिले में वन विभाग की आय

*३७—श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में जंगलात विभाग को १ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक जमीन के लगान तथा लकड़ी की बिक्री की पृथक-पृथक कितनी आमदनी हुई ?

श्री सैयद अली जहीर—क्रमशः १,३५४.७५ रु० और १२५.०० रु० ।

*३८-३९—श्री गोविन्द सिंह विष्ट—[१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*४०-४२—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—[१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

मऊनाथ भंजन में टोंस नदी पर पुल के स्थान का निरीक्षण

*४३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में टोंस नदी पर बनने वाले पुल के भूमि सम्बन्धी विवाद को देखने के लिये चीफ इंजीनियर, निर्माण विभाग शीघ्र ही गये थे ? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री गिरधारीलाल— प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—जो स्थान सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है वह सब से उत्तम है।

नोट—तारांकित प्रश्न ३४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*४४--श्री प्रतापसिंह--[१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*४५-४६--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--[१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*४७-४८--श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)--[१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

त्रिमोहानी घाट की सीमा बढ़ाने की शिकायत तथा केसा के कर्मचारियों के लिये वेज बोर्ड बैठाने की सिफारिश

*४९--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि त्रिमोहानी घाट, जो रोहिन नदी पर गोरखपुर जिला में स्थित है, की सीमा २ मील से बढ़ा कर ४ मील कर दी गई है जिससे प्राइवेट पुल जिन पर गाड़ीवानों को मल्लाही नहीं देनी पड़ती थी बनने बन्द हो गये हैं? यदि हां, तो किसकी आज्ञा से हुआ है?

श्री गिरधारीलाल--यह सीमा अब दो ही मील है।

*५०--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद्, गोरखपुर ने अपने २८ नवम्बर की मीटिंग में उपरोक्त सीमा बढ़ाने की निन्दा की है और सरकार से उसे अविलम्ब समाप्त करने की सिफारिश की है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री गिरधारीलाल--यह प्रश्न नहीं उठता।

*५१--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या केसा के कर्मचारियों का वेतन-क्रम वही है जो १९४८ में एक एडहाक कमेटी द्वारा निश्चित किया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार केसा के लिये वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार वेतन-क्रम निर्धारित करने के लिये कोई वेज बोर्ड बैठाने का विचार कर रही है?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्रित की जा रही है।

बाढ़ पीड़ित शिविर

*५२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश के किन-किन जिलों में किन-किन स्थानों पर, कितनी-कितनी रुपये की लागत से बाढ़-पीड़ित शिविर बनाये गये हैं?

*५३--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बाढ़-पीड़ित शिविरों में से कहां-कहां के बाढ़-पीड़ित शिविर अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं?

*५४--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बाढ़-पीड़ित शिविर इस वक्त जिले के किन-किन अधिकारियों की देख-रेख में हैं तथा उनकी मरम्मत, सफ ई आदि का व्यय कौन देता है?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्र की जा रही है।

*५५-५७--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--[१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

सिरसा ग्राम वासियों का बरसाती पानी निकालने के लिये प्रार्थना-पत्र

*५८--श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिरसा, पत्रालय भीटी, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद के किसानों का दिनांक ३ दिसम्बर, १९५९ का कोई प्रार्थना-पत्र गांव के बरसाती पानी की निकासी के लिये एक नाले के निर्माण करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां।

*५९--श्री अवधेशप्रताप सिंह--यदि हां, तो सरकार इस कार्य को कब तक करायेगी ?

श्री गिरधारीलाल--इस विषय में विचार हो रहा है और यदि यह योजना कार्यान्वित हो सकने योग्य पाई गई तो ग्राम पंचायत को श्रमदान द्वारा कार्य करने की राय दी जायेगी।

*६०--श्री अवधेशप्रताप सिंह--यदि इस कार्य को नहीं कराने की योजना है, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--प्रश्न ही नहीं उठता।

कोल असला परगने में नहर के कुलाबे बढ़ाने तथा पिंडार व फूलपुर बाजारों को बिजली देने की प्रार्थना

*६१--श्री ऊदल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह परगना कोल असला, जिला वाराणसी के बाजार पिंडार व फूलपुर में जो जौनपुर-वाराणसी पक्की रोड पर पड़ता है बिजली लगाने जा रही है व परगना पन्द्रह, जिला वाराणसी के बाजार ताड़ी, नेवादा, अनेई, धोकलगंज में भी बिजली लगाने पर विचार कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल--इन स्थानों के विद्युतन हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*६२--श्री ऊदल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह परगना कोल असला, जिला वाराणसी में नाद नदी के उत्तर दिनदासपुर माइनर व जो बड़ी नहर त्रिलोचन महादेव से हो कर आगे जाती है उसमें से कुलाबा बना कर सिंचाई के लिये पानी देने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां कुलाबे लगाये जा रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। कुलाबों का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २५३ पर।)

*६३-६४--श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--[१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

कोल असला परगने में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*६५--श्री ऊदल--क्या सरकार दवेथुआ, बचेउरा, परगना पन्द्रह व गांग कला, सरांव, निन्दनपुर, औराव, राजपुर, घोंघलीं, परगना कोल असला, जिला वाराणसी में ट्यूबवेल लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल--इन गांवों में नलकूप लगाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

छिबरामऊ में बिजली के कनेक्शन न मिलने की शिकायत

*६६—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला फर्रुखाबाद के छिबरामऊ कस्बे में बिजली आये हुये काफी अर्सा हो गया है, लेकिन कनेक्शन लोगों को बार-बार लिखने पर भी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—जिला फर्रुखाबाद का छिबरामऊ कस्बा, गंगा-शारदा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जहां विद्युत शक्ति का अभाव है। अतः प्रदेशीय सरकार ने नये विद्युत शक्ति के कनेक्शन देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। परन्तु घरेलू कार्यों के लिये २ किलोवाट तक कनेक्शन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और इस प्रकार के कनेक्शन देने में कोई विलम्ब नहीं किया जा रहा है।

*६७—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—[१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*६८—७०—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर]—[१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

निवाड़ी रजबहा से अजुवापुर माइनर निकालना

*७१—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निवाड़ी रजबहा, शाख भोगनीपुर में अजुवापुर तथा रुरुवा माइनर निकालना स्वीकृत हुआ था ?

श्री गिरधारीलाल—शाख भोगनीपुर के निवाड़ी रजबहा से केवल अजुवापुर माईनर निकालना स्वीकृत हुआ था।

*७२—श्री भजनलाल—यदि हां, तो सिर्फ एक ही माइनर अजुवापुर वाला क्यों निकाल कर संचालित किया गया और रुरुवा का नहीं ?

श्री गिरधारीलाल— प्रश्न ही नहीं उठता।

*७३—श्री हरकेश बहादुर (जिला प्रतापगढ़)—[१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

प्रतापगढ़ जिले के विभिन्न जंगलों से आय

*७४—श्री हरकेश बहादुर—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लालगंज, सीतल मऊ, तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़ और चिलबिला, तहसील सदर, जिला प्रतापगढ़, स्थित जंगलों से कितनी आय सरकार की १९५८-५९ और १९५९-६० में ३१-१२-५९ तक हुई है, और कितना धन सरकार का इस अवधि में वेतन तथा भत्ते में दिया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—कुल ७०० रु० की आय प्राप्त हुई। इन क्षेत्रों के लिये कोई खास स्टाफ नहीं रखा गया। समीप के बीटों की देख-भाल करने के लिये जो फारेस्ट गार्ड नियुक्त हैं वही इन जंगलों की भी देखभाल करते हैं। दैनिक मजदूरी के आधार पर रखे गये मवेशी चौकीदारों को दैनिक मजदूरी पर कुल ६१० रु० व्यय हुआ है।

भीरा--पलिया मार्ग पर रेल-कम-रोड पुल निर्माण योजना

*७५—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बतानें की कृपा करेंगी कि जिला खीरी में भीरा से पलिया जाने वाली जो सड़क बन रही है उसी मार्ग में शारदा नदी पर जो रेल का पुल बना हुआ है उस पर रेल-कम-रोड बनाने की कोई योजना उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसके कब तक कार्यान्वित होने की आशा है ?

श्री गिरधारीलाल— जो हां। योजना का कार्यान्वित होना केन्द्रीय सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है।

*७६-७७—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—[१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं का चुनाव

*७८—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५९ के अक्तूबर में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं (Executive Engineers) का चुनाव (selection) किस आधार पर किया गया है?

श्री गिरधारीलाल—चुनाव नियमों के आधार पर।

*७९—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५९ के अक्तूबर में सिंचाई विभाग में जब केवल ७ या ८ Executive Engineers के लगभग स्थान रिक्त थे तो १८ लोग क्यों छांट लिये गये?

श्री गिरधारीलाल—अक्तूबर में ९ स्थान रिक्त थे लेकिन कई और स्थान शीघ्र ही रिक्त होने वाले थे। ऐसे चुनाव रोज नहीं होते हैं। अतः भविष्य में जो स्थान रिक्त होने वाले होते हैं उनके लिये भी चुनाव कर लिया जाता है।

*८०—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग के एक असिस्टेन्ट इंजीनियर जिन्हें १९५९ के मई में चुनाव के समय नहीं लिया गया था उन्हें १९५९ के अक्तूबर के चुनाव के समय ले लिया गया?

श्री गिरधारीलाल—असिस्टेन्ट इंजीनियर का नाम जाने बिना उत्तर देना सम्भव नहीं।

आजमगढ़ जिले की नलकूप योजना

*८१—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने आजमगढ़ जिले में इस वर्ष कितने नये नलकूपों के निर्माण की व्यवस्था की है?

श्री गिरधारीलाल—आजमगढ़ जिले में इस वर्ष ५ नलकूपों के बनाने की योजना है।

माताटीला बांध विद्युत योजना

*८२—श्री लक्ष्मणराव कदम, श्री गज्जूराम (जिला झांसी) तथा श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या माताटीला बांध से विद्युत् योजना का कार्य अगले वित्तीय वर्ष में आरम्भ कराने वाली है? यदि हां, तो उक्त वर्ष उसका प्रसार किस-किस क्षेत्र में व कितने एरिया में हो जायेगा?

श्री गिरधारीलाल—अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना पर कार्य प्रारम्भ करने की आशा की जाती है परन्तु योजना पूर्ण रूप से एक साल में तैयार नहीं हो सकती इसलिये अगले वित्तीय वर्ष में इसके प्रसार का प्रश्न नहीं उठता।

सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, शारदा नहर, बरेली सर्किल पर कथित मुकदमा

*८३—डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, शारदा नहर, बरेली सर्किल पांच के ऊपर कोई गबन का मुकदमा सीतापुर जिले के किसी मजिस्ट्रेट के यहां चल रहा है? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त इंजीनियर मुअत्तल हैं या कार्य कर रहे हैं और माह दिसम्बर, ५९ से १५ जनवरी, ६० तक किन तिथियों को मुकदमों की पेशी पड़ी?

श्री गिरधारी लाल---जी नहीं। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, शारदा नहर, बरेली सर्किल पांच के ऊपर कोई मुकदमा सीतापुर जिले के किसी मजिस्ट्रेट के यहां नहीं चल रहा है।

*८४---डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मास दिसम्बर, १९५९ से १५ जनवरी, १९६० तक उपरोक्त इंजीनियर कितने बार सीतापुर में दौरे के सिलसिले में आये और कितने दिन सीतापुर रहने का भत्ता लिया ?

श्री गिरधारीलाल---दिनांक १ दिसम्बर, १९५९ से १५, जनवरी १९६० तक उपरोक्त सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर दो बार सीतापुर गये और दस दिन वहां रुकने का भत्ता लिया।

सिंचाई विभाग के अभियंताओं की अपने घर के जिलों में नियुक्ति

*८५---श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग में कितने अभियंता (Engineers) अपने घर के जिलों (home districts) में नियुक्त हैं ?

श्री गिरधारीलाल---तीन।

*८६---श्री सुरथबहादुर शाह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग में कितने अभियंता (Engineers) अपने घर के नगरों (home towns) में नियुक्त हैं ?

श्री गिरधारी लाल---उपर्युक्त तीन अभियंताओं में से दो अपने घर के नगरों में नियुक्त हैं।

शारदा ब्रांच, मौरावां से प्रस्तावित माइनर व रजबहे

*८७---श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस' (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में नहर शारदा ब्रांच मौरावां में मील नं० १५ तक कितने माइनर व रजबहे प्रस्तावित हुए, कितने खोदे जा चुके हैं और प्रत्येक कार्य का तखमीना क्या था ?

श्री गिरधारी लाल---मौरावां रजबहे के मील नं० १५ तक संलग्न सूची में दिये हुए जितने माइनर व रजबहे प्रस्तावित किये गये थे उतने ही सब बन गये हैं। प्रत्येक का तखमीना भी सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५४ पर)

*८८---श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस'---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर व दिसम्बर सन् १९५९ में कितने दिन तक नहर शारदा मौरावां ब्रांच में पानी चलाया गया ?

श्री गिरधारी लाल---नवम्बर, १९५९ में १३ दिन व दिसम्बर, १९५९ में १६ दिन।

*८९---९१---श्री चन्द्रजीत यादव---[१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*९२---९३---श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)---[१ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ५७-५८ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर जिले की गंगागढ़ माइनर में नया कुलाबा लगाने की आवश्यकता

*९४—श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल (जिला रायबरेली) तथा श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में नहर की गंगागढ़ माइनर में एक नया कुलाबा सरमस्तपुर गांव के लिये लगाने की योजना है यदि हां, तो कब तक कुलाबा लग जायगा ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

नहर गंग डिवीजन, कानपुर में सरसई माइनर को बढ़ाने की आवश्यकता

*९५—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार नहर गंग डिवीजन, कानपुर में सरसई माइनर को बढ़ाने पर विचार कर रही है और क्या उसने इस हेतु इस माइनर का परिवेक्षण कराया है ? यदि हां, तो बढ़ाने का विचार कब तक कार्यरूप में परिणत हो जायेगा ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

*९६—श्री मुक्तिनाथ राय—[१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*९७—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री अमरनाथ—[१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*९८-९९—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा) तथा श्री अमरनाथ—[१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर जिला अन्तरिम परिषद् की बिजली के लिये सिफारिश

*१००—श्री अमरनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की अन्तरिम जिला परिषद ने गत नवम्बर या दिसम्बर मास में गोरखपुर जिले के हर तहसील केन्द्र तथा टाउन एरिया में बिजली लगाने की सरकार से लिखकर सिफारिश की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—इस आशय का पत्र दिसम्बर, १९५९ में प्राप्त हुआ था और वह राज्य विद्युत परिषद को भेज दिया गया क्योंकि इसका संबंध उन्हीं से था।

*१०१-१०२—श्री अमरनाथ—[हटा दिये गये।]

श्री विश्वेश्वर कर जांच कमेटी की रिपोर्ट

*१०३—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रिहन्द जल विद्युत योजना के संबंध में नियुक्त श्री विश्वेश्वर कर जांच कमेटी ने रिहन्द जल विद्युत शाला का ठेका वर्तमान ठेकेदार को दिये जाने की आलोचना की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रति सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री गिरधारीलाल—समिति की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है और वह गोपनीय है।

लालाबाजार, अल्मोड़ा में स्थित दुकानों में आग लगने से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास कई विषयों के बारे में सूचनायें भेजी गयी हैं। उसमें सबसे महत्व का यह है श्री गोविन्द सिंह बिष्ट व श्री प्रताप सिंह जी का--- "दिनांक १५ फरवरी के प्रातःकाल अल्मोड़ा, लालाबाजार में एकाएक आग लगने से करीब ३० दुकानों के जल कर राख हो जाने से कई लाख रुपयों का नुक्सान और २४ परिवारों के बेघरबार हो जाने से उत्पन्न भीषण परिस्थिति की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं"। श्री गोविन्दसिंह बिष्ट ने ऐसी कई सूचनायें मेरे पास भेजी हैं। माननीय स्वशासन मंत्री के पास इस संबंध में सूचना हो तो आज दे दें वर्ना और किसी दिन को निश्चित कर दें, उस दिन वक्तव्य दे दें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---श्रीमन्, इसमें जो प्रश्न उठाया गया है उसका उत्तर तो मैं अभी दे सकता हूं। बाकी वहां पर अभी जो आग लगी है उससे क्या तकलीफ हुई और क्या उन लोगों की मदद की जा सकती है उसकी सूचना तो अभी आयी नहीं है, लेकिन इसमें जो आक्षेप वगैरह किये गये हैं उनका उत्तर मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, इसीलिये तो आक्षेप वगैरह मैंने सुनाये नहीं। अब तो यह है कि जब पूरी सूचना आपके पास आ जाय तो एक रोज निश्चित कर दें उसी रोज वक्तव्य दे दें। आप बता दें कि कब वक्तव्य देंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---आज कोशिश की गयी उनसे ट्रंक काल मिलाने की लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष---तो परसों दे दें?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---परसों का दिन रख दें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---जो मैंने पत्रों का संदर्भ दिया है कृपया मंत्री जी उसे भी इसी बीच में देख लें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---वह मैंने देख लिया है। उसमें कोई सार नहीं है।

श्री अध्यक्ष---तो परसों का दिन निश्चित रहा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, एक निवेदन मेरा यह है कि जहां तक मुझको स्मरण है शायद आपने ऐसी कोई व्यवस्था दी थी कि आज जैसे आपने किसी विषय को नियम ५२ के अन्तर्गत महत्वपूर्ण समझा और उसको स्वीकार किया और उसका जवाब मंत्री जी आज न दें बल्कि किसी दूसरे दिन दें तो आप दूसरा विषय ले लेंगे। अगर ऐसा है तो हमारा ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष---वह आज नहीं कल लिया जायगा।

श्री राजनारायण---५ दिन से दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---वह ठीक है, लेकिन बीच-बीच में और महत्व के आ जाते हैं।

तहसील सादाबाद, जिला मथुरा में बलपूर्वक लगान की वसूली आदि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत राजस्व उपमंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब यह जो टीकाराम पुजारी जी का प्रश्न है रजवाहा, कुरसंडा आदि में समय पर पानी न मिलने तथा फसल आदि नष्ट होने के संबंध में, इस बारे में राजस्व मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद शुक्ल)---मान्यवर, जो सूचना जिले से प्राप्त हुई है उसके अनुसार यह विदित हुआ है कि कुरसंडा और रजवाहा में साधारण स्थिति है और वहां पर कोई कमी चारे आदि की नहीं है और वहां की फसल भी अच्छी और संतोषजनक कही गयी है। वहां पर किसानों ने कोइ अपने जेवरात इत्यादि भी नहीं बेचे हैं। जो ऋण उन्होंने सहकारी समितियों से लिया है वह उनको मिला है और साधारण स्थिति भी अच्छी है। वहां की जनता में कोई भी असंतोष नहीं है जो वहां पर सरकारी देयों का संग्रह किया जा रहा है उससे भी असंतोष नहीं है और साधारण तरीके से ही वहां पर मालगुजारी वसूल हो रही है, कोई भी कोअर्सिव मेजर्स इस्तेमाल नहीं किये जा रहे हैं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चार साल हो गये कुरसंडा, सादाबाद तहसील, मथुरा में पूरी आबपाशी ली जाती है जबकि केवल एक ही पानी मिलता है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---यह तो इर्रीगेशन डिपार्टमेंट से मश्विरा करके हम बता सकते हैं।

श्री टीकाराम पुजारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चार साल से जो पूरी आबपाशी ली गयी है जबकि केवल एक ही पानी मिलता है, तो क्या वह वापस की जायगी जिससे अपने परिवार का पालन पोषण वहां का किसान कर सके ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---संभवतः एक ही आबपाशी से पूरी आबपाशी ले ली जाती है, ऐसा कायदा नहर विभाग का है।

श्री टीकाराम पुजारी---चार साल हो गये इस रजवाहा को पलेवा देते हुए, तो क्या सरकार इसे मुस्तकिल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि नहर के मंत्री उत्तर दें तो ज्यादा उचित हो।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)---ये चैनेल्स केवल पलेवा के लिये बनायी गयी हैं। जब पानी अधिक मात्रा में मिल सकेगा तो विचार किया जायगा, इस समय नहीं।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---राजस्व उपमंत्री जी ने फरमाया कि एक ही पानी में सारा पानी दे दिया जाता है और सिंचाई उपमंत्री जी कह रहे हैं कि पलेवा के लिये ही यह नहरें हैं। तो दोनों में विरोधाभास है, अब इनमें से कौन सा उत्तर सही है ?

श्री अध्यक्ष---विरोधाभास कुछ नहीं है। दोनों ने यही कहा कि पलेवा के लिये एक ही पानी दिया जाता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---वह कहते हैं सिंचाई के लिये और आप कहते हैं पलेवा के लिये। पलेवा तो खाली सीड को जर्मिनेट करने के लिये होता है।

श्री अध्यक्ष---पलेवा भी सिंचाई ही है।

श्री टीकाराम पुजारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्वी जिलों में जब पानी समय पर नहीं मिला तो वहां सिंचाई में छूट दी गयी ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट अभी मंत्रीजी ने पढ़ी है वह रिपोर्ट मंत्री जी को किस अधिकारी के द्वारा प्राप्त हुई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जिले से प्राप्त होती है। कलेक्टर भेजा करता है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या यह देखते हुए कि एक ही बार पानी देने से पूरी फसल नहीं पैदा होती, सरकार इस पर विचार करेगी कि जब तक फसल न हो जाय तब तक पानी दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---उनके पास पानी है नहीं, तो कहां से दे देंगे ?

श्री ब्रजनारायण तिवारी---सरकार का यह कहना है कि एक ही बार पानी दिया जाता है, यही शिकायत है माननीय टीकाराम जी की, तो क्या सरकार इस शिकायत को दूर करने के लिये एक बार से अधिक पानी देने का इंतजाम करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जब सरकार के पास ऐसे साधन हो जायेंगे कि जितनी आवश्यकता किसानों को हो उतना पानी दिया जा सके, तो माननीय सदस्य की बात मान ली जायगी।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पलेवा करने के बाद जब फसल को पानी नहीं मिलता तो फसल पैदा नहीं होती है, इसलिये पलेवा की आबपाशी माफ करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप अन्दाज कर लेते हैं कि फसल नहीं होती है। अभी आपने कहलवाया नहीं है कि फसल नहीं होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि फसल नहीं होती है ?

श्री बालकराम---क्या सरकार को यह मालूम है कि पलेवा करने के बाद अगर फसल को पानी नहीं मिलता तो फसल नहीं पैदा होती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमेशा ऐसी बात नहीं होती।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब साधन उपलब्ध होंगे तो करेंगे, तो क्या कोई साधन उपलब्ध करने का प्रयास किया जा रहा है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---सरकार पूरा-पूरा प्रयास कर रही है।

श्री टीकाराम पुजारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५९ में मैंने जो प्रार्थना की थी और कुछ रसीदें भी दी थीं उस पर मुझ से वादा किया गया था कि इंजीनियर साहब से पूछ कर हम इस पर विचार करेंगे, तो क्या सरकार ने इस पर कोई विचार किया ?

श्री अध्यक्ष---किस विभाग में दिया था ?

श्री टीकाराम पुजारी---माल विभाग में।

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी।

श्री गौरीशंकर राय द्वारा अपने विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी तथा एक अन्य प्रश्न उठाने की सूचना

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन के अवमान का प्रश्न चार-पांच रोज से पड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष---मैंने आप को दिखा भी दिया था, मैंने अभी दफ्तर से पूछा है कि प्रतिवेदन में इस तरह के शब्द कैसे आये। जब मेरी जांच पूरी हो जायगी तो मैं यहां सुना दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय---सदन के अवमान और शिष्टता के विपरीत आचरण करने के एक प्रश्न की ओर मैं नोटिस देता हूं। वह श्री जगनप्रसाद रावत, जो कांग्रेस....

श्री अध्यक्ष---आप सचिव के पास भेज दीजियेगा।

बद्रीनाथ मंदिर कमेटी तथा रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष---बद्रीनाथ मंदिर ऐक्ट के अनुसार और रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट में जो चुनाव होने हैं उनके सम्बन्ध में मैं सूचना देना चाहता हूं कि चुनाव इस प्रकार होगा---

बद्रीनाथ मन्दिर कमेटी के लिये जो दो सदस्य चुने जाने हैं उसके लिये नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि २० फरवरी, १९६० को सायंकाल ५ बजे तक। नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि २२ फरवरी को २ बजे तक सचिव के कमरे में। नामों की वापसी की अन्तिम तिथि ४ मार्च, १९६० को सायंकाल ५ बजे तक और निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो विधान वाचनालय में १९ मार्च, १९६० को १२ बजे से ५ बजे तक होगा।

रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट में कार्य करने के लिये चार सदस्य जो चुने जाने हैं उनके लिये भी नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की तिथि २० फरवरी है। नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा २२ फरवरी को २ बजे तक सचिव के कमरे में और नामों की वापसी की अन्तिम तिथि ४ मार्च, १९६० को ५ बजे तक होगी। निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो १९ मार्च, १९६० को १२ बजे से ५ बजे तक होगा।

१९६०-६१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवादार्थ भाषणों के लिये समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सामान्य विवाद में विभिन्न नेता लोग कितना बोलें और माननीय सदस्य कितना बोलें उसके लिये समय निर्धारित हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---इसमें अभी तक तो यह होता रहा है कि नेता विरोधी दल के लिये समय का कोई निर्धारण नहीं होता था। तो उनके लिये तो वही तरीका रहेगा, कोई निर्धारण समय का उनके लिये नहीं होगा। बाकी लोगों के लिये आप सुझाव दे दें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जैसा अब तक होता रहा है उसी प्रकार हो और उसमें कोई परिवर्तन न हो। नेता विरोधी दल के लिये तो कोई समय होता नहीं। अन्य नेताओं के लिये आधा-आधा घंटा हो।

श्री राजनारायण---पिछले साल तो ४५ मिनट था और मुझे तो शायद १ घंटा दे दिया था।

श्री अध्यक्ष---आप उस वक्त नेता विरोधी दल होंगे।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---मेरा सुझाव यह है कि नेताओं के लिये आधा घंटा और अन्य सदस्यों के लिये १५ मिनट समय रखा जाय।

श्री अध्यक्ष---तो ठीक है। १५ मिनट का मैं कर देता हूं और अगर कोई स्पीच ऐसी हो कि जिसमें बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद आंकड़े वगैरह दिये जा रहे हों तो ऐसे लोगों को मैं ५ मिनट और दे दूंगा। आमतौर पर १५ मिनट ही रहेगा और आधा घंटा नेताओं के लिये होगा। सिर्फ जो नेता विरोधी दल हैं उनके लिये कोई समय का निर्धारण नहीं होगा या नेता विरोधी दल की तरफ से जो बोलने वाले हों उनके लिये कोई समय का बन्धन नहीं होगा।

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री राजबिहारीसिंह)---माननीय मुख्य मंत्री के लिये भी समय अधिक होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---और सब मन्त्रियों के लिये तो आधा घंटा ही रहेगा। लेकिन मुख्य मंत्री के लिये कोई समय का बन्धन नहीं रहेगा। वैसे मैं उनसे पूछ लूंगा कि वह अन्त में या किस वक्त बोलेंगे?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---डिप्टी मिनिस्टर के लिये कितना रहेगा?

श्री अध्यक्ष---डिप्टी मिनिस्टर अगर अपने विभाग की तरफ से अकेले ही बोलने वाले हों तो मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर एक ही समझे जायेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---लेकिन डिप्टी लीडर के लिये तो.....

श्री अध्यक्ष---डिप्टी लीडर अगर लीडर की तरफ से बोल रहे हों और डिप्टी लीडर की हैसियत से अलग नहीं बोलेंगे तो उनके लिये भी लीडर के लिये जो समय निर्धारित है वही रहेगा।

१९६०-६१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं शुरू में ही माननीय वित्त मन्त्री जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक असन्तुलित बजट को बड़े सन्तुलित ढंग से पेश किया। इस बजट के उद्यान में कुछ हरे स्थल भी हैं लेकिन बहुतायत से सूखे स्थल हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई यह देखकर कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपनी योग्यता से और अपने स्वभाव से हरे स्थलों में ज्यादा प्रसन्नता नहीं दिखाई और सूखे स्थलों को जिस प्रकार से उन्होंने पार किया वह भी एक अनुकरणीय उदाहरण हमारे लिये है। इस दृष्टिकोण से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

श्रीमन्, मन्त्री जी के बजट भाषण में एक बात का उल्लेख शुरू में ही कर देना चाहता हूं। जहां तक वित्तीय मामलों का प्रश्न है उन्हें सात पेजों में

निपटा दिया गया है और बाकी उनका सारा भाषण ऐसा लगता है कि कोई वार्षिक रिपोर्ट विभागों की है। वह पूरे माने में बजट भाषण है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। श्रीमन्, आपने अन्य प्रदेशों और देशों के बजट भाषणों को देखा होगा। उनमें अधिकांशतः या ९९ फीसदी जो बजट भाषण होता है उसमें वित्तीय व्यवस्था का ही जिक्र होता है। वह विभागों की प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं हुआ करती है। मुझे खेद है कि माननीय वित्त मंत्री ने इस व्यवस्था को नहीं बदला। अभी तक गवर्नर के भाषण में या अन्यथा जो विभागीय प्रगति विवरण की बातें हुआ करती हैं वही बातें बजट भाषण में दिखाई देती हैं जिससे इनमें समानता मालूम पड़ती है। यह बन्द होनी चाहिये। इसलिये मैं भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी ने अपनी बातों को तीन हिस्सों में लिया है, आपकी आज्ञा से तीन हिस्सों में लूंगा। अर्थात् वित्तीय व्यवस्था के विषय में, सामान्य प्रोग्रेस के विषय में और विभागों के विवरण के विषय में अलग-अलग निवेदन करूंगा।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि केवल १,०९,००,००० रुपये की बचत सन् १९५८-५९ के बजट में हुई। मैं श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री के इस कथन को चुनौती देना चाहता हूं। यह कहना गलत है कि १९५८-५९ में वास्तविक मानों में केवल १,०९,००,००० रुपये की बचत हुई। अगर आप बजट को ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि इस वर्ष २,३०,००,००० रुपया रेवेन्यू रिजर्व फंड को स्थानान्तरित किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि अगर रेवेन्यू की बचत नहीं होती तो यह २,३०,००,००० रुपया कैसे स्थानान्तरित होता। दूसरी बात यह है कि ४,००,००,००० रुपया रेवेन्यू एकाउन्ट से केन्द्रीय सरकार के हेतु सिन्किन्ग फंड को स्थानान्तरित किया गया। अगर रेवेन्यू में बचत न होती तो सिन्किन्ग फंड को यह रुपया कैसे ट्रान्सफर होता। तीसरी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार को 'रिपेमेन्ट एकाउन्ट' के लिये रेवेन्यू से ३,४२,००,००० रुपया अतिरिक्त कर्ज भुगतान हेतु स्वीकृत किया गया है। अगर रेवेन्यू में अतिरिक्त बचत न होती तो यह रुपया कहां से स्वीकृत होता। इस प्रकार अगर रेवेन्यू रिजर्व फंड को स्थानान्तरित किये २,३०,००,००० रुपये, केन्द्रीय सरकार के सिंकिंग फंड को दिये ४,००,००,००० रुपये और रिपेमेन्ट के लिये दिये गये ३,४२,००,००० रुपये बतलायी गई बचत को जोड़ा जाय तो यह कुल ९,९८,००,००० रुपये की कुल बचत होती है जो कि १९५८-५९ के बजट में रेवेन्यू एकाउन्ट में हुई है। मुझे यह शिकायत नहीं है कि आपने यह सब सिंकिंग फंड को क्यों रिपेमेन्ट किया? या कर्ज क्यों दिया? आपने अच्छा किया। अच्छा तो किया, लेकिन मेरी शिकायत यह है कि आपने सदन को क्यों नहीं बतलाया? आपने बजट में इन बातों का उल्लेख किया इसके लिये आपको बधाई, लेकिन आपको स्पष्ट स्वीकार करना चाहिये था कि यह भी बचत है और यह भी सरप्लस एकाउन्ट में है और १९५८-५९ में ९,९८,००,००० रुपया बचत के रूप में है। माननीय वित्त मंत्री को इसकी पूरी जानकारी होगी ही। मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूं तो शायद वह मेरी बात को सही नहीं मानेंगे। इसलिये फाइनेन्स के एक्सपर्ट श्री डाल्टन साहब का मैं कोटेशन "unbalanced Budget" का देना चाहता हूं :—

"It is less equivocal to speak in terms of a budget surplus or deficit. Even here, however, there may be ambiguity. In judging whether a surplus or deficit has been realized public expenditure should entirely exclude all debt repayment, even under Statutory Sinking Funds."

एक बजट के बचत या घाटे के सम्बन्ध में कहना कुछ कठिन कार्य होता है। इस बात का निश्चय करने के लिये कि आया बचत हुई है या घाटा हुआ है जो रेवेन्यू का खर्चा हो, उसमें से सारे कर्जे या ब्याज की अदायगी को निकाल कर, अलग करना चाहिये। अगर जनता के कर्जे को रेवेन्यू के मूल एकाउन्ट से देने की आवश्यकता पड़े तो सही माने में बचत यहां मानी जा नहीं सकती तो यूं १ करोड़ ९ लाख का सरप्लस न हो कर उसमें अगर यह सब जोड़ दिया जाय तो ९ करोड़ ९८ लाख की बचत होती है।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह है कि सिंकिंग फंड को ४ करोड़ रुपया दिया गया और रेवेन्यू रिजर्व फंड को २ करोड़ ३० लाख रुपया दिया गया, लेकिन इसके लिये इस सदन की स्वीकृति

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

नहीं ली गयी। विधान मंडल की स्वीकृति क्यों नहीं ली गयी यह मैं जानना चाहता हूं? जब फैमिन रिलीफ फंड में आप रुपया डालना चाहते हैं तो आप सदन की आज्ञा लेते हैं, जब क्रेडिट रिलीफ या कोआपरेटिव क्रेडिट फंड में आप रुपया डालना चाहते हैं तो सदन की अनुमति लेते हैं, टोकेन ग्रान्ट मांगते हैं, तो इस सब के लिये सदन की इजाजत न लेने का क्या कारण है? श्रीमन्, वित्त मंत्री जी कह सकते हैं कि ऐसा तरीका नहीं है। लेकिन इसकी एक परम्परा भी है। श्रीमन्, आप को याद होगा कि सम्भवतः १९५७-५८ के बजट में लगभग पौने तीन करोड़ रुपया रखा गया था कैपिटल एक्सपेंडीचर की मद से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में सिंकिंग फंड में देने के लिये। तो इसकी पुरानी मिसालें भी मौजूद हैं।

अब मैं इस असन्तुलित बजट के अन्य स्वरूपों की ओर आता हूं। यह असंतुलन लगातार एक ट्रेन्ड बन गया है, तरीका बन गया है। पहले तो हमारे सामने यह कहा जाता है कि डेफिसिट होगा, घाटा होगा और उसके नाम पर टैक्स लगाये जाते हैं और रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाता है। हम लोग भी मानते हैं कि इतना घाटा है, उसे पूरा करने के लिये इतना टैक्स भी देना है। लेकिन एक ट्रेन्ड बन गया है कि घाटे का बजट ही बाद में बचत का बजट बन जाता है। मैं इस ट्रेन्ड को स्पष्ट करने के लिये कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। १९५३-५४ में ४ करोड़ ४२ लाख का रेवेन्यू डेफिसिट कहा गया था, लेकिन वही बाद में सरप्लस हो गया २ करोड़ ८३ लाख का। १९५४-५५ में ३ करोड़ ९१ लाख का डेफिसिट कहा गया और सरप्लस हुआ ६१ लाख रुपये का। इसी तरह से १९५५-५६ में ५ करोड़ ५० लाख का डेफिसिट बजट बनाया गया पर उसमें १ करोड़ ३० लाख रुपये की बचत हुई। १९५६-५७ में ९ करोड़ ५५ लाख का घाटा होगा ऐसा कहा गया पर उसी बजट में १२ लाख की बचत हो गयी। १९५७-५८ में ११ करोड़ ६७ लाख के घाटे का बजट बनाया गया और उसमें ५ करोड़ ५२ लाख की बचत हुई और १९५८-५९ का जिक्र अभी मैं कर चुका हूं। तो इस सब से कितना बड़ा वित्तीय असंतुलन होता है। माननीय वित्त मंत्री जी वित्तीय मामलों के पंडित हैं। वह समझते होंगे कि इस से राज्य की वित्तीय स्थिति में कितनी गड़बड़ी होती है।

इसी प्रकार श्रीमन्, आप देखेंगे कि असंतुलन केवल बजट के ऐस्टीमेटिंग में ही नहीं है, बल्कि जो आमदनी है उसके ऐस्टीमेटिंग में तो असंतुलन और भी ज्यादा लगता है। हमारी कितनी आमदनी होती है इसकी ठीक-ठीक जानकारी होना बड़ी जरूरी चीज है। रिसोर्सेज के बिना प्लान नहीं बन सकता और इसलिये रिसोर्सेज का ऐस्टीमेटिंग सही होना चाहिये। तो रिसीट्स का ऐस्टीमेट देखिये। १९५४-५५ में कहा गया कि ७७ करोड़ रुपया हमारी आमदनी होगी, लेकिन हुई ७८ करोड़। मान लिया कि १ करोड़ की कोई खास गलती नहीं है। लेकिन आगे चल कर १९५६-५७ में आप देखें जहां कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ होता है ८५ करोड़ ३६ लाख रुपये का ऐस्टीमेट था रिसीट्स का, रिसीट्स हुई ८९ करोड़ ९६ लाख, कुल ४ करोड़ ६० लाख की वृद्धि हुई है। १९५७-५८ में ९६ करोड़ की रिसीट्स का ऐस्टीमेट था जो बढ़कर १०४ करोड़ २८ लाख रुपया हो गया। ८ करोड़ २८ लाख रुपया ज्यादा हो गया। १९५८-५९ में १०८ करोड़ का ऐस्टीमेट था रिसीट्स का, जो अंत में चल कर ११७ करोड़ हो गया है और इस तरह से ९ करोड़ रुपये की ज्यादा रिसीट्स हुई। और इसी का एक नतीजा था कि आज आपके पास इतना रुपया हो गया कि उसे आपने रेवेन्यू रिज़र्व फंड को ट्रान्सफर कर दिया और सिंकिंग फंड को भी दे दिया।

यह तो रहा रेवेन्यू एक्सपेंडीचर का मामला, अब लीजिये कैपिटल एक्सपेंडिचर को। पूंजी व्यय को लीजिये। इसमें श्रीमन्, एक दूसरा सिद्धांत निहित है। पूंजी व्यय रेवेन्यू से नहीं होता, जो कर्ज में रुपया मिलता है, वह है या डिपाजिट हेड्स आदि का रुपया ही पूंजी व्यय में लगता है। तो यह देखने और विचार करने की चीज है कि यह व्यय कैसे होता है। डिपाजिट हेड्स में रुपया बढ़ता रहे यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। कर्ज जनता हमें ज्यादा देती रहे, ओवर सब्सक्राइब करती रहे, भारत सरकार हमें प्रतिवर्ष ज्यादा से ज्यादा सहायता

देती रहे, यह खुशी की बात है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडीचर कम होता रहे---एक तरफ एस्टीमेट्स कम होते रहे और दूसरी तरफ एस्टीमेटेड कैपिटल एक्पेंडीचर को भी खर्च न किया जाय, दोनों तरफ गलतियां---इसकी मिसाल देना चाहता हूं। १९५४-५५ में पूंजी व्यय के २,०२२ लाख के एस्टीमेट्स और एक्सपेंडीचर १६ करोड़। १९५५-५६ में एस्टीमेट्स ३२ करोड़ और एक्सपेंडीचर २६ करोड़। १९५६-५७ में ४२ करोड़ का एस्टीमेट था और एक्सपेंडीचर हुए ३८ करोड़। १९५७-५८ में ४७ करोड़ के एस्टीमेट्स थे और कैपिटल एक्सपेंडीचर कुल ३३ करोड़। १९५८-५९ में एस्टीमेट्स ३२ करोड़ और एक्सपेंडीचर २४ करोड़। तो यह लगातार पूंजी व्यय का कम होना ऐसा मालूम होता है कि एक प्लांड तरीके से यह किया जा रहा है।

इसके साथ ही साथ मैं आने वाले वर्ष के बारे में, स्पष्टतया कहना चाहता हूं कि यू० पी० सरकार को केन्द्रीय सरकार से और यू० पी० की जनता से कुल मिला कर ४,४३० लाख रुपया कर्ज लेगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडीचर कुल इस वर्ष में रखा जा रहा है २,६९९ लाख। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बाकी १७ करोड़ कुछ लाख रुपया क्या होगा? जो कैपिटल रिसोर्सेज आपके पास हैं उनका पूरा उपयोग कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिये नहीं कर रहे हैं, इसका कारण है राज्य की इंडेब्टेडनेस---राज्य के पुराने कर्जे। करीब साढ़े सत्रह करोड़ रुपया हमें ब्याज में देना पड़ रहा है, यानी लोन हम इसलिये ले रहे हैं कि पुराने कर्ज या उसके ब्याज की अदायगी करें।

अब माननीय वित्त मंत्री जो शायद कहें कि यह तो कनवेंशन बन गया है कि लोन इसलिये लेते हैं कि लोन की अदायगी करें, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि किस वित्त शास्त्री ने यह सिद्धांत स्वीकार किया है? डाल्टन, ऐडम स्मिथ, कीन्स या---किसने? मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी "डाल्टोनियन" हैं, "किनोशियन" हैं, ऐडम स्मिथ के मानने वाले हैं या मार्क्स के मानने वाले हैं? यह पता नहीं है। किसी सिद्धान्त में मुझे यह पढ़ने को नहीं मिला कि राज्य को लोन की अदायगी लोन से करनी चाहिये, हां, यह ठीक है कि रेवेन्यू एकाउन्ट से करें, बहुत से कैपिटल एकाउन्ट से भी करते हैं, लेकिन वैसे रेवेन्यू एकाउन्ट से किया जाता है। इस दृष्टिकोण से मैं जानना चाहता हूं कि इसमें सरकार की नीति क्या है? आजतक किसी बजट भाषण में मुख्य वित्तीय नीतियां स्पष्ट नहीं की गयी हैं। हां, मंत्री जी ने कभी-कभी उत्तर दिये और संक्षेप में किसी एक नीति का उल्लेख कर दिया, लेकिन कोई सुनिश्चित नीति नहीं बतलायी।

अब इसका एक दूसरा पहलू भी है। बजट को कार्यान्वित करने की जो नीति है इसमें और भी गलतियां हैं जिसका पता चलता है अप्रोप्रियेशन और आडिट रिपोर्ट से। उससे पता चलता है कि जितना रुपया इस सदन ने बजटों में स्वीकार किया उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अन्त में बचत के रूप में परिणत हो जाता है। १९५४-५५ में ११,७७ लाख 'टोटल-सेविंग' रेवेन्यू एकाउन्ट में हुई जोकि पूरे बजट का ९.५ प्रतिशत होती है। १९५५-५६ में २३,६९ लाख की बचत हुई जोकि कुल बजट का १५ प्रतिशत है। १९५६-५७ में १८,४२ लाख की बचत हुई जोकि कुल बजट की ११ प्रतिशत है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हम 'बजट एग्जिक्यूशन' में अभी तक असफल रहे हैं।

माननीय मंत्री जी सुझाव चाहते हैं। मैं आपकी आज्ञा से इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अभी कुछ वर्ष हुए भारत सरकार ने फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की शक्ति को थोड़ा विकेन्द्रित कर दिया था और दूसरे हेड आफ डिपार्टमेंट्स को वित्तीय शक्ति दे दी थी कि अगर एक बार अनुदान मंजूर हो जायें बजट बनाने के पहले वाली स्टेज में फाइनेन्स डिपार्टमेंट किसी आइटम का, किसी स्कीम का पूरा अन्दाजा लगा ले, तो फिर विभाग को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वह उस सीमा के अन्दर जिसे फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट पहले स्वीकार कर चुका है, उस सीमा के अन्दर, उस वर्ष के अन्दर, रुपया खर्च कर सके। तो इस प्रकार की डेलीगेशन आफ पावर्स वहां हो चुकी है। श्रीमती रेणुकाराय की जो रिपोर्ट है सन् १९५९ की, और हमारी इकोनामी कमेटी जो है उसकी सब-कमेटी ने भी यही सिफारिश राज्य सरकारों के लिये की है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि अगर हम पुराने बजट बनाने के तरीकों से ही अपनी प्लानिंग को चलाना चाहते हैं तो वह नहीं चल सकती

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

है। बजट बनाने के, उसको एग्जीक्यूट करने के जो सही तरीके हैं, उनको हमें अपनाना पड़ेगा। हम चाहते तो हैं कि हमारी प्लान्स में जल्दी हो, लेकिन तरीका वही पुराना अपना आ रहा है।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि कोई लम्पसम (एक मुश्त) प्रावीजन बजट में न किया जाय। लम्पसम 'एलाटमेन्ट' कर दिया जाता है, बाद में वह स्कीम बनती है, फिर उसकी जांच होती है, वित्त विभाग में जांच होती है, दो-दो, तीन-तीन बार जांच होती है, और बाद में वह रुपया अधिकांशतः लैप्स हो जाता है। इस तरह से जो रुपया बच जाता है, राज्य के रिसोर्सेज का सदुपयोग स्वीकृत होने के वर्ष के अन्दर नहीं हो पाता है। तो इस तरह के सिस्टम के ऊपर पूरा-पूरा विचार होना चाहिये।

दूसरे भारत सरकार को हमें इस बात के लिये मजबूर करना चाहिये कि वह समय से हमें ग्रान्ट्स दे। श्रीमन्, मेरे सामने माननीय वित्त मंत्री का वह पुराना बजट का भाषण रखा है जिसमें यह कहा गया है, इसी सदन में कि भारत सरकार से अब यह शिकायत नहीं रहेगी कि प्लान आइटम्स का रुपया समय से नहीं देती है। हर महीने प्लान आइटम का रुपया समय से मिल जायेगा, यह तय हो चुका है। यह बात इसी सदन में कही जा चुकी है। अगर यह तय हो चुका है और अगर रुपया भारत सरकार से समय से मिलता रहा है तो फिर क्या कारण है कि आज भी बजट भाषण में यह दिया हुआ है कि पौने दो करोड़ रुपया प्लान आइटम्स का नहीं मिल पाया है। अगर यह सही है तो जो तीन साल पहले केन्द्र द्वारा जो वायदा किया गया था उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि भारत सरकार से जो राजीनामा हुआ था या जो नियम आदि बने थे वे लागू नहीं किये गये।

तीसरा सुझाव यह है कि फ्रांस में एक व्यवस्था है जिसका कि हम यहां पर उपयोग कर सकते हैं। फ्रांस में प्रत्येक विभाग में एक फाइनेंशियल एडवाइजर रहता है। वह हर मामले में आवश्यक सुझाव देता रहता है। तो जो हमारे यहां पर बड़े-बड़े खर्च वाले डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इरीगेशन विभाग है, पी० डब्लू० डी० है या और जो बहुत ज्यादा खर्च करने वाले विभाग हैं, वहां पर या जो हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स हैं जैसे चीफ इंजीनियर वगैरह, वहां पर उनकी सहायता के लिये अगर इसी तरह का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर रहे तो वह फाइनेन्स विभाग की ओर से फाइलों वगैरह को देख कर काम को जल्दी कर सकेगा। इस तरह से काम में अनावश्यक देर नहीं होगी।

श्रीमन्, अब मैं आगे चल कर जो अन्य वित्तीय मामले हैं उनके संबंध में भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस बजट में ८ करोड़ रुपये के कर्जे की बात कही गई है जो इस साल कर्ज लिया जायगा, लेकिन श्रीमन्, बजट भाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मेमोरेंडम में एक जगह उल्लेख है कि ८ करोड़ रुपये कर्ज लेंगे लेकिन उसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि यह कर्ज किस ब्याज पर लेंगे। आप सदन के सामने एक बजट मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं लेकिन आपने अभी तक यह तय नहीं किया कि किस आधार पर आप लेंगे, यह आश्चर्य की बात प्रतीत होती है।

इसी प्रकार एक जगह यह कहा गया है कि स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक 'माइनस एकाउन्ट' लिख कर के बहुत सा रुपया, करीब ६५ करोड़ के लगभग बतौर कर्ज के दिया जा रहा है। रिहन्द को छोड़ कर बाकी सारा बिजली का इंतजाम एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिया जा रहा है, अच्छा है जरूर दिया जाना चाहिये। इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन राज्य के असेट्स कितने हैं इसकी अभीतक कोई इन्वेंटरी नहीं बनी है। लायबिलिटीज हमको मालूम हैं कि कितना हमको भुगतान करना है। श्रीमन्, आप मेमोरेंडम देखें उसके आखिरी पेज पर दिया हुआ है कि राज्य के बहुत से मकान हैं, बहुत से कारखाने हैं लेकिन राज्य के पास कितने असेट्स हैं इसके पूर्ण मूल्य का अभी तक ठीक पता नहीं है। मैं चाहूंगा कि हमारा वित्त विभाग और हमारे वित्त मंत्री इसकी पूरी चेष्टा करें और राज्य की सही-सही असेट्स की इन्वेन्टरी बनायें।

मैं नहीं समझ पाता कि इसके बने बिना उन्होंने कैसे पता लगा लिया कि इतने मूल्य के असेट्स एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ट्रांसफर करने हैं। मैं यह भी समझता हूं कि इन बिजली के असेट्स का तखमीना गलत लगाया गया है। मैंने पुराने कागजात को देखकर जो एक अन्दाज लगाया है उसके अनुसार हमारे पास एक अरब पये से ज्यादा के बिजली के कारखाने हैं या शायद जो ट्रांसमिशन्स लाइन हैं उनके मूल्य को अभी नहीं जोड़ा गया है जोकि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ट्रांसफर किये गये हैं।

श्रीमन्, मैं एक दूसरी गलती की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चहता हूं और वह यह है कि १९५९-६० का जो रिवाइज्ड बजट है उसे मेमोरेंडम का पेज १७ है उसको आप देखें। इसमें एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को केवल एक लाख रुपये का लोन दिया गया। तब १९५९-६० असेट्स ट्रांसफर नहीं हुये थे लेकिन ब्याज बोर्ड से वसूल कर लिया गया २ करोड़ ३१ लाख रुपये का। यह ब्योरे के तखमीने के पेज ४७९ में लिखा हुआ है। तो श्रीमन्, क्या चमत्कार है, कौन-सा वित्तीय नियम है कि लोन एक लाख रुपये का दें और ब्याज वसूल करें २ करोड़ ३१ लाख। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि यह केवल बुक एडजस्टमेंट है। मैं कहता हूं कि अगर बुक एडजस्टमेंट भी करें तो उसको सही-सही तो करें। जब १९५९-६० के वित्तीय वर्ष में स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को असेट्स ट्रांसफर नहीं किये गये तो ब्याज कहां से २ करोड़ ३१ लाख उनसे वसूल कर लिया गया। मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण दें। इस संबंध में एक दूसरी बात यह है कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो सारे पदाधिकारी हैं, सभी कर्मचारी हैं उनका खर्चा भी एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करेगा, उसकी व्यवस्था १९५९-६० में की गई है तथा ब्याज का वसूल करना यहां दिखला दिया गया है। पर एसेट्स ट्रान्सफर नहीं किये हैं।

अब श्रीमन्, राज्य की जो कर्जे की स्थिति है उसके संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस समय हमारे राज्य के ऊपर जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले वर्ष कहा था उसी को सही मानकर चलता हूं २८२ करोड़ रुपया कर्ज है। इसमें मैं रिहैबिलिटेशन बांड्स और जमींदारी बांड्स को छोड़े दे रहा हूं। इस २८२ करोड़ रुपये के कर्ज में से २१८ करोड़ रुपया केंद्र का है जोकि कुल कर्जे का ७७ प्रतिशत है और बाकी ६४ करोड़ राज्य का अपना है। श्रीमन्, दूसरे राज्यों के ऊपर उनकी अपनी जनता का कितना कर्ज है उसकी भी मेरे पास एक सूची है। मध्य प्रदेश पर ११ करोड़, बाम्बे पर ५८ करोड़, आंध्र पर ११ करोड़, बिहार पर ४ करोड़, केरल पर ६ करोड़, मद्रास पर ५६ करोड़, वेस्ट बंगाल पर २२ करोड़, पंजाब पर २६ करोड़ और राजस्थान पर ३ करोड़ कर्जा है। इस प्रकार से अपनी जनता से कर्जा लेने में भी हमारी सरकार आगे मालूम होती है। यह कोई बहुत बुरी बात नहीं है, इसलिए मैं इसका कोई विशेष आलोचना नहीं करना चाहता, मैं केवल वित्तीय नियमों की बात बतला रहा हूं। जिस प्रकार से कर्जा ज्यादा लेने की नीति से हमें अतिरिक्त रिसोर्सेज तो मिल जाते हैं लेकिन जो आगे आने वाली सरकार है उस पर बड़ा भारी बोझ भी तो पड़ जाता है। आज से ५-१०, १५-२० वर्ष के बाद जब हमारे कोई माननीय साथी हुकूमत बनायेंगे तो उस हुकूमत के वित्त मंत्री को शायद आधा या कोष से थोड़ा कम बजट तो कर्जे की अदायगी में लगा देना होगा। लेक्ट्रिसिटी और पावर का १०-२० करोड़ रुपया तो ब्याज के दे में ही निकल जायगा। इसलिये वित्त मंत्री जी अपनी पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना का भी खयाल रखें। लांग टर्म प्लानिंग के हिसाब से हमें आगे की योजनाओं का भी तो खयाल रखना होगा। इस योजना के लिये हम कर्जा अवश्य लें लेकिन हमें आगे के अपने औसत को भी ध्यान में रखना होगा और अपनी हैसियत के अनुसार ही कर्जा लेना होगा। इसलिये मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि जितने भी कर्जे लिये जायें, उनकी एक सीलिंग मुकर्रर होनी चाहिये। उस सीलिंग को यह विधान मंडल मुकर्रर करे। उस सीलिंग से ज्यादा कर्जा विधान मंडल की स्वीकृति से ही लिया जाय। इस तरह की बात कोई वित्त मंत्री महोदय के ऊपर आक्षेप नहीं है। वह तो सभी सरकारों के लिये होगी। [फल को

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कोई मिली-जुली हुकूमत होती है या कोई दूसरे किस्म की सरकार होती है तो उन सब के लिये हमें विधान बनाना है। इसलिये सीलिंग आफ लोन्स अवश्य होनी चाहियें।

राज्य सरकार के पास केन्द्र का २१८ करोड़ रुपये का कर्जा है लेकिन इस कर्जे के रिपेमेंट के लिये कोई सिंकिंग फंड कायम नहीं किया गया है। केवल इस वर्ष ४ करोड़ रु० लिक्विडेशन सिंकिंग फंड को दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो वर्ष पूर्व कृपा करके सदन को बताया था कि हम सिंकिंग फंड कायम करना चाहते थे लेकिन प्लानिंग कमीशन ने उसके लिये मना कर दिया। लेकिन इस साल ४ करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। मैं इस सरकार से और प्लानिंग कमीशन से भी, अगर उस तक मैं अपनी आवाज पहुंचा सकूं, तो कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का वित्तीय कंट्रोल प्लानिंग कमीशन कर रहा है, वह ठीक नहीं है। दो साल तक तो उसने कहा कि सिंकिंग फंड की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन दो साल के बाद कह दिया कि रुपया दे दीजिये। फिर सिंकिंग फंड रेवेन्यू एकाउन्ट से होना चाहिये न कि केपीटल एकाउन्ट से। अगर केंद्रीय सरकार ने कल को २० करोड़ रुपया मांगा तो प्रांतीय सरकार उसको कहां से देगी। वास्तव में सही बात यह है कि आज चाहे वह हमारी प्रांतीय सरकार हो, चाहे केंद्रीय सरकार का वित्त विभाग हो, अभी तक बजट बनाने के संबंध में सोशलिस्टिक प्लानिंग को निभाने के संबंध में अपनी बजटरी पालिसी को वे ठीक प्रकार से बना नहीं सके हैं। वित्त मंत्री जो कहेंगे कि हम क्या करें? बहुत-सी बातें हमारे हाथ में हो नहीं हैं, ऊपर से केन्द्र जैसा होता है वैसा हमें कहना पड़ता है। लेकिन क्या माननीय मंत्री जी ने केंद्रीय सरकार को इसके बारे में लिखा है कि उनकी क्या राय है? अगर उसको ऊपर से नहीं माना जाता तो क्यों नहीं सदन को बताया जाता है, क्यों सदन को विश्वास में नहीं लिया जाता। अगर वे सदन को बतायें तो उन्हें उसका समर्थन प्राप्त होगा और नयी वित्तीय परम्पराओं को कायम करने में उनको बल मिलेगा। लेकिन खेद का विषय है कि वित्त मंत्री जी और इस सरकार को सदन में पूरा-पूरा विश्वास नहीं हो रहा है। अब वह समय आ गया है कि हम अपनी इस वित्त संबंधी नीति को क्रांतिकारी मोड़ देने के लिये सदन को विश्वास में लें और भारत सरकार और प्लानिंग कमीशन को उसके लिये मजबूर करें। साध्य पर पहुंचने के लिये हमें साधन जोड़ने होंगे और उसके लिये हमें अपनी नीति को बदलना होगा। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस कर्जे के अनुदान के संबंध में सचेत करना चाहता हूं और उनसे मांग करता हूं कि वे इस संबंध में जल्दी ही कदम उठावें।

एक बात और इस वित्त नीति के संबंध में मुझे कहनी है जो फंड और एकाउन्ट के संबंध में होगी। पहले जो हमारे राज्य का फंड है उनको मैं लेना चाहता हूं। फेमिन रिलीफ फंड को आप लें। इस सदन के बनाये हुए कानून के अनुसार फेमिन रिलीफ फंड में ५५ लाख रुपया हमेशा जमा रहना चाहिये। लेकिन यह मेमोरेंडम हमको बतलाता है और उससे स्पष्ट होता है कि ३१ मार्च, १९५९ को फेमिन रिलीफ फंड में माइनस एकाउन्ट था यानी ५१ लाख रुपया ओवर ड्रा कर लिया गया है। आखिर यह कैसे हुआ? जब सदन का यह कानून बना हुआ है कि हर समय, हर हालत में ५५ लाख रुपया जमा रहना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह सदन द्वारा बनाये हुए विधान की अवहेलना है। जहां तक डिप्रीसिएशन रिजर्व फंड की बात है, मुझे कहते हुए खुशी होती है कि डिप्रीसिएशन रिजर्व फंडों की हालत और सालों से अच्छी है। उस फंड से जरूरत पर रुपया लिया गया है और उस फंड में रुपया बढ़ा भी है। इसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री और संबंधित विभाग को बधाई देता हूं। अलग-अलग मैं सब फन्डों का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन नाम-वार जो फंड बजट में हैं वे केवल नाममात्र के हैं। वे फंड क्यों इस प्रकार रखे गये हैं, इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं? नाम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन दर्शन जब मैं उस फंड का करता हूं तो उनको नाममात्र का ही पाता हूं। जैसे हास्पिटल फंड में ९,७५,००० रु० रखा गया है जो कई साल से लगभग ऐसा ही आ रहा है। हिन्दी जो हमारी राष्ट्रभाषा उसमें है, हिन्दी फंड में केवल २७,००० रु० है, स्टेट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फंड में ४,२७,००० रु० जमा है और एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिलीफ फंड में कुल ६,७५,००० रु०

जमा है। तो ये चार फंड ऐसे हैं जो कि दो-दो, चार-चार साल से चले आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि जब से ये फंड बनाये गये थे तो इस हिसाब से बनाये गये थे कि इसमें कहीं से रुपया आवे और उनका सदुपयोग हो सके। लेकिन इधर जैसी हालत है उसको देखते हुए मेरा सुझाव है कि इन फंडों को या तो लिक्वीडेट कर दिया जाय या इनको उचित जगह से घन दिया जाय। यह तो फंडों की बात रही।

अब आगे चल कर मुझे प्रसन्नता प्रतीत होती है कि इस वर्ष कुछ नये प्रोफार्मा एकाउन्ट बजट में दिये गये हैं और माननीय मंत्री जी ने पिछले वर्ष बजट के मौके पर जो इस तरह का कुछ आश्वासन दिया था उसकी उन्होंने कुछ पूर्ति की है। इस वर्ष के बजट में चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के प्रोफार्मा एकाउन्ट तथा प्रिसिजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री के प्रोफार्मा एकाउन्ट के साथ-साथ सिंकिंग फंड एकाउन्ट ये तीन चीजें बढ़ी हैं। इसमें सिंकिंग फंड का एकाउन्ट तो जरूर है लेकिन यह पता नहीं चलता कि कौन सिंकिंग फंड है, कौन लिक्वीडेशन फंड है और कौन डिप्रिसिएशन फंड है, और कितना है। यह स्पष्ट होना चाहिये और यह एकाउन्ट विधान मंडल को देना चाहिये, साथ ही साथ इन तीन आइटम्स के अलावा और भी बहुत से आइटम्स हैं जिनका प्रोफार्मा, एकाउन्ट सदन के सामने आना चाहिये। जैसे यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स, मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म्स अलीगढ़, स्टेट डेरी, शारदा हाइडल, टरपेंटाइन फैक्ट्री वगैरह वगैरह। अगर इनका एकाउन्ट भी सदन के सामने आ जाय तो उससे सही पिक्चर सामने आ सकती है। साथ ही साथ जहां प्रोफार्मा एकाउन्ट दिखलाया जाय वहां ऐक्रूड इनकम ओर्पानिंग व क्लोंनिंग स्टाक तथा ऋण दायित्व आदि भी दिखलायी जानी चाहिये। आशा है कि अगले साल से चुर्क सीमेंट फैक्ट्री तथा प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री के प्रोफार्मा एकाउन्ट के साथ ये सारी चीजें वर्णित की जायंगी।

नलकूप की वित्तीय दशा के विषय में माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वे इस साल नलकूपों पर ५० प्रतिशत की छूट देने जा रहे हैं। सामुदायिक विकास योजना के लिये और नलकूपों के वर्किंग के बारे में सदन में कई बार जो मांग हुई उसको मैं दोहराना चाहता हूं। पिछले साल भी यह बात कही गई थी और इधर के और उधर के माननीय सदस्यों ने, सब ने कहा था। आप देखें कि ट्यूबवेल में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की रकम ५१-५२ में १७ करोड़ थी वह अब ६०-६१ में ३१ करोड़ हो रही है, इस तरह से उसमें करीब १०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन घाटे का जो अनुमान है वह ५१-५२ में १२ लाख रुपये का था जो ५८-५९ में २ करोड़ १६ लाख हो गया और अगले वर्ष का जो अनुमान है वह २ करोड़ ३२ लाख दिखाया गया है, यानी इतने का घाटा नलकूप में होगा। इस का क्या कारण है? मुझे यह सब कहते हुए कोई खुशी नहीं होती। मंत्री जी यह न समझें कि मुझे इस घाटे से खुशी है, मुझे तो इस का बहुत दुख है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसी हालत नहीं रहनी चाहिये। हम देख रहे हैं कि माननीय मंत्री जी ने एलान तो किया कि ५० प्रतिशत रेट्स कम होंगे लेकिन उसका एस्टीमेट नहीं किया, एस्टीमेट में घाटा कुल १६ लाख का दिखाया है लेकिन अगर ५० प्रतिशत सब्सिडी हो तो दुगुना घाटा होना चाहिये था। इस तरह से वह एलान भी गलत हुआ। दूसरी तरफ सरकार को आगे के लिये तो सचेत होना चाहिये कि माननीय वित्त मंत्री जी की क्या पालिसी है और माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या घोषित किया था। उन्होंने कहा था कि आगे पक्के कुयें ज्यादा बनेंगे लेकिन हमें खेद और आश्चर्य है कि उस नीति को अब परिमार्जित और संशोधित किया गया है और इस चीज को इस बजट भाषण में साफ नहीं किया गया, बजट के देखने से यह स्पष्ट नहीं होता कि इस नीति का प्रभाव क्या पड़ा है बल्कि देखने से पता ही नहीं लगता कि वह नीति कहां लागू हो रही है। हम नलकूप बनाने के खिलाफ नहीं हैं वे जहां अन्य कोई साधन नहीं हो सकते वहां अवश्य बनें लेकिन आमतौर पर यह मानना कि सिंचाई नलकूपों से ही बढ़ेगी इसमें संशोधन की जरूरत है। यह बड़े खेद की बात है कि २ करोड़ ३२ लाख का घाटा हम ट्यूबवेल पर दें और वे बिना बिजली के बने पड़े रहें।

इसी तरह से राज्य की कैनाल्स का मसला है, उन के भी बराबर रेट्स बढ़े हैं जबकि जनता उन को बराबर घटाना चाहती है। चालू वित्तीय वर्ष में इस में १ करोड़ ३७ लाख

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

का घाटा होगा। सन् १९५१-५२ में १ करोड़ ५२ लाख की आय थी वह अब तब्दील हो रही है १ करोड़ ३७ लाख के घाटे में। इस का क्या कारण है? हमारे यहां दो तरह की नहरें हैं, एक तो प्रोडक्टिव और दूसरी अनप्रोडक्टिव। सदन का विश्वास प्राप्त करने के लिये माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहिये था कि प्रोडक्टिव कैनाल्स कौन हैं और अनप्रोडक्टिव कैनाल्स कौन हैं और उन का प्रोफार्मा अकाउन्ट अलग अलग देना चाहिये था ताकि अन्दाजा हो सकता कि किस तरह से वर्किंग हो रही है, लेकिन खेद है कि बजट भाषण में वह चीज नहीं रखी गई लेकिन अब कम से कम माननीय सिंचाई मंत्री जी अपने विभाग की रिपोर्ट में यह सब ब्योरा बतला सकते हैं और मैं चाहता हूं कि इस ब्योरे को देने की प्रणाली बन जाय।

अब इस प्रसंग में मैं यह भी कहूंगा कि श्री के० सन्थानम जो सेकेंड फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे उन्होंने सुझाव दिया है कि जितने हमारे पूंजी व्यय हैं उनको ३ भागों में बांटा जाय—प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव और सेमीप्रोडक्टिव। परन्तु हमारे यहां इन तीनों की मिली-जुली खिचड़ी है। प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव और सेमी प्रोडक्टिव खर्चा सब एक साथ मिला दिया जाता है। प्लान एक्सपेंडीचर में रुपया मंजूर कराया जाता है टाइपराइटर खरीदने के लिये। यह सेकिंड प्लान के आइटम हैं, स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में टाइपराइटर खरीदने के लिये, गोंडा के बंगलात में टेलीफोन के लिये, सायकिल शेड बनाने के लिये, व्हाइट वाशिंग के लिये और यू० पी० के हैल्थ मिनिस्टर साहब के चैरिटी फंड के लिये ३० हजार रुपया। चैरिटी फंड के लिये ३० हजार रुपया लेते हैं तो जरूर लें, बल्कि पचास हजार लें, लेकिन प्लान के खर्चे से क्यों लिया जाता है? उसे आर्डीनरी आइटम में लें। आश्चर्य की बात है कि आर्डीनरी एक्सपेंडीचर को प्लान के एक्सपेंडीचर में रखा जाता है। फायनेंस डिपार्टमेंट कैसे इसको मान लेता है, यह भी आश्चर्य की बात है। प्लान के खर्चे को और कैपिटल खर्चे को सही-सही मदों में बांटना चाहिये और आर्डीनरी खर्चे को प्लान के बजट में नहीं होना चाहिये।

अब मैं "केसा" के प्रोफार्मा एकाउन्ट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मालूम होता है कि बहुत जल्दी में बजट तैयार किया गया है। नुकसान हो रहा है १९ हजार रुपये का लेकिन इसमें प्राफिट दिखलाया गया है .०३ प्रतिशत का। इसी प्रकार और भी गलतियां हैं जैसे मेमोरेंडम में जहां रेवेन्यू रिसीट्स का एक्सप्लेनेशन है वहां रेवेन्यू एक्सपेंडीचर छाप दिया गया है हेड में। इस तरह की कई छोटी-मोटी गलतियां हैं।

अब मैं कुछ विभागीय आम बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो वित्त मंत्री जी ने कही हैं, जैसे कृषि विभाग के बारे में। अगर हम कृषि को लें तो यह बात सही है कि रुपया काफी खर्च हो रहा है। और सालों से एग्रीकल्चर के लिये बहुत प्रोविधान बढ़ाया गया है। लेकिन इसका परिणाम क्या हो रहा है, यह भी देखना है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का जो जनरल इंडेक्स है वह ५४-५५ में १२२ था, सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो सन् १९५७-५८ में १११.८ हो गया। इसी प्रकार जूट के उत्पादन को देखिये। सन् ५७-५८ में ७ लाख ७० हजार टन और फिर घट कर ६ लाख ९० हजार टन ही रह गया। ५७-५८ में ३ लाख मन कपास उत्पादित हुई पर ५८-५९ में १ लाख ६० हजार मन रह गई।

(इस समय १२ बज कर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री गेंदासिंह, पीठासीन हुए।)

मैं अब गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया की बुलेटिन की कुछ दूसरी फिगर्स दे रहा हूं। चावल यू० पी० में ४९-५० में प्रति एकड़ ६२१ पौंड होता था जो ५७-५८ में ५३१ पौंड रह गया। फर्टीलाइजर्स देते रहे और सब कुछ होता रहा, लेकिन नतीजा यह हुआ। गेहूं की पैदावार ४९-५० में प्रति एकड़ ७०६ पौंड थी जो ५७-५८ में ६५५ पौंड रह गई। जो ४९-५० में ७१६ पौंड था और ५७-५८ में घट कर ६४१ पौंड रह गया। गेहूं, चावल, जौ इनकी पैदावार कम हुई। बढ़ी कौन-सी? जिसके लिये रबी

और खरीफ आन्दोलन नहीं किया। ज्वार, बाजरा और मक्का की पैदावार बढ़ी। ज्वार १९४९-५० में प्रति एकड़ ४३७ पौंड होती थी वह बढ़ कर १९५७-५८ में ५२२ पौंड हो गई। इसी प्रकार बाजरा १९४९-५० में पर एकड़ ३२७ पौंड से बढ़ कर १९५७-५८ में ५०१ पौंड हो गई। तो इस प्रकार से श्रीमन्, इसकी जांच होनी चाहिये कि क्या केवल सूखा और बाढ़ होने से ही यह बात है या कोई और कारण है? या हम नये तरीके भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और पुराने तरीके भी छोड़ रखे हैं और एक बेमेल खिचड़ी के कारण गेहूं, धान आदि की पैदावार कम हो गई है? अगर मैं गलत न कहूं और शायद माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात के साक्षी होंगे कि पिछले वर्ष रबी आन्दोलन करने में हम सबसे पहले थे और यह मानना पड़ेगा कि रबी आन्दोलन में सामुदायिक विकास योजना के कर्मचारी लोग पहले-पहल किसान के घर तक पहुंचे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि वह राज्य जहां रबी आन्दोलन नहीं हुआ था हमसे आगे रहे। मैं यह नहीं कहूंगा कि उन राज्यों ने आंकड़े बढ़ा दिये, लेकिन हमारे प्रदेश का नम्बर करीब-करीब आखिर में रहा। रबी आन्दोलन, खरीफ आन्दोलन में सारी सामुदायिक विकास प्रशासन की शक्ति लगा दें और परिणाम यह रहा। इसकी जांच होनी चाहिये। कृषि विभाग के स्तर पर भी जांच होनी चाहिये और जो रिसर्च करने वाले हैं उन्हें भी जांच करनी चाहिये कि इसका कारण क्या है। तो कृषि विभाग के सम्बन्ध में मेरा यही निवेदन है।

अब रही सामुदायिक विकास योजना की बात। ठीक है, यह सब से बड़ी योजना है और कहा जाता है कि यह हमारे देश में क्रान्तिकारी परिवर्तन करेगी। इसके कई मूल्यांकन भी हुए हैं, बलवन्त राय मेहता कमेटी तथा हमारे यहां गोविन्द सहाय कमेटी ने इसका मूल्यांकन किया। लेकिन मैं एक बुनियादी बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां इतनी बात मैं पहले निवेदन कर दूं कि आंकड़े बहुत से गलत हैं। किसी रिपोर्ट में कुछ छपे हैं और किसी में कुछ। मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ८-९ साल से यह होता रहा है कि आंकड़ों में तारतम्य नहीं हो पाता जब कि इसके लिये बराबर मेरी मांग रही है। क्या कारण है कि एक ही आंकड़े सब जगह क्यों नहीं छपते? मैं आज तक इसका कारण नहीं समझ पाया। मैं कहता हूं इसकी जांच होनी चाहिये। इन सब को देख कर शर्म आती है।

कम्युनिटी डेवलपमेंट, नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम की एक कमजोरी सब मानते हैं कि यह योजना गरीबों तक नहीं पहुंच पायी है। जो भूमिहीन हैं, खेतिहर मजदूर हैं और जो छोटे लोग हैं, जिनकी हैसियत नहीं है, उन तक यह सामुदायिक विकास योजना अपने पूर्ण प्रारूप में नहीं पहुंच पायी। नतीजा यह हो रहा है कि हम समाजवाद की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। जिस सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी की स्थापना की सरकार कोशिश कर रही है और जिसकी ओर सामुदायिक विकास योजना का पूरा जोर होना चाहिये वह इस वर्तमान ढांचे के फलस्वरूप कल्याणकारी तो हो सकती है लेकिन समाजवादी नहीं हो सकती।

कई सुझाव दिये गये कि हैसियत का जो सवाल अनुदान और ऋण देने में होता है, उस पर पुनर्विचार किया जाय। बलवन्तराय मेहता कमेटी और गोविन्द सहाय कमेटी ने इस ओर ध्यान दिलाया था, पर निर्णय कुछ नहीं हुआ।

इंडस्ट्रीज का जिक्र करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने बतलाया कि फैक्टरीज को लाइसेन्स दिये गये हैं। इस बात से कौन सहमत नहीं होगा कि हमारे प्रदेश का औद्योगीकरण हो और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूर्णतया सहमत हूं कि प्रदेश का औद्योगीकरण हमारे जन्म-मरण का प्रश्न है। पर क्या हम उद्योगों को वह प्राथमिकता दे पाये हैं जो हमें देना चाहिये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों को तीसरा स्थान दिया है और यह भी गारंटी नहीं है क्योंकि हम अपने कृषि के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाये हैं। यह भी गारंटी नहीं है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम उद्योगों को प्राथमिकता दे पायेंगे।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

केवल लाइसेन्स देने से फैक्टरी नहीं बनती। प्रश्न यह है कि फैक्टरीज खोलने के लिये रुपया कहां से आये ? यह है म्याऊं का ठौर। मिक्स्ड एकोनामी में पब्लिक सेक्टर उद्योग धन्धे चलाये या प्राइवेट सेक्टर उद्योग धन्धों को खोलें। लेकिन अभी तक राज्य सरकार यह ठीक तय नहीं कर पाई कि कौन से उद्योग धन्धे वह पब्लिक सेक्टर में खोलेगी और कौन से उद्योग धन्धे वह प्राइवेट सेक्टर में खोलेंगे।

फिर एक बात यह भी है कि प्राइवेट सेक्टर हमसे बंधा नहीं है। जो इस प्रदेश या देश के पूंजीपति हैं वे प्लान को मानें इसकी निश्चित जिम्मेदारी उनकी नहीं है। प्लान बन जाता है कि इतना प्राइवेट सेक्टर का एलाटमेंट होगा, लेकिन कौन-सी गारंटी है कि मिल एसोसियेशन उसे माने। वे कहते हैं कि हम रुपया इसमें नहीं लगायेंगे। कोई अनिवार्य नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग हमारे प्लान को मानें। इसलिये कोई ऐसा कानून बनना चाहिये कि जो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करे और उनको मजबूर करे कि प्लान के अनुसार उसका कंट्रोल होगा। बगैर इसके प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। या तो कोई कारपोरेशन बने जिस कारपोरेशन में प्राइवेट सेक्टर को प्लान के मुताबिक कमिट करना होगा वर्ना प्राइवेट सेक्टर को हम प्लान से बांध नहीं सकते।

सरकार को बड़े-बड़े पूंजीपतियों को कर्ज देने की नीति को छोड़ देना चाहिये। यह खुशी की बात है कि इस बजट में किसी बड़े मिलमालिक के लिये सीधे सीधे कर्जा नहीं रखा गया है। पहले के बजटों में कहीं अल्युमीनियम फैक्टरीज के लिये और कहीं सोडा ऐश फैक्टरीज के लिये रुपया रखा गया था। इसका नतीजा यह होता था कि जिसके पास पैसा होता था वह भी कर्ज लेना चाहता था। बाद वे मांग करते थे कि इंटरेस्ट माफ कर दिया जाय। जो दो-चार ट्रान्जेक्शंस मेरे सामने आये हैं, उनसे स्पष्ट होता है मिल मालिकों की कुछ ऐसी नीति हो गयी है कि पहिले कर्जा लो, फिर ब्याज माफ कराओ, किस्तें छोटी कराओ। नतीजा यह होता है कि जो बड़ी धनराशि हम कर्जा में देते हैं उसे हम अपनी योजनाओं में नहीं लगा पाते हैं। तो राज्य सरकार इस तरह के बड़े-बड़े कर्जे देना बन्द करे। इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया का है वह कर्जा देने के लिये है, वह ठीक समय पर किस्त वसूल करेगा। गवर्नमेंन्ट केवल छोटे व ग्रामीण उद्योग-धन्धों को कर्जा दे और किन को दिया जाय इसके लिये कोई उसूल बन जाना चाहिये।

आज यह हो रहा है कि लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि लोन दिलवा दीजिये। बलवन्त राय मेहता कमेटी के अनुसार हमारे ग्रामीण उद्योगों में केवल दो-तीन प्रतिशत लोगों के पास कर्ज पहुंचता है जब कि अब ९८ प्रतिशत लोगों के पास वह पहुंचना चाहिये और इसके लिये कोई सिद्धान्त व कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिये।

मुझे खेद है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जहां और विभागों का जिक्र किया वहां बेकारी की स्थिति का उल्लेख करना भी उचित नहीं समझा। ठीक है, सभी चीजों का उल्लेख नहीं हो सकता, लेकिन बेकारी का उल्लेख बजट भाषण में न हो यह जरा आश्चर्य की बात है। बेकारी का पैटर्न हमारे यहां क्या है यह भी जरा सोचने की बात है। जुलाई, १९५९ में ५०,७०० व्यक्ति इस राज्य के एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज में रजिस्टर्ड थे जिनमें से कुल ४,४०० को काम मिला। तो एक औसत मैंने लगाया कि १० अर्जी देने वालों में से एक को हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काम दे रहे हैं। एक चीज और देखने को है कि इन ५०,७०० में से १६,१०० व्यक्ति क्लर्की चाहते हैं और इन क्लर्की चाहने वालों में से कुल ९०० को जगह मिल सकी, यानी १७ में कुल १ को जगह मिली। इसमें रोजगार पाने वालों का औसत और भी कम है। इसके अलावा इससे एक नतीजा यह भी निकलता है कि हमारी आज की शिक्षा क्लर्क बढ़ाने वाली है। दूसरे यह जो आज समाज में अव्यवस्था हो रही है इसका एक सब से बड़ा कारण यह बढ़ती हुई बेकारी है। आज सिफारिश का एक नियम-सा बन गया है कि बिना सिफारिश कुछ काम ही नहीं हो सकता। तो जब सिफारिश एक व्यवस्था बन गयी हो, शिक्षा क्लर्क पैदा करती

हो और हम सब के लिये रोजगार न ढूंढ पायें तो एक सामाजिक असन्तुलन होगा ही। यह हमारे राज्य सरकार के बस की बात न हो तो प्लानिंग कमीशन को अनएम्पलायमेंट इंश्योरेंस की बात सोचनी चाहिये। वर्क जाब कैम्प्स हों अनस्किल्ड लोगों के लिये ताकि उनको खाना तो मिले। जब तक यह बढ़ता हुआ पढ़ा-लिखा वर्ग जो है इसके लिये हम कोई काम नहीं ढूंढेंगे तब तक हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खतरा बना रहेगा। यह सोचने की बात है और मैं माननीय वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में वे अपनी नीति को स्पष्ट करें और तृतीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग, कृषि और बेकारी, इन तीनों को बराबर स्थान दिया जाय, मेरा यह सुझाव है।

अब कोआपरेटिव की बात लीजिये। माननीय मंत्री जी ने सहकारिता का जिक्र किया कि पिछले वर्ष बड़ा अच्छा काम हुआ। मैं मान लेता हूं। लेकिन वह काम कैसा हुआ? मुझे यहां के एक प्रमुख समाचार-पत्र के सम्पादकीय को पढ़ने का मौका मिला कि १० हजार सर्विस कोआपरेटिव यहां तैयार हो गयीं और मंत्री जी के बजट भाषण में ही यह लिखा है कि १० हजार में से ७ हजार तो पुरानी कोआपरेटिव सोसाइटीज को बदल कर सर्विस कोआपरेटिव्ज कर दिया गया। यानी कुल ३ हजार नयी सर्विस कोआपरेटिव्ज खुलीं और भी तारीफ की बात यह कि १४ नवम्बर को जवाहरलाल जी को वह प्रेजेन्ट भी हो गयी। अब सर्विस कोआपरेटिव्ज के सम्बन्ध में पहली चीज तो यह है—मुझे खेद होता है कहते हुये कि अभी तक गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया ही अपनी रूप-रेखा उनके संबंध में स्पष्ट नहीं कर सकी है। आखिर ये सर्विस कोआपरेटिव्ज खाली कर्जा बांटेंगी या और भी कुछ करेंगी। सर्विस कोआपरेटिव्ज बड़े पैमाने पर खोल देना और रिजर्व बैंक के जरिये से कर्जा दे देना यह बिल्कुल सही है, लेकिन उनमें रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट जो गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया की है उसकी कौन-सी सिफारिशों को आप लागू करने जा रहे हैं इस सिलसिले में यह भी देखना चाहिये। गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया के बाहर डेलीगेशन्स गये हैं, यूगोस्लाविया में, मेरी भेंट एक से हुई थी, लेकिन हमारी यू० पी० की क्या रूप-रेखा होनी चाहिये इसके बारे में कोई निश्चित बात होनी चाहिये तब इसका कुछ फायदा मिलेगा।

कोआपरेटिव फार्मिग का कुछ जिक्र हुआ है। यह कहा गया है कि ३५५ कोआपरेटिव फार्म्स प्रदेश में हैं इसकी वृद्धि हो रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के उस कथन से सहमत हूं जो उन्होंने दो साल पहले कहा था कि कोआपरेटिव फार्मिग बड़ा मुश्किल काम है। आज देश में इसकी बड़ी चर्चा है। कुछ लोग इसके खिलाफ हैं, कुछ नाम से ही चौंकते हैं और कुछ लोग बहुत ही हामी हैं। लेकिन सब से मुख्य बात यह है कि क्या कोई रूप-रेखा हमारे सामने की आपरेटिव फार्मिग की है? मुझसे लोगों ने पूछा कि आप इसके खिलाफ हैं या माफिक मैंने कहा कि पहले कोई उसका चित्र सामने आये तो मैं बताऊं कि मैं उसके खिलाफ हूं या पक्ष में।

श्री अधिष्ठाता—कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब इस समय नहीं हैं, लेकिन उनको यह बात पहुंच जायगी। वह इसका जवाब देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं मौजूद हैं। वह भी इस सम्बन्ध में जवाब दें।

स्वास्थ्य विभाग के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत से आंकड़े दिये हैं। इतने अस्पतालों की वृद्धि हुई, इतने डाक्टरों की वृद्धि हुई। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ी है? लोग कितनी ज्यादा उम्र तक रहने लगे हैं? हमारे यहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी ३२.४५ मर्दों की है और ३१.६६ औरतों के लिये है। और अभी तक यह स्टेटिक है। बच्चों की मार्टेलिटी में जरूर कमी हुई है लेकिन एडल्ट मार्टेलिटी में कमी नहीं हुई है। जब तक हम अपने प्रिवेंटिव और क्युरेटिव तरीकों से लाइफ एक्सपेक्टेंसी न बढ़ाएं तब तक हम इस मामले में अपने को सफल नहीं कह सकते, जब तक देहात में खुलने वाले अस्पतालों में डाक्टर नहीं भेज सकते—क्योंकि १०० से ऊपर ऐसे अस्पताल हैं देहातों में जहां हम डाक्टर नहीं भेज सके हैं, दो-दो तीन-तीन, चार-चार साल से यह स्वयं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

शिक्षा के बारे में आंकड़े बहुत हैं जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी कहा करते हैं 'Statistics, damn statistics, lie statistics' उनका एक विशेष मुहावरा है ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---मैं बता दूं । लोग कहते हैं कि तीन प्रकार की झूठ होती है---"Lies, damn lies and statistics".

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह "Lies, damn lies and statistics" का माननीय मुख्य मंत्री जी का मुहावरा है वह स्टेटिस्टिक्स विभाग के लिये पूरी तरह लागू होता है । इसके अतिरिक्त और अधिक मैं नहीं कहना चाहता । मैं इतना अवश्य कहूंगा कि पिछले पूरक बजट में यह तो कहा गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो जायगी, पर इस बजट में यह क्या कहीं बताया गया है कि १९५९-६० से हमने इतनी तरक्की इस ओर की है, या क्या किया है ? मैं यह बातें इसलिये कह रहा हूं कि गवर्नर का भाषण पहले शुरू में होता था । अब बाद को होता है । चूंकि बजट में नीतियां घोषित की जाती हैं तो जो हम आशा करते थे कि शिक्षा नीति स्पष्ट हो वह नहीं है ।

दूसरी चीज यह कि शिक्षा में लिटरेसी का परसेंटेज कितना हुआ है ? साक्षरता की वृद्धि कितनी हुई है ? हम एडल्ट लिटरेट्स कितने बना चुके हैं । हम बच्चों की पढ़ाई का तो इन्तजाम कुछ कर रहे हैं, लेकिन बालिग साक्षरता पर हमारा ध्यान नहीं है । मैं कोई लम्बे-चौड़े आंकड़े नहीं देना चाहता । इस मामले में यू० पी० केवल हमारे दो प्रान्तों के मुकाबिले में है । बाकी सब से कम हमारे यहां एडल्ट लिटरेसी है । मिसाल के लिये मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यू० पी० में परसेंटेज आफ लिटरेसी ३.५६ है एडल्ट पापुलेशन की जबकि बम्बई में १०.९९ प्रतिशत, केरल में २१ प्रतिशत, मद्रास में १० प्रतिशत, मैसूर में ९ प्रतिशत, उड़ीसा में ४ प्रतिशत और वेस्ट बंगाल में १२ प्रतिशत लिटरेसी है तो इस ओर हमारा क्या प्रयत्न है ? मैं विशेष रूप से इस ओर ध्यान दिलाना इसलिये आवश्यक समझता हूं कि जब तक हम आज-कल की जो बालिग जनता है उसको सवे। और साक्षर नहीं करेंगे तब तक हमारी योजनायें कामयाब नहीं हो सकतीं । जो आने वाली पीढ़ी है वह तो दस, पन्द्रह या बीस साल बाद इस देश की जिम्मेदारी को लेगी । लेकिन आज प्रजातन्त्र को सफल करने की जिम्मेदारी तो इस वर्तमान पीढ़ी पर है । यह अगर सही माने में साक्षर नहीं होती तो वह प्रजातंत्र को क्या समझेगी, योजनाओं को क्या समझेगी, क्या इन्फलेशन समझेगी और क्या डिफ्लेशन समझेगी ? योरोप के अनेक मुल्कों में मैंने देखा कि पीपुल्स कालेज सम्बन्धी योजनायें वहां चलती हैं, जिसकी वजह से जो कम पढ़े-लिखे लोग भी हैं, वह भी उस देश के बड़े-बड़े मसलों को जानते हैं उन पीपुल्स कालेजेज के द्वारा । तो मैं यह मांग करूंगा कि जहां शिक्षा की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो, वहां केवल यूनिवर्सिटीज के लिये ही कमीशन न बैठे बल्कि सारी शिक्षा प्रणाली के बारे में ऐसा एक कमीशन बैठे जो देखे कि हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या-क्या कमजोरियां हैं उन्हें कैसे दूर किया जाय और एडल्ट पापुलेशन के लिये इस बात की व्यवस्था हो कि वह पीपुल्स कालेजेज जैसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ सकें ।

अब श्रीमन्, कुछ भोजन के सम्बन्ध में चर्चा माननीय मन्त्री जी ने की है । भोजन के सम्बन्ध में एक नीति का प्रश्न है । पिछले वर्ष के भाषण में माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि हमने राज्य-व्यापार की योजनाओं के सिद्धांत को मंजूर कर लिया है, लेकिन उसका स्वरूप नहीं तय किया गया कि स्टेट ट्रेडिंग किस प्रकार की होगी ? नतीजा यह हुआ कि व्यापारी वर्ग ने यह समझा कि स्टेट ट्रेडिंग का यह मतलब है कि व्यक्तिगत व्यापार पूरा बन्द हो जायगा । इससे उन्होंने असहयोग शुरू कर दिया और उसके बहुत से परिणाम हुए । मूल्य जो स्थिर हुए किसानों के लिए और जिस प्रकार से कि लेवी का तरीका है, जिसका जिक्र माननीय मन्त्री ने किया है कि हम उस के जरिये अन्न की वसूली कर रहे हैं वह तरीका गलत है और अव्यावहारिक है । माननीय मन्त्री जी छः सात तरीके अन्न खरीदने के अब तक बरत चुके हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि

सबसे असफल तरीका यह लेवी का रहा है। इससे एक तरफ व्यापारी वर्ग परेशान, दूसरी तरफ किसान परेशान, जनता परेशान, सभी परेशान हैं। यह न स्टेट ट्रेडिंग है, न कोआपरेटिव ट्रेडिंग है, न इंडिविजुअल ट्रेडिंग है। यह एक अजीब जानवर है जिसे स्टेट ट्रेडिंग के नाम पर काम में लाया जा रहा है। माना कि पाटिल साहब और नेगी जी हमारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कभी फूड बैंक की चर्चा होती है कि हम फूड बैंक बना रहे हैं। मुझे आशा है कि नेगी जी भी एक फूड बैंक यू० पी० के लिए बनायेंगे। लेकिन चाहे फूड बैंक बनायें, चाहे स्टेट ट्रेडिंग का नाम लें, लेकिन ऐसे नारे न लगाये जायं जिसका अन्न एवं अर्थ व्यवस्था पर बुरा असर पड़े। अब स्टेट ट्रेडिंग के नारे को आपने वापस ले लिया है, तो इसका स्वागत है। जिस प्रकार पाटिल साहब की नीति है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम स्टेट ट्रेडिंग को चालू नहीं करेंगे, मैं समझता हूं उस को आपने भी शायद मान लिया है। लेकिन नया लेवी सिस्टम भी सही नहीं है, पुराना प्रोक्योरमेंट सिस्टम भी सही नहीं है। इसके लिए हमें कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा। वह तरीका कौन हो, यह मैं स्वयं इस समय नहीं बता सकता। मैं उसका कोई पंडित नहीं हूं यह मेरी कमजोरी हो सकती है,

चौथा या नया तरीका क्या हो, इसके लिये कुछ व्यापारी मंडल के प्रतिनिधि, कुछ विधान मंडल के प्रतिनिधि जो इस मसले में जानकारी रखते हों और कुछ ऐसे कृषि पंडित जो इससे सम्बन्ध रखते हों, उन सब की मिला-जुला कर एक कमेटी बैठाई जाय, कोई लम्बे-चौड़े काम करने वाली कमेटी नहीं बल्कि एक बहुत जल्दी रिपोर्ट देने वाली कमेटी बैठाई जाय, तो उसका मैं स्वागत करूंगा। अनाज के सम्बन्ध में जो पुरानी व्यवस्था आज की है उसको बदलना चाहिये। उसकी मैं पूरी-पूरी मांग करता हूं। अगर यह नहीं होगा तो सारा संचालन हमारा बिगड़ने वाला है। शुरू में अनाज के दामों को लेकर और चीजों के दाम बढ़े, कपड़े के दाम बढ़े। तो हमारे यहां कास्ट आफ लिविंग ऊंचा हुआ। जब यहां पर कास्ट आफ लिविंग ऊंचा हुआ तो लोगों की यह आवाज उठी कि हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जड़ है और इसको ठीक न करें और इसको पूरा महत्व न दें तो यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात होगी।

एक बात मैं न्याय विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी का संबंध न्याय विभाग से भी है। मैं एक बात के लिये उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने १४ और जिलों में भी एक्जिक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग करने का फैसला किया है इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। मुझे आशा है कि अगले बजट वर्ष में सभी जिलों में कार्यकारिणी और जुडिशियरी अलग हो जायंगी। मद्रास, केरल, बम्बई, मध्य भारत, पंजाब सब जगह यह अलग हो चुकी हैं तो हमें यहां पर भी करना चाहिए। हमने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन बीच में हम रुक गये थे। अब फिर शुरू किया गया है। आपने जनता की प्रार्थना को स्वीकार किया है इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। पर यह ल. कमीशन की सिफारिशों के आधार पर सपरेशन होना चाहिए।

अब इसमें कुछ विशेष बातों का जिक्र किया गया। बार्डर एरिया के लिये ९० लाख रुपये का इंतजाम सड़कों के लिये और वहां के विकास के लिये किया गया है। यह बड़ी खुशी की बात है। १०० रुपये का एक प्रतीक अनुदान भी मांगा गया है। जिससे वहां पर कुछ प्रशासकीय कदम उठाये जायेंगे। मैं समझता हूं कि यहां पर वित्त मंत्री जी से गलती हो गई है। वह गलती यह हुई है कि आम बजट में उसके अन्दर प्रतीक अनुदान नहीं हुआ करते केवल पूरक बजट में ही हुआ करते हैं। स्कीम वह बाद में आयेगी, लेकिन उसके लिये एक टोकेन ग्रान्ट के तौर पर यहां पर १०० रुपये मांगे गये हैं। हम सिद्धान्त रूप में उस को स्वीकार करते हैं कि अगर कुमायूं में ज्यादा जिले बनते हैं तो यह उचित है। चमोली, गढ़वाल, उत्तरकाशी टेहरी गढ़वाल या पिथौरागढ़ (अल्मोड़ा) के अन्य जिले बनते हैं तो अवश्य बनाये जायं, लेकिन मैं एक खतरे से सावधान करना चाहता हूं। वह इलाका बड़ा दुर्गम है। वहां पर मार्गों की बड़ी कठिनाई है। जैसे कि वहां पर पहले ९० लाख रुपया लैप्स हो गया था तो इस वर्ष भी या जिले बन जाने के बाद भी कहीं वही दशा न हो। मुझे आशा है कि इस वर्ष या भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सरकार ने फिर जो यह धनराशि स्वीकार की है मुझे आशा है कि पूरी-पूरी तरह से इसको खर्च किया जायगा। आप और तीन नये जिले बनाने की बात सोच रहे हैं तो मैं इसका दुबारा स्वागत करता हूं।

एन० सी० सी० राइफल्स की योजना सरकार जो चालू करने जा रही है इसका भी मैं स्वागत करता हूं। यह अच्छी योजना है। ऐसे मुल्क में जहां पर देश की सुरक्षा का प्रश्न हो, हमें सदा तैयार रहना है। चाहे हमारे ऊपर आक्रमण हो या नहीं, लेकिन राष्ट्र को इन बातों के लिये तैयार रहना चाहिए। इसलिये इस मिलिट्री शिक्षा, कालेज की योजना का भी मैं स्वागत करता हूं। इसके लिये और ज्यादा धन की आवश्यकता हो तो मैं समझता हूं सदन में मंत्री के लोग एकमत से इसको स्वीकार करेंगे।

एक बात मन्त्री जी ने और बतलाई कि हिन्दी को हम कैबिनेट की भाषा स्वीकार करने जा रहे हैं। खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात यह जरूर है कि जब विधान मंडल ने हिन्दी को आज से नहीं बल्कि जब से १३ वर्ष पहले राज्य भाषा ऐक्ट पास किया था, तब से अपने सरकारी कार्य के लिये स्वीकार किया था और तब से हिन्दी में यहां पर काम चलता है, तो तब से कैबिनेट का काम भी हिन्दी में क्यों नहीं किया? मैं अंग्रेजी को भी जरूरी समझता हूं और उसकी अवहेलना नहीं करता। मुझे स्वयं इसका अनुभव है कि यदि मैं अंग्रेजी न जानता, तो बाहर विदेशों में मैं कोई काम नहीं कर सकता था, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब से राज्य भाषा अधिनियम पास हुआ तब से कैबिनेट को कम से कम उस अधिनियम को मानना चाहिये था। आज १२-१३ साल के बाद कैबिनेट अपने ऊपर वह ऐक्ट लागू कर रही है। अभी तक कैबिनेट की नोटिंग और ड्राफ्टिंग हिन्दी में नहीं होती थी यह दुख की बात की। खैर, १२ वर्ष बाद आपने उसको स्वीकार किया तो ठीक है, लेकिन यह बात पहले ही हो जानी चाहिये थी।

आगे चल कर इसमें हैंडलूम वगैरह पर सेल्स टैक्स हटाने की बात कही गई है। ठीक है, एक छोटी छूट दी गयी है। ठीक ही है। यहां मैं कुछ थोड़ा-सा जिक्र टैक्सेशन पालिसी का करना चाहता हूं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये आपने कहा है कि रुपये की जरूरत होगी। हम हमेशा टैक्सेशन का विरोध करते हों, ऐसी बात नहीं है। अगर सही टैक्स लगाया जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है तो उसका कोई भी स्वस्थ विरोधी दल हो, समर्थन करता आया है। लेकिन यहां तो टैक्सेशन पालिसी हम ठीक बनाते ही नहीं। आज तक कोई भी हाउस की कमेटी नहीं बनी इस बारे में, इस सदन की कोई भी फाइनेंस "स्टैंडिंग" कमेटी नहीं है। इसके लिये सुझाव दिये गये हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब विभागों के लिये इस सदन की सब कमेटीज हैं, लेकिन फाइनेंस के लिये कोई कमेटी नहीं है। मुझे याद आ गया, लोक सभा की एस्टीमेट कमेटी ने भी सिफारिश की है कि फाइनेंस कमेटी होनी चाहिये। अगर इस सदन के सदस्यों से सुझाव लिये जायं कि पैसा कहां से आये तो मेरा पहला सुझाव यह है कि इस सदन की एक फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी और बनायी जाय जिससे फाइनेंस के तमाम मसलों पर सुझाव लिये जायं और जब प्लानिंग कमीशन के द्वारा यह मालूम रहता है कि किस-किस चीज पर टैक्स लगाना है, कैसा-कैसा टैक्स लगाना है, तो इस कमेटी द्वारा उन तमाम चीजों पर हम जांच करा सकते हैं। रिसोर्सेज के सही एसेसमेन्ट के बारे में मेरा पहला सुझाव यह है।

मेरा दूसरा सुझाव रिसोर्सेज के बारे में यह है कि हम इकोनामी कमेटी के कुछ उन सुझावों को स्वीकार करें जो इस संबंध में लागू हो सकते हैं। जैसे डिजाइन्स के बारे में इकोनामी कमेटी ने कहा था कि प्लान डिजाइन्स जो बनते हैं वह जल्दी में बनाये जाते हैं। अगर डिजाइन्स ठीक प्रकार से बनाये जायं तो ५० लाख रुपये की बचत हो सकती है। इसी प्रकार जेल विभाग में अगर अंडर ट्रायल के मुकदमे जल्दी हो जाया करें, उन्हें ज्यादा दिन हवालात में न रखना पड़े और प्रोबेशन ऐक्ट ठीक से लागू किया जाय तो २५ से २७ लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। तीसरे, सस्पेंस एकाउन्ट, उचंत खाते में जो धनराशि होती है उसमें बहुत ज्यादा रुपया अलग-अलग विभाग रख दिया करते हैं। इसकी अगर ठीक प्रकार से जांच की जाय तो ५० लाख

की बचत हो सकती है। इस प्रकार १ करोड़ की बचत इकोनामी कमेटी की इन तीन मुख्य सिफारिशों को मान लिया जाय तो हो सकती है। हमसे कहा जाता है कि हम अगर बजट बनाते तो क्या करते ? अगर हम सोशलिस्ट बजट बनाते तो हम इन सब बातों को कार्यान्वित करने की पूरी-पूरी कोशिश करते।

इसके अतिरिक्त हमें टैक्स का जो प्रशासन है उसे और सख्त करना चाहिये। आज आप देखें कि केन सेस का ७ करोड़ रुपया मिलमालिकों के पास बकाया है। अगर यह वसूल हो जाता तो हमारे रिसोर्सेज ज्यादा हो जाते। जो टैक्स का इवेजन है उसको रोकना है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना है।

एक और चीज है प्राहिबिशन के सिलसिले में। प्राहिबिशन के दो तरीके हो सकते हैं। पहला शराब पर ज्यादा टैक्स लगा कर और दूसरे शराब बन्दी करके। जब हम शराब बन्दी करते हैं कानून द्वारा तो और ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इस संबंध में मैं समझता हूं कि हमें एक बार फिर से विचार करना होगा कि प्राहिबिशन जो हमने किया है उस में हम कहां तक सफल रहे हैं और ऐसा कर के हम अपने रेवेन्यू को कितना कम कर पाये हैं या कितना बढ़ा पाये हैं। प्राहिबिशन से जो आमदनी हमें होती है वह करोड़ों बढ़ भी सकती है और ऐसा कर के प्राहिबिशन भी हो सकता है। दूसरे मुल्कों ने ऐसा किया है। मैंने बाहर के पांच, छः मुल्कों में देखा कि जहां टैम्परेंस आन्दोलन मजबूत है वहां पर उससे आमदनी भी सब से ज्यादा है। एक प्राहिबिशन कमेटी बनी हुई है उसे मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण से सभी को फिर विचार करना चाहिये।

चौथी चीज यह है कि तीसरा फाइनेंस कमीशन अब बनने वाला है। पहला फाइनेंस कमीशन नियोगी साहब का बना, दूसरा संथानम साहब का बना। संथानम साहब के कमीशन ने हमारी यू० पी० की ग्रान्ट्स को कम कर दिया। इनकम टैक्स में भी और एक्साइज ड्यूटीज के सम्बन्ध मेंभी। नियोगी कमीशन ने १९५१ में इनकम टैक्स में से १५.७५ करोड़ रुपया स्वीकार किया था। संथानम कमीशन ने उस को घटा कर १५.५९ करोड़ कर दिया। नियोगी कमीशन ने एक्साइज ड्यूटी तम्बाकू और मैचेज पर जो लगती है उसमें से १८.८३ करोड़ कर दिया था, उसको संथानम कमीशन ने घटा कर १८.१८ करोड़ कर दिया। तो यह गलत है। हमें नये फाइनेंस कमीशन से मांग करनी चाहिए कि हमारी आबादी को देखते हुए हमारा इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी का शेयर बढ़ना चाहिए। तीसरा फाइनेंस कमीशन हमारा १९६१ में बनने जा रहा है उससे मांग करनी चाहिए।

छठा सुझाव यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो हमें कर्जा दिया है उसका ब्याज कम होना चाहिए—कुछ ब्याज तो कम हुआ, लेकिन और कम होना चाहिए और जो साढ़े अठारह करोड़ हमें ब्याज देना पड़ रहा है वह ८-९ करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

मेरा अपना खयाल है कि अगर इन सुझावों को कार्यान्वित किया गया तो ६-७ करोड़ रुपये की आमदनी सरकार को बिना कोई टैक्स लगाये हो सकती है। तो इन टैक्सों के सिलसिले में जो हमारे सुझाव हैं, मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी इन पर विचार करेंगे।

अब माननीय वित्त मंत्री जी ने एक और कार्य किया। यह अच्छा काम हुआ कि चतुर्थ श्रेणी के भाइयों के लिए माइलेज एलावेंस और भत्ता अन्य लोगों की तरह कुछ परिवर्तित हो गया। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां हैं। वे कहते हैं कि हम द्वितीय-पे-कमेटी बनाकर कर्मचारियों की आशा नहीं बढ़ाना चाहते हैं आज हमारी सारी प्लानिंग आशा ही तो बढ़ा रही है। श्री एस० के० डे का कहना है कि जितनी हमारी सेकेंड फाइव ईयर प्लान और सामुदायिक विकास योजना जनता के लिये करती नहीं है उससे ज्यादा आशा हो जाती है। जब हम कहते हैं कि सेकेंड और थर्ड फाइव ईयर प्लान से २५ प्रतिशत पर कैपिटा इनकम बढ़ जायगी तो क्या हम आशा कर्मचारियों की नहीं बढ़ाते जो यह कहा जा रहा है कि अगर दूसरी वेतन कमेटी बैठा दें तो उससे लोगों में आशा बढ़ जायगी। और जब हम भारत सरकार से रुपया मांगते हैं तो सही और सबल रूप से मांग करें, यह आवश्यक है। मैं सुझाव दूंगा कि जिस प्रकार मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी ने पुलिस कमीशन बैठाया और पुलिस के नान-गजटेड

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मिनिस्टोरियल स्टाफ के लिए उसे विचार करने को कहा---उसी प्रकार यू० पी० के तमाम अन्य कर्मचारियों के लिए भी एक दूसरा भी कमीशन बैठायें। क्योंकि सन् १९४७ के बाद कोई पे कमीशन नहीं बैठा जब कि इंगलैंड के अन्दर २-२ बैठ चुके हैं और भारतीय सरकार स्वयं सेंट्रल कमीशन बैठा चुकी है और वहां सिद्धान्त तय कर दिया गया है। हमारे कर्मचारी अपनी तनख्वाह खुद नहीं बढ़ा सकते, अपनी पर कैपिटा इनकम स्वयं नहीं बढ़ा सकते। दूकानदार बढ़ा सकते हैं, कांट्रक्टर बढ़ा सकते हैं, किसान बढ़ा सकते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो फाइलों में कितना ही अच्छा काम करें, अपने हाथ से अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकते। वह इस सदन को ही बढ़ानी होगी, इस सरकार को बढ़ानी होगी। या फिर हम कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स को कम करें। यहां पर मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जो कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स से संबंधित है। ये आंकड़े कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स के "ईस्टर्न इकानामिस्ट, जनवरी, १९६०" से लिये हैं। कास्ट आफ लिविंग इन्डैक्स इस प्रकार है---बम्बई---३७६, कलकत्ते का ३८४, कानपुर---४६८, नागपुर---४४७। यह मैंने बड़े-बड़े शहरों के आंकड़े दिये हैं, छोटे शहरों की बात छोड़ दी है। आप देखें कि सन् १९४६ में ३२९ थी जब कि आज ४६८ है। तो यह कास्ट आफ लिविंग इंडैक्स के आंकड़े हैं। मैं यह नहीं कहता कि इस ओर कोई प्रयत्न ही नहीं हुये हैं, प्रयत्न हुये हैं, सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, लेकिन हमें और बहुत कुछ में करने की आवश्यकता है। जो और बातें हैं, सेवा नियम हैं उनको भी ठीक करने की आवश्यकता है।

अब पर कैपिटा इनकम का कुछ और भी स्वरूप है, जिस पर कि हमें विचार करना है। शहरों में पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, यह मैं मानता हूं। शहरों की पर कैपिटा इनकम को अगर आप देखें तो मालूम होगा कि सन् १९५६-५७ में ६४५ रुपये अरबन एरिया की थी और वह सन् १९५८-५९ में ६७३ हो गयी। लेकिन देहातों में यह घटी है। देहातों में पर कैपिटा इनकम १९५६-५७ में १९५.५ थी और १९५८-५९ में वह घटकर १९३.५ ही रह गयी। देहातों में पर कैपिटा इनकम घटी है, बढ़ी नहीं है। तो यह जो भेद बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? क्या यह आलोचना का विषय नहीं है? इसके पीछे कारण क्या है? उन कारणों को हमें देखना चाहिये। हमें देखना चाहिये शहरों में भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है और उसमें आपस में क्यों फर्क है?

दूसरी बात यह है कि आल इन्डिया पर कैपिटा इनकम २८४ है जबकि यू० पी० में २५९ है। यू० पी० की पर कैपिटा इनकम आल इंडिया पर कैपिटा इनकम से कम है। इसका क्या कारण है, इस पर हमें विचार करना चाहिये? पर कैपिटा इनकम, आप जानते हैं, तब बढ़ती है जब कि पर कैपिटा प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर पर कैपिटा प्रोडक्शन ज्यादा न बढ़ा और पर कैपिटा कनजम्पशन ज्यादा हुआ तो पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ सकती है? इसलिये मेरी यह मांग होगी और मेरा सुझाव होगा कि हमें पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिये अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और पर कैपिटा कनजम्पशन पर कुछ नियन्त्रण रखना होगा और उसके लिये कोई नियम बनाने होंगे। मैं नहीं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी की फाइनेन्शियल पालिसी किस ढंग से काम कर रही है? जो इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन है वह भी बहुत थोड़ा बढ़ा है। जनरल इंडैक्स से मालूम होता है कि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन १०८ से बढ़ कर १५४ हुआ है जब कि उसे कम से कम दुगना हो जाना चाहिए। था पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिये उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने के लिये उनमें आपस में अच्छा रिलेशन होना आवश्यक है, मजदूरों में विश्वास होना आवश्यक है, मालिक मजदूरों का सम्बन्ध अच्छा होना जरूरी है। मुझे आशा है कि इस संबंध में माननीय मंत्री जी कदम उठायेंगे और अगले वर्ष में हमें यह बहुत सी बातें देखने को नहीं मिलेंगी।

आगे चल कर यह कहा गया है कि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है, मैं यह मानता हूं। किन्तु चूंकि यह अंतिम वर्ष है इसलिये इस बजट को ऐसा होना चाहिये था जिससे कि हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सभी लक्ष्य पूरे होने चाहिये थे। मुझे अफसोस

होता है यह कहते हुये कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य सही माने में हमारे पूरे होने वाले नहीं है। जो माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना बजट भाषण किया है और जो यू० पी० सरकार की प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको देखने से पता चलेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिये ४० करोड़ रुपया रखा गया था जिससे अभी १६ करोड़ खर्च होना बाकी है। सिंचाई के लिये ८० करोड़ रुपया रखा गया था जिसमें अभी २९ करोड़ रुपया खर्च होना बाकी है। सोशल सर्विसेज के लिये ६८ करोड़ रुपया रखा गया था जिसमें ४३ करोड़ रुपया खर्च होना बाकी है। यह मुख्य बात है कि दो साल रह गये हैं और अभी इतना रुपया खर्च होने को बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोग्रेस हो रही है जिस तरह से काम चल रहा है अगर यही हालत रही तो करीब ५० करोड़ रुपया ऐसा होगा जिसे हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खर्च नहीं कर पायेंगे। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जो हमारे प्लान के टार्गेट्स हैं वह कैसे पूरे होने वाले हैं। सिर्फ रोड ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के टार्गेट्स शायद पूरे हो जांय, सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के टार्गेट्स शायद पूरे हो जायं, लेकिन हमारे बाकी टार्गेट्स पूरे होने वाले नहीं हैं। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये शुभ लक्षण नहीं होगा। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी इस वर्ष चेष्टा करें कि चालू पंचवर्षीय योजना के लिये जितने लक्ष्य रखे गये हैं वह अवश्य पूरे हो जांय।

श्री मोतीलाल अवस्थी जी ने पुलिस के बारे में याद दिलाई। माननीय गृह मंत्री जी ने पुलिस कमीशन बैठाने की बात की है और उसके दायरे में सारी बातें रखी गयी हैं जो कि पुलिस की सज्जनता और प्रशासन आदि से सम्बन्ध रखती हैं। पुलिस कमीशन का सदस्य होने की हैसियत से मेरे लिये स्वयं इस समय अधिक कहना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस साल पुलिस का जो खर्चा बढ़ा है वह कुछ तो सुरक्षा के लिये बढ़ा है और पी० ए० सी० कान्सटीब्युलरी वगैरह बढ़ाने की जो बात है उसके लिये कोई शिकायत की बात नहीं हो सकती क्योंकि बार्डर का प्रश्न है। लेकिन पुलिस की जो आम शिकायतें हैं उनके सम्बन्ध में, मैं आशा करता हूं कि पुलिस कमीशन पूरी जांच करेगा।

अन्त में श्रीमन्, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे काफी समय इस बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये दिया। मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये उन पर माननीय वित्त मंत्री जी अवश्य विचार करेंगे। मैंने इस बात की मिसालें दीं कि उनका बजट असंतुलित कैसे था। उसमें असंतुलित बजट बनाने के सम्बन्ध में, असंतुलित आमदनी के सम्बन्ध में, असंतुलित पर कैपिटा इनकम के सम्बन्ध में, असंतुलित नीतियों के सम्बन्ध में बहुत सी बातें थीं जो उनके बस के बाहर रही हों, लेकिन हम उनसे ऐसी आशा नहीं करते थे, कम से कम उन जैसे योग्य वित्त मंत्री से। तो जहां मैं एक ओर यह आशा करता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष का यह बजट सावधानी से पारित किया जायगा वहां मैं दूसरी ओर माननीय वित्त मंत्री को, सरकार को और स्वयं अपने को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि हम सब इस प्रजातांत्रिक प्रणाली को ठीक ढंग से चलायें, इसकी बजट प्रणाली को ठीक ढंग से चलायें क्योंकि अगर हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा न कर पाये तो हमको और माननीय वित्त मंत्री जी को---वे शायद शायरी से भी ताल्लुक रखते हैं, यही समय कहेगा कि---

"ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था
हमीं सो गये दास्तां कहते कहते।"

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी जी को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिये कि उन्होंने कदाचित् उधर की परम्पराओं को तोड़कर ऐसा व्यक्त किया कि इस बजट में हरे स्थल भी हैं। मान्यवर, सारी चीजें हरी हरी देखने में मैं भी विश्वास नहीं करता, इसलिये माननीय तिवारी जी की इस महती कृपा के बाद, मैं इस बात की शिकायत नहीं करूंगा कि उन्होंने हरे स्थलों का वर्णन कम किया मरुस्थलों का वर्णन ज्यादा किया।

मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि माननीय तिवारी जी ने जिस बात का जिक्र अपने भाषण में सबसे बाद में किया कि प्रदेश की टोटल इनकम

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

या पर कैपिटा इनकम क्या है वह कदाचित् सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसी भी अर्थ व्यवस्था के लक्ष्य की सफलता को जांचने की कसौटी यह होती है कि प्रदेश की टोटल इनकम उसके फलस्वरूप बढ़ी है या नहीं या प्रदेश के प्रति व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है या नहीं। मान्यवर, आपको याद होगा कि पिछले तीन चार वर्षों से इस सदन में हमने देखा कि विरोधी दलों की ओर से सबसे ज्यादा और सबसे पहले पर कैपिटा इनकम और टोटल इनकम के घटने के सम्बन्ध में जोर दिया गया। मैं उस कसौटी को ठीक मानता हूं। इस सिद्धांत को मानते हुये आज हम सच्चे मानों में सरकार को बधाई भी दे सकते हैं कि इस वर्ष में हमारे प्रदेश की टोटल और पर कैपिटा इनकम बढ़ी और अच्छी मात्रा में बढ़ी। रूरल और शहरी, दोनों क्षेत्रों में पिछले वर्ष के अनुपात से इस वर्ष हमारी इनकम बढ़ी है। प्रदेश की टोटल इनकम ५७-५८ में १७३८ करोड़ थी और ५८-५९ में १८५७ करोड़ हुई, यानी ११९ करोड़ बढ़ी। रूरल पर कैपिटा इनकम ५७-५८ में १८२.३ थी जो बढ़कर ५८-५९ में १९३.५ हो गई, यानी ११.२ प्रति व्यक्ति बढ़ी। घटी नहीं। घटी केवल पिछले सालों के अनुपात से। सही दृष्टिकोण तो यह होगा कि हम इम्मीडियेटली प्रिसीडिंग (पिछले) वर्षों से मुकाबिला करें, न कि उससे भी पहले के वर्षों से। शहरों में ५७-५८ में ६५५.६ इनकम थी, वह ५८-५९ में ६७३.१ हो गई। यानी १७.५ प्रति व्यक्ति हमारी आय बढ़ी। यह एक ऐसी कसौटी है जिससे यह मालूम होता है कि हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ ही रही है। श्री नारायण-दत्त जी को भी यह मानना पड़ा यद्यपि उन्हों ने अपने भाषण में सबसे अन्त में उसका जिक्र किया और कदाचित उन्होंने यह ज्यादती की कि रूरल इनकम का पिछले वर्षों से मुकाबिला करके घटने का आरोप लगा दिया। लेकिन वास्तविक टोटल इनकम, प्रति व्यक्ति रूरल इनकम और प्रति व्यक्ति अरबन इनकम, सब बढ़ी हैं।

श्री नारायणदत्त जी ने स्वागत किया उन कार्यों का जो सरकार ने उत्तरी सीमा की चुनौती को स्वीकार करने के लिये करने का संकल्प किया है। वास्तव में मैं तो यह कहूंगा कि हमारा बजट अधूरा रहता यदि इस ओर इतना समुचित ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि दिया गया है। हमारे बजट में ६१·६४ लाख रुपये की व्यवस्था तो की गई है वहां के सामान्य विकास के लिये, अतिरिक्त कार्यों के लिये सबसे महत्वपूर्ण निश्चय सरकार का यह है कि प्रारंभिक सैनिक शिक्षा के लिये एक स्कूल खोलने जा रही है जिसकी हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी आवश्यकता थी। इसका अनुभव हम १० सालों से कर रहे थे। एन० सी० सी० के हम ४,००० नये कैडेट्स इस वर्ष तैयार करने जा रहे हैं। आज से १०-१२ वर्ष पहले हमारे प्रदेश में यह शिक्षा आरम्भ हुई थी और भारत सरकार ने आज सारे देश में अब उसे बढ़ाना स्वीकार किया है। आज समय की आवश्यकता भी थी कि ऐसा निश्चय किया जाय। हमारे प्रदेश के लिये यह गर्व की बात है।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, उसमें यह मानते हुये भी कि अभी भी हम दूसरे प्रान्तों से पीछे हैं, यह स्वीकार करना होगा कि पिछले वर्षों के मुकाबिले में हम उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं। २० मिनट में सारी बातें न कह सकने के कारण मैं आंकड़ों को छोड़े देता हूं। केवल शिक्षा के बारे में दो एक बातों का जिक्र करूंगा। आज हमें सबसे ज्यादा अच्छे शिक्षकों की जरूरत है। कदाचित श्री मोती लाल अवस्थी जी भी सोचते होंगे कि हमें अच्छे टीचर्स मिलें। इस वर्ष ४८ नये नार्मल स्कूल, ४२ लड़कियों के लिये और ६ लड़कों के लिये खोलने का विचार है जिनमें ४०,५० लाख रुपया लगेगा। यदि हम अधिक खोल सकते तो और अच्छा होता, लेकिन यह भी एक प्रगति का कदम है। टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति हुई है, लेकिन उसमें मुझे एक या दो बातें संकेत मात्र निवेदन करनी हैं। हमारे प्रदेश में कुछ स्कूल ऐसे चल रहे हैं जिनमें ओवरसियर और ड्राफ्ट्समैन की शिक्षा मिलती है और जो केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, मगर प्रदेशीय सरकार उनको मान्यता नहीं दिये हुये है। हमारे लेबर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा सेलेक्शन होते हैं और उन कमेटियों में हमारे सदन के सदस्य भी होते हैं। मैंने एक बार प्रश्न के द्वारा भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन बतलाया गया था कि वह

बात विचाराधीन है। इससे बड़ी असमानता है और उन विद्यार्थियों में फ्रस्ट्रेशन भी पैदा होता है। अतः मेरा अनुरोध है कि हमारी सरकार उन डिगरियों को मान्यता प्रदान करे। मैं तो यह भी कहूंगा कि अच्छा हो अगर टेक्निकल और जनरल शिक्षा का समन्वय एक ही विभाग द्वारा हो। अलग-अलग होने से दोनों में वह सामन्जस्य नहीं हो पाता जो प्रदेश की उन्नति के लिये आवश्यक है ।

मैं कुछ जिक्र सरकार की खाद्य नीति के बारे में भी करूंगा। हमारे प्रदेश में ऐसी चिंता का समय आया जब कि हम इस सदन में और बाहर भी खाद्य नीति की बहुत चर्चा सुनते थे और उसके बारे में सब को चिंता थी यह बड़ी खुशी की बात है कि हम पिछले वर्ष में उस बड़े खाद्य क्राइसिस का सफलता से मुकाबिला कर सके। हमने देखा कि हमारे प्रदेश में फेयरप्राइस शाप्स से ८९ लाख मन अनाज और २९ लाख मन आटा वितरित हुआ। चावल और गेहूं की लैवी का कुछ जिक्र माननीय नारायणदत्त जी ने किया था। मैं उनकी एक बात से पूर्णतया सहमत हूं कि चावल की लैवी के लगाने के सिस्टम में अवश्य कुछ दोष हैं और उसे सरकार को देखना पड़ेगा। मैं अपने क्षेत्र की एक बात कहने के लिये क्षमा चाहूंगा। वहां चावल की लेवी का असर १०,१५ हजार लोधी राजपूत भाइयों पर पड़ रहा है जो चावल पर ही आश्रित हैं। वे बेरोजगार हो गये हैं। कई हजार व्यक्तियों ने वहां प्रदर्शन भी किया था। कुछ लोग यहां भी आये। कल मैं दिल्ली गया हुआ था, वहां भी कुछ लोग अपनी चीत्कार पंडित पंत आदि को सुनाने के लिये पहुंचे। इसलिये उस लेवी में सुधार होने की आवश्यकता है। जो छोटे आदमी हैं, जिनकी जीविका का एकमात्र साधन वही है उनका अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिये। ऐसा न हो कि गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाय ।

स्टेट ट्रेडिंग का जिक्र हुआ माननीय नारायणदत्त जी ने अपने उत्तरदायित्व को यह कह कर समाप्त कर दिया कि स्टेट ट्रेडिंग का जो वर्तमान तरीका है, उसमें दोष है, उनकी राय में उसका स्वरूप क्या हो सकता है, उस पर प्रकाश डालने की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी और अपनी जिम्मेदारी को यह कह कर समाप्त कर दिया कि मैं उसको बताना नहीं चाहता। किसी विधान सभा में विरोधी दल के नेता के जिस रूप में उनका भाषण हुआ जिनके ऊपर वैकल्पिक सरकार को चलाने की जिम्मेदारी हो, उनसे मैं आशा करता था कि वे स्टेट ट्रेडिंग के वांछित रूप के बारे में अवश्य ही कुछ प्रकाश डालेंगे। जब वर्तमान नीति से उनको भी मतभेद हो सकता है और हमें भी कुछ न कुछ है, लेकिन अगर वे उसकी समालोचना करते और जिस रूप को वह चाहते हैं उस पर प्रकाश डालते तो हमें भी कुछ संकेत मिलता।

राज्य भाषा का जिक्र हुआ। मैं भी माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं उस फैसले के लिये जिसमें उन्होंने तय किया है कि कैबिनेट के सब फैसले और कार्य हिन्दी में ही हुआ करेंगे। मैं भी हिन्दी भाषा का एक अकिंचन उपासक रहा हूं और हमेशा से मेरी यह इच्छा रही है कि उसके लिये जो कुछ हमसे हो सके हम करें। लेकिन उसके साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस हिन्दी का स्वरूप क्या हो जिसका हम प्रयोग करते हैं। आज हमारे गजट की विज्ञप्तियां जिस भाषा में निकलती हैं, जिस रूप में निकलती हैं उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। थ्योरेटिकली, आदर्श रूप में, यह ठीक है कि उनके लिये हम साहित्यिक हिन्दी को स्वीकार करें, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में हमें व्यावहारिक रूप स्वीकार करना होगा कि हिन्दी तभी ग्राह्य हो सकती है जब वह आसानी से समझ में आ सके। मुझे यह कहते हुये लज्जा आती है कि हिन्दी के गजट की वह कापी जो हमें मुफ्त मिलती है, उसको समझने के लिये मंत्रालय की विशेष अनुमति से अंग्रेजी की कापी अपने पास से सब्सक्राइब करनी पड़ी है। जब हिन्दी के एक अकिंचन सेवक होते हुए भी मेरी यह कठिनाई है तो मैं समझता हूं और भी ऐसे सज्जन होंगे जिनको ऐसी कठिनाई अनुभव होती होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि जहां एक ओर हम हिन्दी की उपासना करें और उसको उचित स्थान दिलावें वहां हम यह भी देखें कि वही भाषा जीवित भाषा हो सकती है जो अधिक से अधिक लोगों की समझ में आ सके और इतनी गरल न हो जाय जो सार्वजनिक लोगों के समझने के योग्य ही न रह जाय। गजट में तथा आये दिन बिलों में प्रयोग होने वाली भाषा में यह दोष हमें लगता

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

है। हिन्दी को प्रोत्साहन देने के माने यह भी न हों कि हम उर्दू की अवहेलना करने लगें, जिन इलाकों में उर्दू बोली जाती है उसको वहां वैकल्पिक रूप में सुविधा न मिले। उर्दू भी इस प्रदेश में जन्मी, इस प्रदेश में पनपी, इसलिये उसको यहां संरक्षण का अधिकार है। मैं यह चाहता हूं जो उर्दू पढ़ना चाहें उन्हें उसकी पूरी सुविधा मिले।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--तब फिर आप उर्दू में बोला कीजिये।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---राजा साहब सलाह दे रहे हैं कि मैं उर्दू में बोला करूं। मैं नहीं समझता कि उर्दू और हिन्दी के बोलने में कोई अन्तर है।

मान्यवर, न्याय विभाग के बारे में दो शब्द में और कहूंगा। मैं हमेशा से इस बात का पोषक रहा हूं कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिये। मेरा यह चार्ज रहा है सरकार के ऊपर कि इस ओर हमारे कांस्टीट्यूशन में जितना जोर दिया गया है, इस जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन के ऊपर, उसका हम पूरा-पूरा ध्यान नहीं रख पाते और हम बहुत धीरे-धीरे चलते हैं। खुशी की बात है कि इस वर्ष उस ओर कुछ कदम उठाया गया है और १४ और जिलों में सरकार इस कार्य को करने जा रही है। मैं अपोजीशन के नेता से पूर्णतया सहमत हूं कि इस प्रथा को समस्त उत्तर प्रदेश में जितनी जल्दी हो सके लागू किया जाय तो उतना ही अच्छा होगा। इतना मैं और निवेदन करूंगा कि हमारे कोर्ट्स में जो एरियर्स हैं, वे चाहे हाईकोर्ट में हों या लोकल कोर्ट्स में हों, उनकी आज इतनी बढ़ोत्तरी हो चुकी है कि अगर हम उस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो Justice delayed is justice denied वाली बात हमारे ऊपर लागू होगी और लाखों व्यक्ति जो सरकार द्वारा न्याय मांगते हैं, जो उन न्यायालयों द्वारा न्याय की आकांक्षा करते हैं, वे कदाचित् अपने जीवन काल में उसको देखने में भी असमर्थ होंगे। उसके लिये मेरा निवेदन है कि नीचे न्यायालयों के स्तर की बात हो, चाहे ऊंचे न्यायालयों के स्तर की बात हो, इसके लिये सरकार कोई सक्रिय कदम उठावे। अगर इसके लिये मुंसिफ, जजेज, हाई कोर्ट, के जजेज की तादाद बढ़ाना जरूरी हो तो मान्यवर, उनको अविलम्ब बढ़ाना चाहिये। अगर केसेज के डिस्पोजल में देर हो तो उसके रास्ते में इकोनामी की बात नहीं आनी चाहिये कि एरियर्स को समाप्त करने के लिये यदि नई नियुक्तियां करनी पड़ें तो इसके लिये काफी रुपया वेतन आदि में खर्च करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस तरह से उनसे उन अनेक व्यक्तियों को न्याय से वंचित रखना होगा जो कि न्याय की मांग सरकार से करते हैं।

आखिर में मुझे सरकार की टैक्सेशन पालिसी के सम्बन्ध में कुछ कहना है। टैक्सेशन के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है जैसा कि टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि हम एक आल इंडिया टैक्सेशन कौंसिल कायम करें जिससे हमारे प्रदेश और केन्द्रीय सरकार के बीच में सन्तुलन हो सके तथा टैक्सेशन पालिसी से जो अनुभव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होता है, जो कठिनाई उनके सामने आती है, सभी दूसरे प्रदेश और केन्द्र आपस में विचार-विमर्श कर सकेंगे। मान्यवर, ऐसी सिफारिश टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने बड़े जोरों से की थी जिसको हम अपने यहां अभी इम्पलीमेंट नहीं कर सके हैं। मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी आल इंडिया टैक्सेशन कौंसिल बन सके और उसके अन्तर्गत टैक्सेशन कौंसिल बन सके, (Taxiation Reserch Beurue) टैक्सेशन रिसर्च ब्यूरो बने जो टैक्सेशन की पालिसी पर पूरी तरह से विचार कीजिये। आये दिन जो असन्तुलन इसीडेन्स आफ टैक्सेशन में होता रहता है वह कदाचित् न होने पावे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बजट के लिये बधाई देता हूं।

*राजा वीरेन्द्रशाह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो १९६०-६१ का बजट सरकार द्वारा सदन के सामने उपस्थित किया गया है उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। श्रीमन्, माननीय मंत्री महोदय ने हर साल की तरह इस साल के बजट को भी १ करोड़ से ज्यादा ही,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करीब २ करोड़ के घाटे का बजट बतलाया है। लेकिन जैसा कि विरोधी दल के नेता ने बतलाया, मैं स्पष्ट रूप से बतला देना चाहता हूं कि सन् १९४६ से, जब से कि मैं यहां आया हूं, बराबर देखता आ रहा हूं कि हर साल ही यहां घाटे का बजट पेश किया जाता है जो अन्त में जाकर बचत का बजट हो जाता है। सरकार केवल दिखलाने के लिये अपने बजट को घाटे के रूप में पेश करती है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जनता के सामने वह बड़े-बड़े वादे करके आयी कि जब उसकी सरकार होगी तो प्रान्त और देश से गरीबी को दूर कर देंगे। देहात की तरक्की करेंगे। देहात की पर कैपिटा इनकम के बारे में माननीय अग्रवाल जी ने अपने भाषण में बतलाया कि देहात की इनकम भी बढ़ गयी है। हो सकता है कि कहीं-कहीं एकाध परसेंट बढ़ गया हो जिससे उनको सारे देहात की इनकम बढ़ी हुई ही नजर आ रही हो। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। वे एक बात भूल गये इस साल जो यह मंत्रियों, सभा सचिवों की बढ़ोत्तरी हुई है और जो यह सदस्यों की आय बढ़ा दी गई है इस की क्या जरूरत थी? मैं आप के द्वारा सरकार से कहूंगा कि इस मामले में सभी पार्टियों के सदस्य सहमत होंगे कि जनता पर आज जो भार कर का है वह असहनीय है और देहात व नगरों की जनता को यह टैक्स बरदाश्त नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से नाना प्रकार के टैक्स लगाये जा रहे हैं और वसूल किये जा रहे हैं और जिस तरह से वह रुपया नाना प्रकार के विभागों द्वारा व्यय हो रहा है उस से जनता सन्तुष्ट नहीं है।

अभी यहां से एक अनुपूरक बजट २ दिन पहले पास हुआ था, जिस में १३ करोड़ रुपये की रकम सरकार ने हमसे मंजूर करा ली थी, वह एक ऐसी रकम थी कि जिस को मनमाने तरीके से आखिरी साल में सरकार ने खर्च कर के पास करा लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह प्लानिंग का युग है और आप कहते हैं कि जनता की अधिक से अधिक शक्ति को हम खर्च करना चाहते हैं तो उसके खर्च करने में आप को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उस के अपव्यय को भी रोकना चाहिये। यहां इस तरह से रुपया खर्च किया गया है कि उन की पार्टी में झगड़ा था और उसके संतुलन के लिये और बने रहने के लिये उपमंत्री और सभासचिव बढ़ाये गये और उन को फजूल में नियुक्ति की गई। उनकी क्या आवश्यकता थी किइस के कारण बताये जायं? क्या कोई विशेष योग्यता के लोग रखे गये हैं? क्या कोई टेक्निकल ज्ञान पाने की आवश्यकता थी या केवल पार्टी का संगठन ठीक करने के लिये जनता के पैसे से उपमंत्री बढ़ा डाले? मेरी कोई उन से व्यक्तिगत बात नहीं, लेकिन इस तरह से व्यर्थ में जनता का पैसा खर्च करना उस के प्रति अन्याय है। १,३३,००० रुपया इन मंत्रियों पर व्यय किया जायगा और साथ ही यहां के सदस्यों के लिये भी ७५ रुपया मासिक अलाउन्स बढ़ाया गया है। इसको बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अगर रहने की जगह नहीं थी तो हम बरदाश्त कर सकते थे। जब इस युग में जनता को बहुत कष्ट हो रहा है उस समय में हम में से हर एक को मिठाई, नमकीन खिलाया जाय यह ठीक नहीं है। हमें इस बात की खुशी नहीं है कि हमारे मकानों के लिये ५ लाख रुपया रखा गया है यह चीज फिर आगे भी कभी हो सकती थी।

मैं आप के द्वारा सरकार से कहूंगा कि वह ग्रामीण जनता की तरक्की चाहती है, लेकिन जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कालेज हैं या चिकित्सालय या दूसरी चीजें हैं उन सब के बारे में सरकार की एक प्रवृत्ति सी हो गई है कि वह सब चीजें शहरों में ही खोली जायं। आप कहते हैं कि हमने गरीब जनता के लिये हर ५ मील पर चिकित्सालय खोले हैं, लेकिन अभी जैसा कि उपनेता विरोधीदल ने बताया कि ५० प्रतिशत अस्पताल ऐसे हैं कि जहां डाक्टर नहीं हैं। यह दूसरा या तीसरा बजट है कि हर साल यह बात दोहराई जाती है, सन् ५७ के बजट से बराबर यह बात कही जाती है, लेकिन देहातों के लिये डाक्टर भेजने का कोई प्रयत्न सरकार ने नहीं किया। मैं सुझाव देता हूं कि वहां डाक्टर किस तरह से भेजे जा सकते हैं। जब आप सेक्रेटेरियट का कोई काम करने पर एस०डी०ओ० को २५० रुपया अधिक मासिक भत्ता देते हैं, शहर लखनऊ में रहने का एलाउन्स देते हैं तो आप देहात में डाक्टर को भेज कर एक पैसा भी अधिक क्यों नहीं देते? अगर उन को देहात में बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होती है तो उन को बच्चों की पढ़ाई का कुछ एलाउन्स आप क्यों नहीं देते? उन को भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र में रहने का भत्ता दिया जाय

[राजा वीरेन्द्रशाह]

तब हम समझें कि आप देहात के लोगों को चिकित्सा की वाकई सुविधा देना चाहते हैं। कभी भी कोई तरक्की की चीज देहात में नहीं होती। प्लानिंग के खंड देहातों में खोले गये। लेकिन वह सब यहां से कंट्रोल होते हैं। देहात वाले चाहते हैं कि हमारे यहां सड़क बने। आप चाहते हैं कि पहले कर्मचारियों के लिये मकान बनें। हमारे यहां जालौन जिले में रामपुरा में विकास खंड खोला गया। उसमें १ लाख १८ हजार रुपये से कर्मचारियों के लिये बिल्डिंग बनाई जा रही है। नियोजन कार्य में ५० हजार भी नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या वे देहात में झोपड़ियों में नहीं रह सकते किराये के मकान में नहीं रह सकते ? स्टेट बोर्ड की बैठक हुई थी। आप भी उसके सदस्य हैं, श्रीमन्। उसमें कहा गया कि जो इमारतें देहात में पड़ी हुई हैं उन्हें स्तेमाल किया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता ? क्या वह उनके रहने के लायक नहीं हैं? क्यों नहीं उन्हें इस्तेमाल में लेकर १ लाख १८ हजार रुपया बचा लिया जाता ?

यातायात की सबसे ज्यादा तकलीफ देहात में हैं। बहुत सी जगह बरसात में ४ महीने तक आदमी आ जा नहीं सकते। सवारी नहीं जा सकती। दवा भेजने की और ला ऐन्ड आर्डर की बात तो दूसरी तरफ रही। जो सरकार सन् १९३७ से आज तक यातायात का प्रबन्ध नहीं कर सकी वह क्या कर सकती है ? मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि जब तक आप नीचे से कार्य नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।

आपने अन्तरिम जिला परिषद् में जिला मैजिस्ट्रेट को रख दिया। जिलाधीश के होते हुए भी अब वहां का इंतजाम पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से खराब है। सड़कें नहीं बनाई गईं। दो साल से हम देख रहे हैं कि एक भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई। जिलाधीश वहां का प्रधान है। वह क्या क्या करे ? कमेटी में रहे, कमिश्नर के दौरे में साथ रहे, नेताओं के साथ रहे या अन्तरिम जिला परिषद् को देखे ? सारे का सारा काम चौपट हो गया है। कहते हैं कि जिला परिषद् का बिल बन रहा है। मैं कहता हूं कि वह जल्दी से जल्दी आना चाहिए।

आप कहते हैं कि करप्शन बंद हो। पहले कहा जाता था कि पुलिस का ही मुहकमा है जिसमें करप्शन होता है। अब मैं जानना चाहता हूं कि कौन-सा ऐसा मुहकमा है जिसमें करप्शन नहीं है ? उसका कारण है कि आप मौका देते हैं। कोई मुनासिब रोक नहीं है। जिले में एक आफिसर बना रखा है डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट (कम्पलेन्ट्स)। वह बिल्कुल बेकार है और एस० पी० साहब के इशारे पर चलता है। जो एस० पी० साहब कहते हैं वही रिपोर्ट लिखता है। इससे क्या फायदा ? उस खर्चे को कम करके क्यों नहीं दूसरे काम में लगा दिया जाता ? दो-तीन कम्प्लेन्ट्स लिख कर आराम से पेन्शन पाता है और घर पर पड़ा रहता है।

इसी तरह से नशाबन्दी पर हर साल जोर दिया जाता है, लेकिन काम में कोई तरक्की नहीं होती। मान लिया कि गांधी जी ने कहा है। लेकिन बहुत सी चीजें सरकार नहीं करती जो गांधी जी ने कही हैं तो इसे भी हटा दीजिए। क्यों फिजूल में १०, १२ करोड़ की आमदनी खो रहे हैं ? आप कह दीजिए कि शराब बन्दी में हम फेल रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि इस शराब बन्दी से और दुराचार फैल गया है, चोर बाजारी खूब चलती है।

पुलिस के बारे में माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा कि वह पुलिस कमीशन के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं समझते क्योंकि वह खुद उसके मेम्बर हैं। माननीय राज्यपाल ने ९ महीने पहले पुलिस कमीशन की घोषणा की थी वह बच्चा अब पैदा हुआ। लेकिन उसका काम इस मिनिस्ट्री के कार्यकाल में पूरा हो जायगा इसमें मुझे संदेह है।

पुलिस में सुधार के बारे में मेरे सुझाव हैं। एक तो यह कि पुलिस में करप्शन तभी बन्द हो सकता है जब एफ० आई० आर० ग्राम पंचायतों में भी लिखवायी जाने लगे। पहली रपट ग्राम पंचायत में और दूसरी थाने में। अगर ऐसा होने लगेगा तो थानेदार फिर मनमानी नहीं कर पायेंगे। आपको ग्राम पंचायतों पर विश्वास करना चाहिये। अंत में हम सरकार को बधाई देते हैं कि इस बजट में ग्राम पंचायतों को कुछ काम सौंपा गया है। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार बजट के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, १९६०-६१ के बजट को मैं पूंजीपतियों का बजट कहता हूं क्योंकि ९० फीसदी जो जनता हमारी गांवों में रहती हैं उसके लिये सरकार उस अनुपात से धन खर्च नहीं करती है। इसका हमें दुख है। इसीलिये यह असंतुलित बजट है। हमारे शासन की जो व्यवस्था है वह ऐसी है कि जो गरीबी को बढ़ा रही है। गरीब-गरीब होता जा रहा है और अमीर-अमीर होता जा रहा है।

भूमि-व्यवस्था जरा देखें। एक ही गांव में रबी १, २, ३, और ४ की जमीन मौजूद है, लेकिन लगान की दरें अलग-अलग हैं। बड़े आदमी का लगान कम है और छोटे काश्तकार का लगान ज्यादा है। हमारे जिले में, ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ हल नहीं जोतते हैं, लेकिन जमीन उनके पास है। तो वह आध-बटाई पर अपनी जमीन दे दिया करते थे और पैदावार का आधा काश्तकार से ले लेते थे। लेकिन अब वह जमीन नहीं देते क्योंकि कानून ऐसा बन गया है कि खेत उसी का होगा जो जोतेगा, बोयेगा। वह उस डर से मसुरी छिटकाता है और नाममात्र को फसल हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा खेत परती ही रह जाता है और लेखपाल को कुछ पैसा बड़ा आदमी दे कर परताल करा देता है। तो हम देखेंगे कि जो बजट पेश है उसमें सुधार करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है केवल अधिकारियों को बढ़ाने की। हमारे बजट में जितना धन है उसमें अधिकतर जहां से सत्ताधारी मंत्री हैं उन्हीं के क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है। आप वाराणसी पर विचार करें तो आप देखेंगे कि बहुत सा रुपया वाराणसी में ही खर्च किया जा रहा है और इस तरह से गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

कोई भी बजट देश की आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक तरक्की के लिये ही रखा जाता है जिससे प्रदेश के लोगों की तरक्की हो सके, लोग आगे बढ़ सकें, लेकिन हमारा बजट जो है उसमें इस बात की कमी है। आप देखें कि शराब एक ऐसी चीज है जिससे मनुष्य का आर्थिक, नैतिक व शारीरिक पतन होता है। जिस वक्त हम लोग कांग्रेस में रह कर देश की आजादी के लिये लड़ाई करते थे, हजारों आदमी उसके लिये पैर पकड़ कर घसीटे गये, लेकिन आज उस शराब को यह सरकार बराबर चलाये जा रही है। यह पैसे के लोभ में जनता की आर्थिक हालत को, नैतिक हालत को, सांस्कृतिक हालत को आगे बढ़ाने का एक ढोंग रचती है, लेकिन वास्तव में वह चाह नहीं रही है, नहीं तो ऐसी चीज जो देश को रसातल को ले जाय और जिसके लिये कांग्रेस पार्टी ने काफी प्रयत्न किया था, आज जब शासन उसके हाथ में आया तो वह क्यों उस तरफ से उदास पड़ी हुई है यह मेरी समझ में नहीं आता है, यह आखिर क्यों घोंघापन्थी की जा रही है।

वन विभाग की तरफ ध्यान दिया जाय। बन के किनारे पर गरीब लोग बसे होते हैं जो वहां से पत्तियां तोड़ कर पत्तल बनाते थे और अपना गुजारा करते थे। उनको वहां से लकड़ी भी मिल जाती थी, लेकिन आज वे ऐसा नहीं कर सकते और उन पर इस तरह की कैद लगी हुई है कि वे कुछ भी वहां से नहीं ले सकते। आज जंगलों के किनारे जो लोग खेती करते हैं उनकी क्या हालत है? कहीं-कहीं वहां ऐसा है कि थोड़ा-सा एक सिरा हाथी के सूंड़ सा निकल गया है पूरा ८ बीघा या १० बीघा एक तरफ की जमीन है जहां खेती नहीं होती है और कुछ बीच में खेती हो रही है सरकार को चाहिए कि उस बढ़े हुए हिस्से को

[श्री दुर्योधन]

एक तरफ ले ले और वन विभाग में लगा कर जंगल लगा दें और दूसरी तरफ का जो बढ़ा हुआ हिस्सा है वह इस प्रकार जंगली जानवरों व पशुओं द्वारा जो नुकसान होता है उससे बच जायगा ।

आप जानते हैं कि खेती की तरक्की सिंचाई पर निर्भर है । सरकार ने जो यह बजट पेश किया है मेरी ऐसी राय है कि ज्यादा से ज्यादा अगर कुवें बनाये जायं तो ज्यादा फायदा हो सकता है । हमारे यहां नारायणी कैनाल है जिसके बनने में ६७ लाख रुपया मंजूर हुआ था, लेकिन करीब १ करोड़ रुपये के खर्च हुए । और नहर किसानों को अब भी पानी नहीं दे पाती है । इसका कारण है अधिकारियों की उदासीनता । जब काश्तकार पानी के लिये दरख्वास्त देता है तो उसमें इतनी देर लगती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं और समय निकल जाने के बाद पानी आता है । इस साल जब इस्तफा हुसैन साहब, जो सभा सचिव हैं, गोरखपुर पधारे थे तो उनके सामने काश्तकारों ने पेश किया कि हम लोगों का इस वक्त बेठौनी का टाइम है, जापानी ढंग से हम खेती करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उससे कितना फायदा होता है, हम लोगों को पानी मिलना चाहिये, लेकिन बारहा कोशिश करने के बाद भी उनको पानी नहीं मिला और जब बारिश हुई तभी वे बीज बैठा पाये । साधन रहते हुये अधिकारियों की यह उदासीनता देश को गारत किये डाल रही है ।

इसके बाद आप देखेंगे कि सरकार ने जो पंचायत विभाग कायम किया है उस पर जो रुपया खर्च हो रहा है उसमें क्या हो रहा है । पंचायतों की बैठकें साल में दो होनी चाहिये, रबी की और खरीफ की, लेकिन कोई पंचायत नियमित रूप से बैठती नहीं है बल्कि उसके कार्यक्रम को फर्जी अंगूठा लगवा कर पूरा कर दिया जाता है और किसान को मालूम नहीं होने पाता है कि वाकई क्या चीज मीटिंग में पास हुई ।

श्री प्रतापसिंह—व्यवस्था का प्रश्न ! मान्यवर, जिस कुर्सी पर आप आसीन हैं उसी से कई बार यह व्यवस्था हो चुकी है कि जब बजट पर जनरल डिस्कशन हो रहा हो उस समय वित्त मंत्री अवश्यमेव सदन में उपस्थित रहेंगे और ग्रांट्स के समय जिस मंत्री की ग्रांट हो वह जरूर रहेंगे । इस समय ढाई बजा है, लेकिन. फाइनेन्स मिनिस्टर साहब यहां मौजूद नहीं है, केवल एक मंत्री महोदय हैं । इसलिये इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—श्रीमन्, फाइनेन्स मिनिस्टर साहब बहुत मजबूरी से खाना खाने गये हैं और बहुत जल्द हाजिर हो जायेंगे । दूसरे मिनिस्टर भी इस वक्त खासतौर से खाना खाने गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता—तो मैं समझता हूं कि माननीय प्रतापसिंह जी इस कठिनाई को अनुभव करेंगे और उससे संतुष्ट हो जायंगे ।

श्री दुर्योधन—मैं कह रहा था कि किसान को जानकारी नहीं हो पाती कि क्या चीजें पास हुईं और क्या नहीं पास हुईं और उसके ऊपर मनमाने तरीके से टैक्स लगा दिया जाता है जब कि अगर उनके सामने पेश किया जाता तो शायद वह मेहनत करके किसी सड़क का निर्माण करते या किसी तालाब को गहरा करते । लेकिन उनको मालूम ही नहीं हो पाता है और टैक्स लग जाता है और उसकी वसूली बड़ी निर्दयता से की जाती है । इसके अलावा अदालती पंचायतों में मुकदमों में इतनी तारीखें पड़ती हैं कि जिसकी वजह से किसान परेशान हो रहा है । उसके लिये सरकार को चाहिये कि वह कड़े से कड़ा नियम बनाये कि मुकदमे जल्द से जल्द अदालतों में फैसल किये जायं ।

इसके अलावा गांव के किसानों की मीटिंग की जाय जिसमें उन्हें योजनायें समझायी जायं और समझा कर हर काश्तकार को राजी किया जाय । मैं अपने दौरे में एक गांव में पहुंचा तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप लोगों ने कैसा कानून बना दिया कि जो ठप्पे से न बोये उस पर मुकदमा चला दिया जाय । मैंने कहा कि हम लोगों ने तो इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया बल्कि गांव के लोगों के लिये सरकार की तरफ से योजनायें चलायी जा रही हैं जिससे तुम्हारी हालत सुधरे । लेकिन पता लगाने पर यह मालूम हुआ कि उनके ऊपर जो हमारे अधिकारी आज गांवों में काम कर रहे हैं वह सेवक की भावना नहीं रख रहे हैं । वह जाते ही अपने को अफसर घोषित करते हैं । जब कोई काश्तकार उनकी बात नहीं मानता है तो कहीं गंदगी की रिपोर्ट कर देते हैं तो कहीं कुछ और और आठ आठ दिन तक उसको दौड़ाते हैं । मैंने अधिकारियों से बुला कर कहा कि आप क्या चाहते हैं ? जब तक आप लोग देश की तरक्की नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता । सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती । हम लोग बारहा कहते थे कि देशी गन्ना छोड़ दो और फार्म गन्ना बोओ । लेकिन किसान नहीं मानता था । अब समझाने बुझाने से जब वह बोने लगा तो अब अगर अधिकारी जाकर उससे कहने लगें कि फार्म गन्ना न बो कर देशी गन्ना बोओ तो वह सुनने के लिए तैयार नहीं है ।

सरकार की तरफ से गांवों में जो लोग तैनात किये गये हैं वह किसानों में साफ सुथरी हालत में जायं, लेकिन उसी वेशभूषा में जायं जिसमें किसान रहता है और ऐसे लोगों की भरती की जाय जो गांवों में रहते हैं । शहर के रहने वाले देहातों में भेज दिये जाते हैं । वह कागज पर अपना काम दिखा कर फिर शहर में लौट आते हैं । हमारे मंत्रीगण, जब तक गांधी जी जीवित थे तब तक गांवों में जाते थे, पुआल पर सोते थे, किसानों की हालत जानते थे और उनके कष्ट निवारण का उपाय करते थे । लेकिन आजकल लोग देहात में तो जाते नहीं । अगर जाते हैं तो मोटर से जाते हैं । तो पुआल पर क्यों सोयेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—अब आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—"आप का समय समाप्त हो गया"—यह कुछ थोड़ा अशुभ मालूम होता है ।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि सदन इसको समझने की काफी अक्ल रखता है ।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे, विरोधी दल के नेता तथा दो अन्य विरोधी दल के सदस्यों के भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ ।

मुझे आशा थी कि माननीय नारायणदत्त तिवारी बजट के ऊपर कुछ विशेष प्रकाश डालेंगे । उनकी स्पीच बड़ी सुन्दर, बड़ी मधुर बड़ी लम्बी थी । लेकिन मुझे कुछ अपनी आदतवश थोड़ा-सा उस पर जजमेंट देने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है । मैंने एक दफा विरोधी दल के नेता की बजट स्पीच के लिए कहा था कि यह "गटर इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट है" ! यह स्पीच उससे ज्यादा अच्छी थी । लेकिन इस स्पीच के मुताल्लिक जो मेरा अपना जजमेंट है वह यह है कि यह आडिटर जनरल की आडिट रिपोर्ट है । इसमें बजट के ऊपर और उसके प्रोफार्मा के ऊपर और कौन-सी रकम कहां हो इसके ऊपर तो अधिक सुझाव हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैं इस बारे में व्यवस्था चाहता हूं कि किसी माननीय सदस्य को किसी दूसरे माननीय सदस्य के भाषण पर जजमेंट देने का अधिकार है ?

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि जो "जजमेंट" उन्होंने कहा है उसका अर्थ "विवेक" है।

श्री हरिशचन्द्र सिंह---जो कुछ उन्होंने इस बजट के मुताल्लिक कहा उस से यह प्रतीत नहीं होता कि आया वह बजट से असन्तुष्ट हैं या इस बजट में कोई ऐसी चीज है जिसे कि वह दिखला सकें कि इस से जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य से हम विचलित हो रहे हैं।

किसी प्रदेश या किसी देश का जब बजट रखा जाता है तो उस से तीन चार चीजों का आभास होता है। पहला आभास इस बात का होता है कि आर्थिक स्थिति उस समाज या उस प्रदेश की कैसी है। दूसरी चीज यह कि जो संकल्प हमने पिछले वर्षों में किया था वह संकल्प हम पूरा कर चुके हैं या नहीं। और तीसरी चीज यह कि जो संकल्प हम करने जा रहे हैं वह संकल्प उस लक्ष्य की पूर्ति की ओर है या नहीं जो लक्ष्य कि हम ने निर्धारित किया है। मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से माननीय उपनेता विरोधी दल ने कोई प्रकाश डालने की कोशिश नहीं की। चूंकि समय थोड़ा है इस लिए थोड़ा-थोड़ा ही कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि उन्होंने बजट की कोई आलोचना या कटु आलोचना नहीं की है इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है और जो लक्ष्य हम पूरा करना चाहते थे उस लक्ष्य की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत सी चीजें उन्होंने एक प्रोफार्मा के रूप में सजेस्ट की हैं, बतलायी हैं। ठीक हैं वे। मुमकिन है कि जिस राय के वह अनुयायी या अनुगामी हैं वह ठीक हो। माननीय वित्त मन्त्री इस बात का ध्यान रखेंगे और जो चीज उस में से ठीक हो उस को वह ले लेंगे।

एक चीज मैं इस सदन के सम्मुख आपके द्वारा रखना चाहता हूं और वह यह है कि जो लक्ष्य हम ने निर्धारित किया है उसको पूरा करने में हम कामयाब हो रहे हैं या नहीं। यह बात खासतौर से देखने की है। संकल्प तो शुभ है। लेकिन कुछ भी कारण हों, हम उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं रहे हैं। इस चीज को जानने के लिए हमको खोज भी करनी पड़ेगी कि वह कारण क्या हैं। मैं सबसे पहले ये जो आंकड़े दिये गए हैं इसके पहले पेज को ही लेता हूं। उससे यह प्रतीत होता है कि हमारी पर कैपिटा इन्कम (प्रति व्यक्ति की आमदनी) कुछ बढ़ नहीं रही है। सन् १९४८-४९ के आंकड़ों के आधार पर ५६-५७ में गांव के आदमी को प्रति व्यक्ति आय १९५ रुपये ५ आना थी और उसी साल में शहर के प्रति व्यक्ति की आय ६४५ रुपये ८ आना थी। कितना बड़ा गैप है। कितनी बड़ी खाई बीच में है कि तिगुने से ज्यादा इनकम तो शहर के आदमियों की है। सन् ५८-५९ में १९३ रु० ५ आना गांव के आदमी की और शहर के लोगों की आमदनी बढ़कर के हो गई ६७३ रुपये १ आना। गांवों के आदमियों की आमदनी १९५८-५९ में कम होकर १९३ रुपये ५ आना रह गई। उसके बाद फिर बढ़कर वह वहीं आ गई जो १९५६-५७ में थी। हम जब छोटे थे तो हम पढ़ा करते थे और गाया भी करते थे कि हिन्दुस्तान की कमाई फी कस ११ पाई है और आज वह आमदनी आठ आना रोज हो गई है, लेकिन उस आठ आने की कीमत उस ११ पाई के बराबर है। तो हम अभी रहे तो वहीं जहां पर थे। हम आगे नहीं बढ़ पाये और शहर का आदमी हमसे चौगुना के करीब पाता है। यह चीज अपनी जगह पर कायम है।

इस देश में ८० फीसदी आदमी गांवों में रहते हैं। उनका पेशा केवल खेती ही है। उस खेती को बढ़ाने के साधन की खोजबीन, बातचीत तो बहुत है, लेकिन वास्तविक रूप में क्या हो रहा है इसको जानने की भी जरूरत है। केवल १२ फीसदी जमीन की आबपाशी हो सकती है। गांव का आदमी साधनहीन है। गांव ही स्रोत हमारे आराम के साधन को पैदा करने का है। लेकिन वह स्रोत अब सूखता सा जा रहा है। उस स्रोत की तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन जो शहर में बैठकर उसको पैदा नहीं करता, जिसको असली पैदा करना कहते हैं और उसका रूपान्तर करके जो धन पाता है, वह उन से चार गुना अधिक पाते हैं। गांव का आदमी फिर भी ज्यों का त्यों है। इसकी ओर वास्तविक तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। गांव में वह सुविधा नहीं प्राप्त है जो शहर के आदमी को प्राप्त है। गांवों में शफाखाने नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं। वहां पर कोई सड़कें नहीं हैं और इस प्रकार का कोई

साधन नहीं है जिनसे कि उनको वह सुविधा, जो शहर के आदमियों को प्राप्त है, गांव के आदमियों को प्राप्त हों। मुझे शहर के आदमियों से कोई द्वेष नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनको जो सुविधा इस समय प्राप्त है, उससे चारगुनी और आठगुनी सुविधा प्राप्त हो, लेकिन गांव का आदमी, जिसको एलीमेंटरी सुविधा कहते हैं, वह प्राप्त नहीं है। यह दशा है गांव के आदमियों की।

दूसरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि शिक्षा तो हमारी बढ़ी जरूर है, लेकिन मैं उस शिक्षा को साक्षरता कहता हूं। उसको शिक्षा नहीं कहता हूं। हमारे देश में इतने ग्रेजुएट हैं जितनी कि स्विटजरलैन्ड की आबादी है, लेकिन क्या हमारा नैतिक पतन नहीं हो रहा है? उस नैतिक पतन को रोकने के लिये क्या हमें कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत नहीं है? हमारे देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुल रही है और बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी फैक्ट्री बनी है जिसमें मनुष्य मनुष्य बने? मैं यह समझता हूं कि जब तक हमारे अन्दर मनुष्यता नहीं आती, जब तक हमारा नैतिक पतन जारी रहता है तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की आसमान से नहीं उतरा करती, तरक्की नीचे से इवाल्व (पैदा) हुआ करती है और वह कौन करेगा? उसे व्यक्ति करेगा। महात्मा गांधी सदैव कहा करते थे कि व्यक्ति ही किसी समाज और प्रदेश की वह एक इकाई है कि जिस के ऊपर उस समाज का और देश का, प्रदेश का भार आता है। जब तक हमारे देश में उस इकाई को बनाने का कोई प्रबन्ध न हो, जब तक हमारे देश में नैतिक पतन जारी रहेगा, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की बाहर से रुपया लाने से, कर्ज लेने से या बहुत सा सामान इधर उधर से इकट्ठा कर लेने से ही नहीं होगी, तरक्की उस वक्त होगी कि जब जो सामान और रुपया हमारे यहां आया है उसका इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति उसका सही इस्तेमाल जानें। इसलिये मैं आशा करता हूं कि हमारे देश के नेता और जो अन्य माननीय पुरुष हैं वे इस बात का भी ध्यान करें कि हम नैतिक पतन को कैसे रोक सकते हैं और उसके लिये कैसी फैक्ट्री खोलें, सिंदरी में खोलें या आगरे में खोलें, लेकिन यह फैक्ट्री खोलनी ही पड़ेगी।

इसके बाद मुझे दो चार बातें और अर्ज करनी हैं। हम लोग और खास तौर से हाउस के कुछ सदस्य जुडिशियरी के बारे में बड़ी कटु बात बोलते हैं। कहा जाता है कि उन में से कुछ बड़े विद्वान भी हैं, लेकिन अभी वह शायद यह समझे नहीं है कि जनतंत्र और प्रजातंत्र को कायम रखने के लिये एक निष्पक्ष, संतुष्ट और स्वतंत्र (इंडिपेंडेंट) जुडिशियरी की बड़ी सख्त जरूरत है। जब तक इस किस्म की जुडिशियरी नहीं होगी तब तक प्रजातंत्र को कायम रखने के लिये सफलता नहीं हो सकती है। पार्टियां तो बदला करती हैं, हम नहीं रहेंगे तो कोई दूसरी पार्टी आ जायगी, लेकिन न्याय का जो प्रशासन है वह तो सदैव एक सा रहना चाहिये। अभी हमारे देश वासियों को यहां के न्याय विभाग पर बड़ा विश्वास है, लेकिन यह विश्वास कायम रहे इस के लिये हमारी सरकार की बड़ी भारी चेष्टा होनी चाहिये। मैं देखता हूं कि एक सिविल जज जो ४०० या ४५० रुपया तनख्वाह पाता है उसका अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। क्या वह इस महंगाई के जमाने में यह महसूस नहीं करता कि इतनी तनख्वाह उस के खर्च के लिये कम है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जरा इस बात का भी ध्यान रखें कि वह आदमी ईमानदारी से अपना काम कर सके और इसलिये उसको कुछ थोड़ा सा एलाउन्स दें।

शासन में कुछ थोड़े नुक्स भी हैं (लाल बत्ती जलने पर) मैं चाहूंगा कि आप मुझे ५ मिनट और दें। पहली बात तो यह है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के तीन बड़े दुश्मन हैं, एक व्हाइट एलीफेंट (सफेद खर्चीला हाथी), दूसरा लाल फीता और तीसरा काला चोर।

लाल फीते की एक बड़ी सुन्दर मिसाल दे सकता हूं। वह यह कि एक बड़ा गलत रूल बन गया सन् ५२ में जिसके मातहत यह हुआ कि जो आदमी नीचे हैं वह तनख्वाह ज्यादा पावेंगे, ऊपर वाले कम पावेंगे। गवर्नमेंट ने सुझाव पर मान लिया कि यह रूल गलत है, लेकिन १९५३ से १९५९ हो गया, ७ वर्ष हो गये और बहुत से प्रार्थी मर भी गये उनमें से और मरने

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को एक दमड़ी नहीं मिली है और मिसिल इधर से उधर दौड़ती है, पता नहीं चलता कि कहां गयी। यह लाल फीता है असली। बावजूद इसके कि मैंने जितने वित्त मंत्री आये उन सबके आगे यह चीज रखी, लेकिन उस लाल फीते को न वह काट सके और न अबतक कट सका। उसके बाद एक और चीज ले लीजिये। हायर जुडीशियल सर्विस सन् १९४७ में कायम हुई और बहुत से मेम्बर मर गये उन में से, लेकिन आज तक उनकी पेंशन कायम नहीं हो सकी है। उनको अब भी प्राविजनल पेंशन मिलती है। यह भी एक लाल फीता है। जब आई०ए०एस० की और आई पी०एस० के पेंशन रूल्स बन गये तो हायर जुडीशियल सर्विस के रूल्स बनने में क्या देर लगती थी? मैं आशा करता हूं कि उन गरीबों की ओर भी ध्यान दिया जाय जो मर गये और उनकी पेंशन कायम नहीं हो पायी, उनके बच्चे उससे महरूम रह जायेंगे।

अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने निहायत सुन्दर, संतुलित और अच्छा बजट पेश किया है और माननीय नारायणदत्त जी भी इस बजट को इस प्वाइंट आफ व्यू से क्रिटिसाइज नहीं कर सके। लेकिन हमको यह देखना पड़ेगा कि हमको वह कार्य करने हैं जिनसे हमारे देश और जनता का कल्याण हो, उन गरीब काश्तकारों का कल्याण हो जिसके पास साधन नहीं है, सिंचाई के लिये कुएँ नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं। लखनऊ और बड़े बड़े शहरों में ये मकान तो बन ही जायेंगे और बना ही करेंगे, लेकिन अगर आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो कुयें बनवाइये, सड़कें बनवाइये और वहां की स्थिति देखकर वहां के रहने वालों के प्रति जितनी सद्भावना से काम कर सकें वह करना चाहिये। धन्यबाद।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान प्रथम इस ओर आकर्षित करूंगा....

एक सदस्य---जरा घसीट कम बोलियेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही बोलूंगा, आप सुनने की कोशिश करें। मुझे एक ऐसे शहर से आने का अधिकार प्राप्त है जिसके बारे में बतलाया गया है कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा वहां कास्ट आफ लिविंग चढ़ी हुई है। वहां ४६८ कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स है जोकि बम्बई और कलकत्ते से भी बढ़ी हुई है। उसके साथ-साथ वहां की एक और विशेषता है कि जिसमें मैं समझता हूं टी०बी०का इंसीडेंस सारे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा है, वह हर माह ५ हजार है। जिस शहर की कास्ट आफ लिविंग इतनी हाई हो और टी०बी० का इंसीडेंस इतना अधिक हो उसका एक प्रतिनिधि आपके सामने इस शासन की कार्य प्रणाली की ओर ध्यान दिलाना चाहता है। मैं उसी शहर से आता हूं जहां पर पूर्वी हिस्से से और पश्चिमी हिस्से से, दोनों तरफ से लोग आते हैं। वहां पर चारों तरफ के लोग आते रहते हैं। पता नहीं कि कास्ट आफ लिविंग को बढ़ाने के लिये ही आते हैं क्या?

इस बजट में जो थोड़ी सी मिस्ट्री है, उसी को बताने के लिये खड़ा हुआ हूं और जिस पर काफी प्रकाश हम लोगों ने अब तक डाला भी है। अब तक जो भी हमारे वित्त मंत्री रहे हैं, चाहें वे अलोजहोर साहब रहे हों या हाफिज जी रहे हों, उनकी एक कार्य प्रणाली यही रही है कि किस तरह से अपने बजट में आय को अन्डर इस्टीमेटेड दिखायें और खर्च को ओवर इस्टीमेटेड। यह जो तरीके अपनाये गये हैं, यद्यपि उनके विरुद्ध हम लोगों ने काफी विरोध किया है, उनमें अभी तक कोई हेरफेर नहीं किया गया है। सन् १९५८-५९ में प्राप्तियों की जो एक्चुअल फिगर्स हमारे सामने रखी गयी थीं उनमें ९ करोड़ का अन्तर है। १९५९-६० में भी जो आय बतायी गयी थी और जो एक्चुअल फिगर्स हमारे सामने रखी गयी थीं, उनमें भी पौने तीन करोड़ का फर्क हो गया। इस वर्ष भी जो आंकड़े रखे गये हैं

उनमें भी इसी तरह काफी फर्क होगा। व्यय की मदों में भी इसी प्रकार काफी अन्तर देखने को मिलता है। इस प्रकार के आंकड़ों को कभी भी सच्चा नहीं कहा जा सकता है। उन पर कभो भो विश्वास नहीं किया जा सकता है।

(इस समय ३ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुये।)

जो भी आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किये जाते हैं वे कभी सही नहीं मिलते। हमेशा जो तखमीने हमारे सामने रखे जाते हैं वे कुछ कम दिखाई देते हैं और आगे चलकर वे बढ़े हुये दिखाई देते हैं। आमदनी भी कम करके दिखाई जाती है। १०८ करोड़ के तखमीने सन् १९५८ में हमारे सामने थे जबकि साल दो साल बाद वे बढ़ कर १३५ करोड़ के हो गये। यह इतने करोड़ का फर्क हो गया। तो जब आय बढ़ती जा रही हो, आमदनी निरंतर बढ़ती जाय, जब सरकार को यह मालूम हो जाय कि उसकी आमदनी बढ़ गयी है, तो उसके लिये क्या यह सोचना उचित नहीं है कि वह टैक्सों के बरडेन को कम करने के लिये भी सोचे। इस बजट के तमाम लम्बे चौड़े भाषण में एक आध जगह यह देखने को मिला है कि सेल्स टैक्स में कहीं कुछ कमी कर दी गयी है। कुछ चीजों पर टैक्स कम कर दिया गया है।

मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में गांवों में बहुत ज्यादा इंडेटेडनेस है जो उनको परेशान किये हुये हैं। ग्रामीण जीवन की सुरक्षा के लिये तीन चार बातें जरूरी हैं और मैं उन तीन चार बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सबसे बड़ी आवश्यकता तो इस बात की है कि उनके लिये मकान बन सकें। मकानों की आवश्यकता उनके लिये बहुत जरूरी चीज है। सरकार ने शुरू में ही अपने तखमीनों में यह स्वीकार किया है कि सन् १९५८-५९ में सिंचाई से आय कम हो गयी है। यह कमी १ करोड़ ७७ लाख बतायी गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि आज देश के लिये, देश के किसानों के लिये, अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिये, पानी की सबसे बड़ी आवश्यकता है और अगर वह पानी हमें समय से मिले, अगर हमें पानी अधिक मिले तो क्यों न सिंचाई से सरकार की आमदनी बढ़ जाय। जब हम देखते हैं कि सिंचाई से सरकार की आमदनी घट गई तो हम सोचते हैं कि सरकार सिंचाई के साधन नहीं दे पाई या उसके सिंचाई के रेट इतने गलत हैं जिनके कारण लोगों ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। एक तरफ सरकार यह कहती है कि हमें सिंचाई में एक करोड़ ७७ लाख की आमदनी कम हुई, लेकिन इस साल सन् १९६० के लिये वह कहने जा रही है कि उसे सिंचाई से एक करोड़ की आमदनी ज्यादा होगी। मुझे आश्चर्य है कि सरकार किस प्रकार तखमीना लगाती है। परसाल बरसात की इतनी तकलीफ नहीं थी जबकि इस साल बरसात की ज्यादा तकलीफ है। माननीय वित्त मंत्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल धान की फसल बरबाद हुई है, लेकिन यह भी आशा प्रकट की गई है कि रबी की फसल अच्छी होगी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि रबी की फसल धान की फसल से भी ज्यादा खराब होगी। इस फसल को हाल के पाले, बीज का न होना, बरसात की कमी और सिंचाई के साधनों की कमी ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है और जब आप उम्मीद करते हैं कि एक करोड़ रुपये की अधिक आमदनी होगी तो संदेह पैदा होता है कि पिछले साल जबकि अच्छी बरसात हुई थी तब एक करोड़ ७७ लाख रुपये की आमदनी कम हुई तो इस साल एक करोड़ रुपये की आमदनी ज्यादा कैसे हो जायगी इस समय वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि उन तक मेरी आवाज पहुंचे।

पिछले भाषण में माननीय नेता विरोधी दल, श्री त्रिलोकीसिंह ने एक अच्छी सी बात कही थी और उसे सरकार ने ग्रहण भी किया था कि इस प्रदेश में दिन प्रति दिन कुओं की कमी होती जा रही है और जो कुयें हैं उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती। यह बात बिलकुल सही है और मेरे पास आंकड़े हैं कि कुये घटते जा रहे हैं। इस बात को स्वीकार करके माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम नहरों की सुरक्षा, उन्नति और वृद्धि में तो ध्यान देंगे ही, साथ ही साथ कुओं की तादाद में भी वृद्धि करेंगे और कुओं की तरक्की के लिये डेढ़ करोड़ रुपये

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

का अनुदान रखा गया था। मैं जानना चाहता हूं कि डेढ़ करोड़ रुपये का अनुदान जो उन्होंने घोषित किया था कुवों के लिये वह किस प्रकार खर्च किया गया या खर्च ही नहीं किया गया क्योंकि जब हम गांवों में अपनी आंखों से देखते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि कुवों के साथ-साथ सिंवाई के अन्य साधनों में भी कमी हुई है। इससे ऐसा मालूम होता है कि सरकार के सारे अनुदान केवल कागजों पर ही रह जाते हैं। आप देखें कि नहरों से सन् १९५७–५८ में जबकि ४७ लाख ६० हजार एकड़ जमीन सींची गई तब सन् १९५८–५९ में ४५ लाख ८३ हजार एकड़ जमीन ही सींची गई यानी सिंचाई कम हुई। कुवों के द्वारा पिछले साल ४८ लाख ६५ हजार एकड़ जमीन सींची गई थी वह इस साल ४६ लाख ४६ हजार एकड़ जमीन ही सींची जा सकी है। तो आप देखेंगे कि कुवों के द्वारा भी और नहरों से भी सिंचाई की मिकदार कम हुई है। ऐसी हालत में हम किसानों के साथ कोई सुविधा प्रदान कर रहे हैं, इसपर मुझे संदेह होता है।

श्रीमन्, ग्राम्य जीवन को सुखमय बनाने के लिये मैंने दूसरी बात यह बताई थी कि सरकार की मालगुजारी की नीति अच्छी होनी चाहिये। सरकार ने हमेशा किसानों को मालगुजारी नीति पर विश्वास दिलाकर धोखा दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने पहले बड़े ऊंचे स्वर से पास किया था कि हम किसानों के लगान की समस्याओं को हल करेंगे, उसमें मैं अब नहीं पड़ना चाहता क्योंकि मंत्री जी अब नयी थ्योरी कहते हैं कि लगान क्यों कम करें, अब तो उपज की कीमत बढ़ गई है। हमें बताया गया है कि १९५९–६० के बजट में एक करोड़ ३ लाख रुपये की मालगुजारी में कमी हो गई। लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वे इस कमी को किस प्रकार से बताते हैं जब कि पिछले बजट भाषण में हमें यह बताया गया था कि लैन्ड रेवेन्यू की पालिसी के बदलने से हमारी आमदनी २ करोड़ रुपया बढ़ेगी। मेरी इत्तला है कि उस प्रकार से अब हमारी आमदनी २ करोड़ के बजाय ८ करोड़ रुपया बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमें बताया जाता है कि १,०३ लाख रुपये का घाटा होने जा रहा है। इससे मालूम होता है कि सरकार मालगुजारी की नीति में कुछ दूसरे प्रकार का रवैया अख्तियार कर रही है।

अब मैं इन ग्राम्य जीवन के पहलुओं पर जोर न देकर थोड़े से आंकड़े रखना चाहता हूं जिससे जाहिर होगा कि सरकार की नीति ग्राम्य जीवन के सुधार की ओर न जाकर उल्टी ओर ही जा रही है। ग्राम्य जीवन को सुखमय बनाने के लिये सरकार ने गांवों में ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं की स्थापना की। लेकिन अगर हम आंकड़े उठाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि ग्राम पंचायतें और अदालत पंचायतें निकम्मी हो रही हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि ग्राम प्रधानों का चुनाव अब गुप्त मतदान के द्वारा होगा लेकिन पता नहीं कि उन्होंने कभी यह भी सोचा है या नहीं कि अदालत पंचायतों में कोई सुधार होना चाहिये या नहीं। अदालत पंचायतों के आंकड़े माननीय मंत्री जी ने स्वयं रखे। जब कि उन्होंने सन् ५७–५८ में २ लाख २१ हजार मुकदमें किये वहां पिछले साल उन्होंने १ लाख ९५ हजार मुकदमें ही किये। यह उनकी कार्यशैली को बता रहा है। यदि हम यह कहें कि मुकदमेबाजी कम हो रही है, तो यह बात नहीं है। अगर सिविल कोर्ट्स के आंकड़े इस सरकार के देखे जायं तो मालूम होगा कि सिविल और क्रिमिनल दोनों कोर्ट्स के मुकदमों और आफीसर्स में वृद्धि हुई है। लेकिन पंचायतों के आंकड़ों में वृद्धि नहीं हुई। यह इस कारण से है कि ६७ हजार मुकदमों में से ३५ हजार खारिज कर दिये गये, ३२ हजार का फैसला हुआ या समझा बुझा कर खत्म कर दिये गये। इससे जाहिर है कि या तो समझा बुझा दिया या खारिज कर दिया, लेकिन ठीक प्रकार से फैसला किया, ऐसे मुकदमे बहुत कम है। यह सब हुआ है सरकार की दूषित नीति के कारण। कारण यह है कि न्यायपंच कलेक्टर के द्वारा चुने जाते हैं। जिसमें बहुत से निकम्मे और अनपढ़ और अयोग्य आदमी आ जाते हैं। एक एक खानदान

के ३-३ आदमी उनमें भरे हुए हैं। यह इसीलिये कि इसका अधिकार आपने कलेक्टर को दे रखा है। इसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। जनता द्वारा चुने हुए लोगों में से सरकार को चुनना चाहिये तभी ग्राम जीवन सुखी हो सकता है।

पुलिस के बारे में हमें बहुत आशा दिलाई गयी। हमें कहा गया कि पुलिस कमीशन के द्वारा सभी कुछ सुधार हो जायगा। मैं श्री नारायणदत्त तिवारी जी को आगाह करना चाहता हूं कि वे सरकार के जाल में न आयें। इन कमेटियों और कमीशनों के द्वारा काम हल नहीं हुआ करते। सालों चलेंगे और खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सरकार और पुलिस के कारनामों को देखकर आश्चर्य होता है। आफीसरों में वृद्धि हुई है, लेकिन जरायम दबाने में नाकामयाबी ही मिली है। हीनियस क्राइम्स में से तिहाई का चालान होता है और उस तिहाई में से तिहाई ही साबित हो पाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जरायम दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। आज चाहे न्याय विभाग को देखें, चाहे पुलिस विभाग को देखें, दोनों ही के द्वारा ग्रीमीणों क ग्राम्य जीवन को सफल बनाने के लिये कोई सुविधा नहीं प्रदान की गयी है। मुझे भी जेल जाने का अनुभव प्राप्त है। मैं जानता हूं कि किस प्रकार से इन पिछड़े वर्ग के ग्रामीणों को उन जेलों के अन्दर ठूंस-ठूंस कर भर दिया गया है। उनकी साइकोलोजी की जांच कराने की चेष्टा नहीं की जाती है कि आखिर किस वजह से वे क्राइम्स करते हैं। मैं समझता हूं कि गरीबी ही इसका मुख्य कारण है।

शिक्षा के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। शिक्षा के सम्बन्ध में इस साल के बजट में कुछ चन्द लाख की वृद्धि की गयी है। साथ ही कहा गया है कि अनिवार्य शिक्षा चलाने के लिये नार्मल स्कूल वगैरह भी खुल रहे हैं। मैंने तो यह देखा कि ९७ हजार रुपये खर्च करके कुछ अधिकारी बढ़ाये जा रहे हैं। एक उप शिक्षा संचालक ८०० रुपये के ग्रेड में बढ़ाये जा रहे हैं। एक तरफ तो प्राइमरी शिक्षा के लिये चन्द लाख देने में भी मुसीबत है, लेकिन दूसरी तरफ स्टाफ बढ़ाया जा रहा है और एक डिप्टी डाइरेक्टर की जगह नयी क्रिएट की जा रही है। मैं पूछता हूं कि इसके लिये ९७ हजार रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है? साथ ही प्राइमरी एजूकेशन के लिये जो डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से नार्मल स्कूल्स की ४८ बिल्डिंग्स बनायी जा रही हैं, उनकी क्या जरूरत है? उस रुपये को बचा कर हम उससे कितने ही विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकते हैं, उससे हम कितने ही प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं। इस तरह से जो सरकार खर्च कर रही है उसके लिये मैं उसे सचेत कर देना चाहता हूं कि वह इस गलत रास्ते पर न चल कर सही रास्ते पर चले। शिक्षा के लिये आवश्यकता इस बात की है कि यह शिक्षा सरल, सस्ती और सीधी हो। क्या हम वृक्षों के नीचे बैठ कर शिक्षा नहीं दे सकते? क्या यह जरूरी है कि हम स्कूलों के लिये बिल्डिंग्स बनाने पर रुपया खर्च करें?

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त।

***श्री उबैदुर्रहमान** (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस साल की बजट स्पीच पर अपने फाइनेंस मिनिस्टर को यकीनन मुबारकबाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस बजट स्पीच का तजकिरा जो अपोजीशन के डिप्टी लीडर ने किया है उसको मैंने गौर से सुना। उनकी शिकायत यह है कि यह बजट स्पीच कुछ बहुत मामूली किस्म की है और ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के किसी मुहकमे की सालाना रिपोर्ट है क्योंकि इसमें ज्यादा तफसीलात से काम लिया गया है और आंकड़े दिये गये हैं। मैं समझ नहीं पाया, मैं तो यह समझता था कि जिसे इस बजट स्पीच का ऐब बतलाया जा रहा है वही मेरी नजर में हुनर है। वह जमाना गुजर गया जब कि बजट मेटाफर, सिमली और आर्नामेंटल तरीके से पेश किया जाता था तथा बजट स्पीच दी जाती थी। आज तो सिविलाइज्ड कंट्री में इन सब चीजों से हट कर इसी तरह की बजट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उबैदुर्रहमान]

स्पीच दी जाती है जैसी कि यहां दी गई है, जिसमें मुख्तलिफ मुहकमे की बातों पर बहस की जाती है कि हम आगे क्या करेंगे और जो नहीं कर सके होते हैं उसकी वजह भी पेश की जाती है तथा साथ ही साथ उसकी आदादोशुमार भी पेश की जाती हैं। सारी चीजें हाउस के सामने जाहिर की जाती हैं कि हम क्या कर चुके और क्या करने से रह गये। इन सब बातों को देखते हुए जो बजट हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने पेश किया है उसके लिये वे यकीनन बधाई और मुबारकबाद के मुस्तहक हैं।

हमें आजाद हुए ११–१२ साल हुए। यह मुद्दत एक गुलाम मुल्क के लिये जो सैकड़ों वर्ष तक गुलाम रहा हो और गुलामी की वजह से जिस मुल्क के रहने वाले अखलाकी हैसियत से गिर चुके हैं और दुनिया की अखलाकी बुराइयां उनमें पैदा हो गई हैं उनके बीच में अगर हम ने एक गवर्नमेंट फ्रेम की है तो उसके लिये यह १२ साल की मुद्दत कुछ नहीं है, अभी और ऐसे ही १२ साल आगे आयेंगे जब कि आप हमारे बजट को देखने के लिये बैठेंगे तब भी आप को उसे इसी बैक-ग्राउन्ड में देखना होगा कि हम क्या थे और हमारी क्या खामियां थीं, क्या डिसएडवान्टेजेज थे, उनके पेशेमंजर में ही अभी हमें अपने बजटों को देखना होगा और अगर उसमें हम अपने इस बजट को देखते हैं तो हमें कोई शर्मिन्दा होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हम ने अब तक किया है उस से हम में एक हौसला पैदा होता है, मैं नहीं कहता कि जो कुछ हमें करना चाहिये था वह सब ही हम कर सके हैं, बहुत से ऐसे शोबे हैं कि जिन में अभी खामियां रह गई हैं, उनमें जो कुछ हमें करना चाहिये था वह नहीं कर सके हैं लेकिन बहुत से ऐसे शोबे भी जरूर हैं कि जिन में हम ने खासा काम किया है। मैं ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी खुदा के लिये आप को हवाला जरूर दूंगा कि अगर हम सीने पर हाथ रख कर सोचें तो क्या हम यह कहने को तैयार हो सकेंगे कि देहातों की जो हालत आज से ११ साल पहले थी वही अब भी है?

श्री उग्रसेन—आप के यहां बस्ती, में, बहुत सुधर गई होगी?

श्री अधिष्ठाता—श्री उग्रसेन जी आप कृपया शान्ति रखें।

श्री उबैदुर्रहमान—हमारे भाई श्री हरिश्चन्द्रसिंह ने जरूर इस बात पर जोर दिया कि देहात की पर-कैपिटा आमदनी अभी इतनी नहीं बढ़ी है और एक बड़ी डिसपैरिटी देहात व शहरों की आमदनी में है। लेकिन मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा कि वह डिसपैरिटी तो रहेगी। वह इसलिये कि हमारे देहात ही नहीं बल्कि सब जगह वह बैंक बाटेल्स रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के दफ्तर हों, कचहरियां हों, वकीलखाने हों दुनिया के हर मुमालिक में वह शहरों में ही रहे हैं और वहीं तरक्की के मवाके ज्यादा मिलते हैं, पैसा कमाने के तरीके और दौलत इकट्ठा करने की रफ्तार गांवों में और देहातों में कम रहती है बमुकाबले शहर के। वहां रफ्तार तेज नहीं होती लेकिन फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि देहातों की आज भी वही हालत है जो आज से ११ साल पहले थी। चारों तरफ काफी जागृति हुई है। वह बात दूसरी है कि पश्चिमी अंचल में पूर्वी अंचल से कुछ ज्यादा जागृति है, उस की वजह यह है कि वहां पर अभी ज्यादा अशिक्षा, जहालत और अदमवाकफियत है, इस में सरकार का कोई कसूर नहीं है। इस तरह की चीज तो आगे भी सामने आती रहेंगी। एक बड़े आदमी की एक स्पीच है उस का नाम यहां लेना जरूरी नहीं है जिसको बड़ा आदमी माना गया है उस ने कहा है कि जब किसी मुल्क में (एक सदस्य उसका नाम बता दें)। उस के नाम से आप के मुंह का मजा खराब हो जायगा, उस का नाम हिटलर है। उस ने कहा है कि—

"Planned economy always invariably leads to bureaucratization".

यही चीज हमारे यहां होगी। अब जो कुछ इन हालतों में हो सकता है वह किया जा रहा है। अभी हमारे डिसाग्रों में और जहत्तों में वह चीज नहीं उतरी है, उतर रही रही है, धीरे-

धीरे उतर रही है। इतना वेतन देना पड़ता है, इतना अमला बढ़ गया है, साइन्टिफिक मेथड्स को हमें लाना है, नये एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स को हमें अपने यहां इन्ट्रोड्यूस करना है, हम नावाकिफ हैं। सांइस ने जो कुछ तरक्की की है और उसका जो नतीजा है वह हमें उसके सामने पेश करना है। जाहिर है कि हम उन्हीं लोगों के मीडियम से पेश कर सकते हैं जो इसमें माहिर हैं और वह माहिर लोग हमें तन्ख्वाहदार मुलाजिमों की शक्ल में मिलते हैं। तो यह ब्यूरोक्रेटाइजेशन कुछ दिनों तक तो रहेगा ही। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि लेजिसलेचर ज्यादा से ज्यादा उन मुहकमों की गुर की बातों को और अन्दरूनी इन्फार्मेशन को जानकर उन पर हावी होने की कोशिश करेंगा और जितना ही हावी होंगा उतना ही ब्यूरोक्रेटाजेशन कम होगा और उतनी ही पब्लिक की ग्रीवान्सेज, हमारी तो कोई वकत नहीं है इस सेट-अप में भी कमी होगी। तो यह गुजारिश कर रहा हूं कि यह सब हो रहा हो। प्रोग्रेस स्लो जरूर है, लेकिन है अपनी जगह पर। हम ने जो कुछ किया है वह ऐसा नहीं है कि हम उसके ऊपर शरमिंदा हों।

आज एजूकेशन में जरूर गुंजाइश है इम्प्रूवमेन्ट की। इंडिसिप्लिन लड़कों में बहुत है। लेकिन टीचर्स का आज वह हाल नहीं है जो पहले था। पुलिस में भी इम्प्रूवमेन्ट की काफी गुंजायश है। जिनता होना चाहिये था उतना नहीं हो सका। लेकिन इल्जाम एकतरफा भी नहीं होना चाहिये। आज एक सब-इंस्पेक्टर पुलिस का जिसकी शिकायत हम किया करते हैं, उसकी क्या बेसिक पे हैं। निहायत मामूली, रिडीक्यूलस, १२० रुपये माहवार। उससे यह तवक्को की जाती है कि वह २४ घंटे एलर्ट रहे। कोई खाने का वक्त नहीं, कोई सोने का बक्त नहीं। कोई भी मामला हो, वह है, उसका घोड़ा है और मौका है। उसकी मौजूदगी वहां जरूरी है। इस तरह की ड्यूटी की जब उम्मीद की जाती है तो हमें सोचना है कि रेम्युनरेशन उसका हम कहां से प्रोवाइड करेंगे। हमें प्रोवाइड करना होगा। इसी किस्म की और छोटी-छोटी चीजें हैं जिन्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा। चाहे एजूकेशन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो और चाहे करप्शन को दूर करने की बात हो। इन सब चीजों में रफ्ता-रफ्ता इम्प्रूवमेंट हुआ है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो मेरी गुजारिश यह थी कि यह जो बजट स्पीच है वह हमें सही-सही जायजा देती है।

एक बात तिवारी जी ने और कही कि यह एक अजीब तरीका है कि बजट को डेफिसिट बजट कह कर पेश किया जाता और है उसके बाद in the process of working मालूम हो जाता है कि डेफिसिट बजट सरप्लस बजट में चेन्ज हो गया। यह ताज्जुब की कोई बात नहीं है। यह हमेशा होता है। हमें नहीं मालूम कि रोडवेज में हमारी क्या आमदनी होगी। हमें नहीं मालूम कि किसी एक खास सोर्स से हमें क्या आमदनी होने वाली है और हो सकता है कि वह ज्यादा हो जाय। तो डेफिसिट बजट सरप्लस बजट में तब्दील हो जाता है। यह न कोई शिकायत की बात है और न ताज्जुब की।

मैं तो यह गुजारिश करूंगा कि यह बजट एक अच्छा बजट है, एक ऐसा बजट है जिससे हमारी आगे कदम बढ़ाने की उम्मीद वाबस्ता होती है। जरूरत इस बात की है कि एक मिशनरी जोश हमारे अन्दर हो। चाहे एसेम्बली के मेम्बर हों, चाहे मंत्री हों, चाहे मुलाजिमान हों, चाहे पब्लिक हो, हर हिन्दुस्तानी के अन्दर मिशनरी जोश की जरूरत है। और जब तक मिशनरी जोश नहीं होगा उस वक्त तक अकेले सरकार से उम्मीद करना कि सारे काम वही कर डालेगी यह नामुमकिन है। इसमें जनरल पब्लिक का सहयोग होना चाहिये। जनरल पब्लिक में हमारे अपोजीशन के मेम्बर साहबान भी हैं। उनसे भी उम्मीद करता हूं कि वे मुल्क को आगे बढ़ाने में, उन्नति करने में, हमारा हाथ बटायेंगे और ऐसे मौके तलाश न करेंगे कि यूनीवर्सिटी के लड़के बददिल हुए तो उन्होंने कहा कि चलो एक स्पीच झाड़ दें। अब हमें कुछ हासिल करना है। लिहाजा अधिक वक्त न ले करके एक बार फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बजट स्पीच पर मुबारकबाद देता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, बजट पर मैंने भाषण सुने। बजट नाम होता है देहात में हिसाब किताब का। देहात में कहते हैं जिसका हिसाब किताब ठीक होगा उसका सारा काम ठीक होगा। घर का प्रबन्ध ठीक होगा देश का प्रबन्ध ठीक होगा,

[श्री टीकाराम पुजारी]

प्रान्त का हिसाब ठीक होगा और उसका शासन भी ठीक चलेगा। हिसाब पर सारा दारोमदार है। हरिश्चन्द्र को अपनी पत्नी तथा बच्चे के साथ हिसाब के लिये बिकना पड़ा। यह न्याय की चीज होती है।

मैं सुन रहा हूं बजट में घाटा। टैक्स लगा, टैक्स बढ़ा, किराया बढ़ा। आबपाशी बढ़ी, टिकट बढ़ा, स्टाम्प बढ़ा, मैजिस्ट्रेट बढ़े, डी० एम०, ए० डी० एम० बढ़े पर बजट घटता ही जा रहा है। १० गुना भी किसान से ले लिया गया। जमीन हमारी और १० गुना सरकार ले। सन् १९३० में कहा करते थे आधी आबपाशी, आधा लगान। लेकिन यह क्या मालूम था कि १० गुने में ही हम बिकेंगे।

पुलिस के बारे में क्या कहूं। गृह मंत्री को तो सब मालूम है। पहले यूनियन हुआ करती थी दलालों की, लेकिन अब यह पार्टियों की हो गई है। कोई पार्टी हो, मैं कांग्रेस पर ही हावी नहीं हूं। नेता तो सब एक ही हैं चाहे जिधर के हों। मैं तो किसानों का नेता हूं और यह जो सामने बैठे हैं अमीरों के नेता हैं। मेरे पास २०, २५ रुपये वाला गरीब आयेगा और इनके पास ५,०००, ६००० रुपये वाला मोटा आदमी आयेगा। लेकिन है गोलमाल दोनों जगह। यूनियन होती थी दलालों की और आज ये पार्टियों की यूनियन्स हैं जैसे मंडल यूनियन, तहसील यूनियन, जिला यूनियन। मंडल यूनियन थानेदार की दलाल, तहसील यूनियन तहसीलदार की दलाल और जिला यूनियन कलेक्टर व कप्तान की दलाल। ये दलालों की यूनियनें बनी हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। जब तक इन दलालों का खात्मा नहीं होगा तब तक देश में शान्ति होने वाली नहीं है। श्रीमन् सन् ३० व ३१ के गाने को भूल गये। वे कहा करते थे सारी दुनिया में दिन हिन्द में रात है। अंग्रेजों के लिए सब जगह दिन है। यहां भी दिन है। कोठियों में दिन है और महलों में दिन है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गरीबों के घर में २४ घंटे रात है। हम क्या चाहते हैं? हम यह नहीं चाहते कि आपके महलों में कमी पड़े, आपके मक्खन में कमी पड़े, आपकी डबल रोटी में कमी पड़े, आपके पलंगों व कुर्सियों में कमी पड़े, लेकिन दाल रोटी व मट्ठे में हमारे भी कमी न पड़े। हम जलते नहीं। आप मोटर में बैठें, हवाई जहाज में उड़ें, लेकिन एक बैलगाड़ी टूटी सी हमको भी होनी चाहिये जिसमें हमारी माता व बहिनें बैठें।

भ्रष्टाचार की बात मैं नहीं करता। उसे तो हम और आप मिल कर ही बनाये हुए हैं। एम० एल० एज० व एम० पीज० कलेक्टर व एस० पी० के पास जाकर सिफारिश करते हैं। न कलेक्टर मानता है और न कप्तान मानता है यह सब गलती हमारी और आपकी है। जिला मथुरा, थाना सहपऊ में ५ थानेदारों की तब्दीली एक साल में हुई क्योंकि वहां दो पार्टियां हैं जिस किसी पार्टी की बात वह मानता है दूसरी पार्टी उसे तब्दील करा देती है। मिनिस्टर कलेक्टर की कोठी पर चाय पीने जाता है और एम० एल० एज० जाते हैं। अब एम० एल० एज० दलाल बन गये। लिहाजा जब तक हम अपने आचरण पर कंट्रोल नहीं करते तब तक किसान मजदूर का भला नहीं कर सकते। किसान मजदूर का भला वही कर सकेगा जो झोपड़ियों में रहेगा और ठहरेगा। हमारे बजट भाषण करने वाले श्रीमान् जी भी आ गये। मुझे दो, एक बातें कहनी हैं। आज किसान की क्या हालत है? क्या गांव पंचायत इसीलिये बनायी कि गरीबों को मारा जाय। कहा यह था कि जो गांव सभा की जमीन होगी वह उनको दी जायगी जिनके पास जमीन नहीं है, लेकिन आज वह उनको दी जाती है जिनके पास जमीन है, मकान है और गरीब को एक मवेशी बांधने तक के लिये गांव सभा की जमीन नहीं मिलती है। एक चीज और आपको बता दूं। १०० रुपया डेस्मिल तक गांव सभा के प्रधान को जमीन के दाम दिये गये हैं। तो क्या कलकत्ता, बम्बई के महलों का किराया हो गया?

फिर आप जरा मुकदमों की तरफ ध्यान दीजिये। २६ तारीख है, जत्थे के जत्थे घूम रहे हैं, मैजिस्ट्रेट हाजिर नहीं हैं, पेशकार से कह दिया कि तारीख डाल दो। जब पूजा हो गयी तो तारीख पड़ गयी। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट मौजूद हुआ और मुद्दई मुद्दालय दस मिनट के

लिये कहीं बाहर चला गया तो मुकदमा खारिज। कह दिया कि तुम हाजिर नहीं हुये इसलिये तुम्हारा मुकदमा खारिज कर दिया गया। लेकिन अगर हम गये और मैजिस्ट्रेट न हुआ तो मैजिस्ट्रेट क्यों नहीं खारिज हुआ। यह जरा सोचने की चीज है।

यह बात नहीं है कि कड़ुवा कड़ुवा तुम्हारा और मीठा मीठा मेरा। इस सरकार ने अच्छे काम भी किये हैं और सराहनीय काम किया है। कई चीजें ऐसी की हैं जो कोई कर नहीं सकता। हमारे यहां चीनी के बर्तन गांवों में कोई जानता नहीं था, लेकिन जब से इनकी कृपा हुई तब से चीनी के बर्तन ऐसे बढ़ गये कि हर घर में ६-६ अमखोरा निकलते हैं। आइये हम में और आप में पैक्ट हो जाय और वह पैक्ट ऐसा हो जो सन् १९३० में हम और आप कहा करते थे कि किसानों का भला होगा, सड़क बना देंगे, रिश्वतखोरी खत्म कर देंगे, किसान राजा होगा, सब के लिये मुफ्त पढ़ाई होगी, अच्छे मकान होंगे, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा भोजन होगा, लूट मार नहीं होगी, कत्ल, डकैती न होगी और कम लगान होगा। यह हमारा राम राज्य और कांग्रेस का स्वराज्य होगा। इन चीजों को कर दो और तुम कुर्सियों पर बैठो।

लाल बत्ती देख कर मैं घबरा बैठा। जब लाइन खराब होती है तो लाल लगाया जाता है, ताकि कहीं गाड़ी न उलट जाय। किसान को लाल बत्ती दिखायी जा रही है। आपने चौपड़ का खेल देखा होगा। जब लाल गोट हो जाती है तभी वह बनता है। जब तक लाल गोट नहीं होती तब तक वह पिटती ही रहती है।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री टीकाराम पुजारी---दो मिनट श्रीमान् जी देने की कृपा करें।

जनता को धोखा दे करके, सर्वस्व धूल मिलाये बैठे हो।
लिया दस गुना कर चकबन्दी, नये-नये टैक्स लगाये बैठे हो।
जो कुछ बापू ने सिखलाया, सब को याद भुलाये बैठे हो।
अफसरवादी गद्दारों को, दिल्ली का टिकट दिलाये बैठे हो।
जिन्होंने डंडे दिये थे हमको, उनको कंठ लगाये बैठे हो।
कहे पुजारी सन् ६२ में, जान के मौत बुलाये बैठे हो।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मान्यवर, बजट जैसे गम्भीर विषय के भाषण पर माननीय पुजारी जी के बोलने के बाद इस आदरणीय सदन को विचार के प्रांगण में लाना कठिन है।

मान्यवर, इस आदरणीय सदन के सामने प्रति वर्ष इस प्रदेश का आय-व्ययक संविधान की धारा २०२ के अनुसार सदन की भेज पर रखा जाता है। मैं उस धारा को इस लिये पढ़ना चाहता हूं क्योंकि माननीय तिवारी जी ने जो विरोधी पक्ष के उप नेता हैं सैद्धांतिक विषयों में आपत्ति की है।

"202. (1) The Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for that year, in this Part referred to as the 'annual financial statement'."

अर्थात् राज्यपाल महोदय प्रतिवर्ष प्रदेश के आय-व्ययक का एक विवरण आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करायेंगे। उसमें कंसालिटेड फंड, रेवेन्यु अकाउंट के खर्चे और चार्ज्ड ऐण्ड वोटेड एक्सपेंडीचर का अलग-अलग विवरण प्रस्तुत करायेंगे।

उसी के आधार पर प्रति वर्ष यह विवरण रखा जाता है। इसी प्रसंग में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारा बजट ऐसा ही है जो चार भागों में प्रस्तुत किया गया है।

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

पहले भाग में एक सूक्ष्म भाषण है माननीय वित्त मंत्री का। दूसरे में उसके तखमीनों पर स्मृति-पत्र है, तीसरे में विस्तृत विवरण है व्यय की नयी मदों का और चौथे में ब्यौरेवार तखमीने हैं। यह हमारे बजट का पूरा वित्तीय साहित्य है। इसमें जहां वहीं भी पूरा विवरण आ जाय उससे माना जायगा कि बजट साहित्य में सारा उसका विवरण है। तो माननीय नारायण दत्त जी ने जो टीकाटिप्पणी की कि उसमें अलग अलग फंड्स और कैपिटल एकाउंट्स अलग अलग नहीं आये हैं और इस बजट में अमुक चीज की चर्चा है और अमुक की नहीं है तो हमारी समझ में आता है कि उन्होंने पूरे साहित्य का अध्ययन नहीं किया है और बिना पूरा अध्ययन किये ही उन्होंने यह टीका टिप्पणी की। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यद्यपि वह पिछले आठ दस वर्ष से इस सदन में हैं और मैं उनकी अपेक्षा नया हूं, लेकिन मैं यह उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब बजट साहित्य वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है तो बजट का मतलब उन चार साहित्यों से है और इन्हीं के आधार पर टिप्पणी की जानी चाहिये। उसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो बाहर से आया हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जो बजट में चर्चा है कि भिन्न भिन्न विभागों पर क्या-क्या, कितना-कितना खर्चा हुआ, उस पर एक समीक्षा को है और उसमें जैसा हमें स्मरण आता है आडीटर जनरल जैसे टीका करता है कि किस किस विभाग में क्या क्या हुआ वैसे ही उन्होंने समीक्षा की है। वह कोई बजट की टिप्पणी नहीं है जो कि सैद्धान्तिक हुआ करती है कि इसमें यह यह खामियां हैं। तो मैं समझता हूं कि यह जैसे किसी आडिट के पंडित की टिप्पणी हो, उस तरह की टिप्पणी है। माननीय तिवारी जी ने जो दो वर्ष के बाद आडिट रिपोर्ट आती, वैसी ही टिप्पणी यहां कर दी। लेकिन सैद्धान्तिक रूप से इस मूल बजट पर कोई प्रकाश नहीं डाला इसका मुझे खेद है।

मैं आदरणीय सदन के सामने गत तीन वर्षों के वित्त मंत्री महोदयों के भाषणों के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ इन तीनों सालों के बजट भाषणों से मैं पढ़ना चाहता हूं। १९५८-५९ के बजट भाषण के तीसरे पन्ने पर श्रीमन्, नवें पैराग्राफ की चौथी पंक्ति से पढ़ता हूं—

"सबसे पहली दफा सन् १९५१ में इस मुल्क की आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिये एक नियोजित ढंग से कार्य करना आरम्भ किया गया। नियोजन का खास मकसद विकास का ऐसा सिलसिला शुरू करना होता है जो जीवन के स्तर को ऊंचा उठायें और लोगों के लिये माली हालत बेहतर बनाने के लिये नये मौके पैदा कर दे। अगर्चे इसको शब्दों में माली हालत से सम्बन्धित समझा जाता है, लेकिन असल में नियोजन तमाम उस दायरे को घेर लेता है जिसका सम्बन्ध इन्सानों की जिस्मानी और दिमागी तरक्की और उन तमाम संस्थाओं से है जो इस मकसद के लिये जरूरी हैं। पहली पंचवर्षीय योजना इस दायरे की तरफ सबसे पहला कदम था जो उठाया गया और जिसके साथ आर्थिक और सामाजिक तरक्की की आशा बांधी गई। इस योजना में छोटे बड़े जो भी मकसद रक्खे गये वह सभी सफल हुए।"

श्रीमन्, माननीय तिवारी जी ने कहा कि इसमें एम्प्लायमेंट, रोजी रोजगार की बात नहीं कही गई है। मैं इस बात की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह बड़ा सारगर्भित अंश है। इसी तरह १९५९-६० के बजट भाषण का भी एक अंश मैं पढ़ देना चाहता हूं—

"१९५५ में अवादी के कांग्रेस सेशन के फैसले से इस नीति की विशेषता और बढ़ गई है, केन्द्र तथा राज्यों की कांग्रेस सरकारों ने यही प्रतिज्ञा की कि वे देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिये कार्य करेंगी। यह बात बिलकुल साफ थी कि ऐसा समाज यहां की जनता की प्रतिभा के अनुकूल बनेगा और वह न तो किसी तानाशाही या रेजीमेंटेशन के आधार पर कायम किया जायगा और न किसी दूसरे मुल्क के नमूने पर। हमारी विशेष नीति यह है कि पैदावार के मुख्य साधन समाजी मिल्कियत या कंट्रोल में रहेंगे ताकि पैदावार लगातार बढ़ती

रहे और देश की दौलत का मुनासिब और न्यायोचित (ईक्विटेबिल) बटवारा हो सके। हमारे आन्तम लक्ष्य (अल्टीमेट गोल, के बारे में शक की कोइ गुंजाइश नहीं होनी चाहिये थी, लेकिन अगर कोई थी तो वह अब नागपुर के हाल के कांग्रेस सेशन के फैसलों के कारण पूरी तौर से दूर हो गयी होगी। इस फैसले से यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि इस राज्य, दूसरे राज्यों और केन्द्र की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकारें लोकतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिये पूरी तौर से बचन-बद्ध हैं ताकि देश की दौलत का उचित वितरण हो सके और सभी लोगों को समान अवसर मिल सकें। हमारी योजना का ध्येय भी यही है और इसे इस राज्य के लोगों की अलग अलग और सम्मिलित कोशिशों से प्राप्त किया जायगा।"

श्रीमन्, यह गत वर्ष के बजट भाषण का थोड़ा सा अंश मैंने उद्धृत किया। इसके बाद इस वर्ष जो इस सदन के सामने आय-व्ययक प्रस्तुत है उसकी दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं। और वह बजट भाषण के पहले पेज पर लिखा हुआ है " किसी सुनियोजित अर्थ व्यवस्था में, जिसमें एक निश्चित अवधि के भीतर सम्पूर्ण समाज के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में तेजी से सुधार करने की समुचित व्यवस्था होती है वार्षिक बजट का एक विशेष महत्व है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का व्यापक उद्देश्य जनसाधारण के लिये रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना, उत्पादन बढ़ाना और उसका ठीक ठीक वितरण सुनिश्चित करना है जिससे उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा हो सके"। मान्यवर, तीन वर्षों के बजट भाषण, जो माननीय वित्त मंत्री ने दिये हैं, वह मैंने यहांपर उद्धृत किये हैं। उससे यह स्पष्ट है कि हम रोजी रोजगार दिलाना चाहते हैं। हम सब को समान अवसर देकर उन्नति का अवसर देना चाहते हैं और इसके साथ साथ जीवन स्तर को उठाना चाहते हैं तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि तिवारी जी इस प्रकार की बातें कैसे करते हैं। जब बजट भाषण में सिद्धान्त की बात कही जाती है और वित्त मंत्री जी ने उस सिद्धान्त का निरुपण किया है कि इस तरह से हम उन योजनाओं को कार्यान्वित करने जा रहे हैं तथा इन सब बातों को स्पष्ट किया गया है तो फिर क्यों इस किस्म की यहां पर चर्चा हो यह समझ में नहीं आता। इस प्रकार की चर्चा की गयी कि ३० हजार रुपया मेडिकल हैल्थ में माननीय मंत्री जी की डिस्क्रीशन पर क्यों है ? इस बात पर जिक्र करना क्या प्रसंग के अन्दर है यह मैं समझ नहीं पाता हूं। इस सुनियोजित व्यवस्था में सारी समस्याओं का समाधान, जितनी कि समस्यायें हैं, वह सभी इसमें निश्चित हैं। इसलिये मेरी समझ में नहीं आया कि उनकी टिप्पणी की बातों का क्या आधार है।

मैं मूल बजट के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में जब कि हमारा योजनाओं का युग है, उसमें जीवन स्तर कैसे उठेगा, क्या क्या उसके लिये मुख्य साधन हों कैसे हमको कल्याणकारी राज्य बनाना है, यह सब बातें हैं। वही सब बातें हमारे इस बजट में हैं। सब से पहले जो मनुष्य के लिये खाद्यान्न की आवश्यकता होती है उसकी ओर इसमें ध्यान दिया गया है। मान्यवर, कृषि के बारे में हमारे वित्त मंत्री के भाषण में, जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें काफी विस्तार के साथ चर्चा है। मुझे ऐसा लगता है उनके बजट भाषण को पढ़ने के बाद कि बहुत विस्तार के साथ इसमें कृषि के विषय में चर्चा की गयी है। किसी प्रकार से देश को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये.....

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बिलकुल घसीट में बोल रहे हैं। हम लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। श्री मोतीलाल जो अवस्थी एक समझने वाले थे सो वह यहां पर हैं नहीं तो कृपाकर आप ऐसी तरह से बोलिये जिसको हम समझ सकें।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---मान्यवर, मैं तो ऐसी तरह से बोल रहा हूं जिसको सब समझ सकें। कभी कभी यहां पर हमारे पर्वतीय भाई जरूर ऐसी भाषा में बोलते हैं जिनको

[श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी]

समझने में कठिनाई होती है। मैं तो ऐसे बोल रहा हूं जिसको माननीय सदस्य समझ सकें। अगर बुद्धि की कमी हो और वह समझ न सकें तो मेरा क्या कसूर है। मैं यह कह रहा था कि वित्त मंत्री महोदय ने कृषि के विषय में बजट भाषण के पेज ८ पर जिक्र किया है उसकी तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कृषि के बारे में फर्टीलाइजर, ग्रोन मैन्योर और स्वायल कंजरवेशन एरिया में खाद के बीज की पैदावार बढ़ाई गई है। उसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह से प्रयत्न किये गये हैं और किये जा रहे हैं जिससे २, ३ वर्ष के अन्दर बहुत पैदावार हो सके।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जो अभाव-ग्रस्त क्षेत्र हैं जैसे कि पूर्वी जिलों में बाढ़ के क्षेत्र हैं उनमें इस तरह का कोई उद्योग नहीं है, वहां पर इस तरह की कोई योजना नहीं है जिससे उनके अभाव को पूर्ति की जा सके। जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं और जहां पर अन्न की कमी है वहां पर उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई भी प्रयास इस प्रकार का जरूर किया जाय जिससे कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। वहां ऐसे उद्योगधन्धे पैदा किये जायं जो कि अपने पैरों पर खड़े होने के लिये आवश्यक हैं। वहां पर बड़े बड़े उद्योग कायम किये जायं। हमें खेद है कि इस तरह की कोई योजना उन क्षेत्रों में नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देवरिया में भागलपुर एक ऐसा स्थान है कि जो सरयू के किनारे है और वहां एक फर्टिलाइजर फैक्टरी कायम हो सकती है। वहां यातायात के साधन भी मौजूद हैं और जल भी फैक्टरी के लिये मिल सकता है। तो मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी वहां के लिये यह फैक्टरी कायम करने की कोशिश करें गे।

दूसरे, चीनी मिलें करीब करीब ६७ के उन ५, ७ जिलों में हैं। उन मिलों के जो बाई प्रोड्क्टस होते हैं उनसे ११० किस्म की दवाइयां और सामान बन सकते हैं। अभी सेंथेटिक रबर बनाने की एक फैक्टरी बरेली में बनाने का प्रयत्न हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि जहां चीनी की मिलें ज्यादा है वहां इस तरह के काम आसानी से हो सकते हैं और हमारी सरकार को उस ओर कोई बड़ी फैक्टरी इस किस्म की कायम करने की कोशिश करनी चाहिये। चरखे आदि के छोटे छोटे उद्योग जरूर वहां रखे गये हैं, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा काम हो नहीं सकता है और वहां की मौजूदा समस्याओं का हल इन से होने वाला नहीं है। इसलिये मैं वित्त मंत्री जी से आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि जहां पहले से साधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके वहां कोई फैक्टरी स्थापित करने की बात सोचें। इस से वहां की स्थिति ठीक हो सकेगी।

एक बात शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। हमारा गोरखपुर विश्वविद्यालय अभी सब से नया विश्वविद्यालय है और हम लोग सोचते थे कि उस से वहां की क्षेत्रीय समस्याओं का हल निकल सकेगा। लेकिन उसमें आर्थिक कमी है। हमको पंचवर्षीय योजना काल में ४५ लाख रुपया मिलने वाला था प्रदेश की सरकार से, लेकिन सरकार ने कुल ३० लाख रुपया दिया है और १५ लाख की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। केन्द्र से यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से ३० लाख रुपया देने की व्यवस्था की है, लेकिन वह चाहते हैं कि उसमें कम से कम एक तिहाई प्रादेशिक सरकार दे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जो अभी नया ही है, पूरा नहीं है। वह अधूरा है और उस के लिये आवश्यक है कि जो यह मैचिंग ग्रान्ट मिलने वाली है, प्रादेशिक सरकार उसे दे तभी इस विश्वविद्यालय की योजना पूरी हो सकेगी।

इस बजट में एक दो बातें ऐसी हैं कि जो खुशी की हैं। इसकी विशेषतायें हैं। बिजली के लिये, कृषि के लिये, उद्योग के लिये इस वर्ष अधिक धन रखा गया है जो हमें कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये उपलब्ध किया जा सकेगा। सब से बड़ी बात इंडस्ट्रियलाइजेशन की है। जब रूस के प्रधान मंत्री श्री ख्रुश्चेव यहां आये थे तो उन्होंने कहा था कि बैकवर्ड इकानामीवाले मुल्क में उद्योग ही एक ऐसी चीज है कि जो वहां की जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकता है। मैं पुनः आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश में जो बैकवर्ड एरियाज

हैं, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, बुन्देलखंड का इलाका है, पूर्वी प्रदेश का इलाका है, उनमें अगर बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं खुलेंगे तो हम कितने ही कृषि के साधन उनको उपलब्ध करायें, उनमें अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति नहीं आयेगी । तो मैं आपके द्वारा बहुत ही विनम्र शब्दों में माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर, इस विशेष महत्व की बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

एक बात टेक्निकल शिक्षा के संबंध में है । हम इसे ज्यों ज्यों बढ़ायेंगे त्यों त्यों हमारे नवयुवकों में अनुशासन की भावना ज्यादा आयेगी । लिबरल एजूकेशन जो है उस के द्वारा हमारे नवयुवक अपनी शिक्षा समाप्त कर के काम नहीं पाते, यदि उनको टेक्निकल शिक्षा मिलेगी तो वे आसानी से अपनी रोजी पा सकते हैं ।

(इस समय ४ बजकर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

तो इसलिये टेक्निकल शिक्षा की ओर हमारा विशेष ध्यान होना चहिये और बेसिक शिक्षा को आधारशिला मान कर अगर हम इसको प्रारंभ करें तो मेरा विश्वास है कि शिक्षा में जो अस्तव्यस्तता है वह दूर हो सकेगी और उस के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर जब हम टेक्निकल शिक्षा देंगे तो वह अधिक अच्छा होगा । चीन में जिस प्रकार वे अपने बच्चों को १२ महीनों में ८ महीने फैक्ट्री में पढ़ाते हैं उसी प्रकार यहां भी होना चाहिये ।

चार महीने चीनी पढ़ता है और ८ महीने अभ्यास करता है । अगर इस किस्म की शिक्षा हमारे विश्वविद्यालयों में हो सके तो विश्वविद्यालयों में जो खुला दिमाग रहता है उससे वह किसी काम में लगेगा । इन शब्दों के साथ में वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या बजट की बहस के दौरान में यह आवश्यक नहीं है कि अपोजीशन के लीडर या दूसरी पार्टी के लीडर भी सदन में उपस्थित रहें ?

श्री अध्यक्ष--मैं तो समझता हूं कि उन्हें सदन में रहना चाहिये और मंत्रीगण को भी रहना चाहिए, लेकिन मालूम यह होता है कि वह कार्यवश चले जाते हैं ।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--मान्यवर, वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट के भाषण में इस सामान्य वार्षिक बजट का जो उद्देश्य है, उसका जो महत्व है उसका उन्होंने उल्लेख किया है और वह इसके लिये बधाई के पात्र हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के इस अन्तिम वर्ष में सामान्य बजट पेश करते हुये उन्होंने इस वार्षिक बजट के महत्व को समझा है । मान्यवर, जहां इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं वहां मुझे खेद है कि उन्होंने जो यह १९६०-६१ के लिये लेखा-जोखा पेश किया है वह उनके उस निहित उद्देश्य की पूर्ति करने वाला नहीं है, इसलिये इस बजट के लिये मैं उनको बधाई देने के लिये न अपने को विवश पाता हूं ।

मान्यवर, वार्षिक बजट की आलोचना, समालोचना या उसका सिंहावलोकन करने के लिये ऐसा नहीं है कि अपोजीशन के नजरिये से ही इसको देखें कि बजट भाषण में जो वित्त मंत्री महोदय ने उद्देश्य निहित किया है, उसकी पूर्ति करने वाला यह है या नहीं, बल्कि उनके नुक्ते नजर से मैं इसकी समीक्षा करूंगा । आंकड़े दिये जा चुके हैं । उनकी आवश्यकता को महसूस न करते हुये मैं केवल जो नीति की बातें हैं उन्हीं पर मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा । जब हम इस बजट की ओर गत तीन चार वर्षों के बजट को देखते हैं तो जैसा कि उप-नेता विरोधी दल ने कहा, कैपिटल एक्सपेंडीचर, पूंजी व्यय बराबर कम होता चला जा रहा है । मान्यवर, जहां यह उद्देश्य है कि हम जनता के रहन-सहन के स्तर को औद्योगीकरण से आमदनी बढ़ा करके उसको बढ़ायेंगे, वहां पर कैपिटल एक्सपेंडीचर का कम होना लगातार ३-४ वर्षों से और फिर यह सरकार बड़े गर्व से गाल बजाती है प्लान के नाम पर, ब्लाक डेवलपमेंट खोल कर कि हम एक बहुत ऊंचा स्तर कर रहे हैं, यह सर्वथा निराधार मालूम पड़ता है । मान्यवर, इसमें संदेह नहीं कि जब हम प्लानिंग देहात में फैलाते हैं, ब्लाक्स खोलते हैं और जब यह घोषणा हो चुकी है मंत्री जी के द्वारा

[श्री रामशरण माधव]

कि करीब-करीब सारा हिन्दुस्तान ब्लाक में आ चुका है, चाहे वह प्रि-एक्सटेंशन ब्लाक हो,या शेडो ब्लाक हो-स्टेज नम्बर १, २, ३ सारा हिन्दुस्तान और अपने प्रदेश की हर आबादी का हिस्सा किसी न किसी ब्लाक के अन्दर है तो उस ब्लाक के जरिये से वहां प्लानिंग ले जाकर के उस ब्लाक एरिया को डेवलप करना है । मैं समझता हूं कि ब्लाक खोल कर उसका एक यही उद्देश्य है कि एरिया चुना जाता है--सौ, सवा सौ गांव का और उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर को जो उद्देश्य इसके अन्दर निहित हैं उनको पूरा करने के लिये ब्लाक का खुलना जरूरी है । मैं माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे कृपा करके किसी ऐसे ब्लाक के प्रस्तुत करें, जहां पर प्लानिगं का काम शुरू हुआ हो और वहां पर कितनी प्रगति हुई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से उनको यह चुनौती देना चाहता हूं कि देवरिया, आजमगढ़ की बात जाने दें, लखनऊ जो कि बिल्कुल करीब है, और जिसे वह सर्वोत्तम ब्लाक समझते हैं उसे चुन लें और उसमें कितनी प्रगति हुई है, उसके आंकड़े बताने की कृपा करें । मान्यवर, कृषि के क्षेत्र में टाप प्रायरिटी दी जाती है, उसी के वे आंकड़े प्रस्तुत करें । मान्यवर, जहां कृषि उत्पादन पर इतनी प्राथमिकता दी जाती है वहां पर कितनी बेकारी है, उस ब्लाक एरिया में जहां पर रूरल एकोनामिक डेवलेपमेंट का कार्य किया जाता है, वहां पर अब भी कितने बेकार लोग हैं, इसके आंकड़े दें।

मान्यवर, क्या यह सही नहीं है कि आबादी के साथ-साथ जो पर कैपिटा कल्टीवेटेड लैंड है वह घटती जा रही है ? क्या यह सही नहीं है कि जहां पर ब्लाक डेवलेपमेंट का कार्य हो रहा है वहां पर भी बेकारी बढ़ी है ? मान्यवर, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी के पास आंकड़े नहीं हैं तो वे नोट कर लें । जितने इस जमीन पर रोजी कमाने वाले लोग हैं उसका २० प्रतिशत लोग बेकार हैं और उस एरिया में, मान्यवर, उन बेकार लोगों के लिये कृषि के अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कौन सी प्लानिंग की है ? कौन-सा प्रोग्राम बनाया है ? वहां पर सोर्सेज आफ इनकम को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं । जितनी भी हमारी जरूरियात की चीजें हैं कृषि के लिये उस संबन्ध में कितने सेन्टर्स खोले गये हैं । खुरपा बनाने के लिये, फावड़ा बनाने के लिये, खाद तैयार करने के लिये तथा इस तरह की चीजों के लिये कितने वर्क्स खोले गये हैं ? मान्यवर, कृषि के लिये जितनी भी सहयोगी वस्तुयें हैं अगर उनके उत्पादन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसमें संदेह नहीं और यह निर्विवाद है कि फिर कृषि के ऊपर ही निर्भर रह कर अगर हम यह गाय बजावें कि हम स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ा रहे हैं, नेशनल इनकम बढ़ा रहे हैं, तो मुझे अन्देशा है वह कर नहीं पायेंगे ।

इसके अलावा जहां इन्डस्ट्रीज की यह हालत है वहां मैं लाइव स्टाक के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । यह बात सही है कि कहीं-कहीं पर वेटेरिनरी हास्पिटल खोले गये हैं किन्तु मैं पूछता हूं कि लाइव स्टाक को बढ़ाने के लिये, गाय, बकरियों को बढ़ाने के लिये, उनके दूध को बढ़ाने के लिये क्या कार्य किये गये हैं ? मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि जनता की सेहत के लिये, उसको बढ़ाने के लिये बहुत से प्रीवेन्टिव मेजर्स लिये जा रहे हैं, रिसर्च सेन्टर्स खुल रहे हैं, बहुत-सी मेडिसिस की रिसर्च हो रही है और भी कार्यवाही हो रही है, वहां मैं यह भी कहना चाहता हूं, मान्यवर, रिसर्च करने के पहले मुख्य मंत्री जी को या सरकार को यह सोचना चाहिये कि वे किस चीज की रिसर्च प्लानिंग करने जा रहे हैं । कौन-सी आवश्यकता है जिसकी सरकार प्लानिंग और रिसर्च करवाने जा रही है ? मलेरिया के प्रिवेंशन के लिये मेजर्स एडाप्ट किये गये हैं, ठीक है, वह किसी हद तक चेक हुआ होगा, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि जो फाइलेरिया की बीमारी देवरिया और गोरखपुर में थी उसका धावा लखनऊ में हो चुका है ? क्या सरकार का उधर ध्यान गया है ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई रिसर्च की बात सोची है ? सरकार को खबर भी नहीं लगी कि फाइलेरिया की बीमारी देवरिया से चलकर

लखनऊ में आ गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से मेजर्स लिये गये, क्या मेडिकल डिपार्टमेन्ट के किसी आफिसर ने इसके स्टैटिस्टिक्स दिये ? मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री को इसकी आज तक खबर नहीं है।

मान्यवर, बजट में बड़े गर्व के साथ यह दिखाया गया है कि सिंचाई में ट्यूबवेल्स वगैरह में हम लास पर हैं। जितना कैपिटल लगा है वह भी पूरा नहीं हो रहा है। मान्यवर, यह सही है किसी हद तक, माननीय मुख्य मंत्री का कहना सही हो सकता है, लेकिन उसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं.....

श्री अध्यक्ष---आप मुख्य मंत्री को सम्बोधित कर रहे हैं या वित्त मंत्री को ?

श्री रामशरण यादव---चूंकि मुख्य मंत्री सरकार के हेड हैं इसलिये उन्हीं को सम्बोधित करके कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---पहले आप वित्त मंत्री से ही हमला शुरू करें।

श्री रामशरण यादव---तो श्रीमन्, आप के जरिये मैं वित्त मन्त्री से कहना चाहूंगा कि पहले जो शारदा कैनाल बनी थी उसको उस वक्त पापुलेराइज करने के लिये कुछ दिनों तक फ्री पानी किसानों को दिया गया था और फिर धीरे-धीरे ग्रेड के अनुसार सिंचाई के रेट आज किये गये हैं। लेकिन जो ट्यूबवेल्स खोले गये उनके रेट्स इतने बढ़ा दिये गये कि इसके खिलाफ इस सदन में भी कई बार माननीय सदस्यों ने आवाज उठाई कि रेट्स बहुत ज्यादा हैं और यह बिलकुल ही उस स्कीम के खिलाफ है और इसी कारण जनता में ट्यूबवेल्स की पापुलेरिटी नहीं हो पा रही है। आज किसान ट्यूबवेल का पानी लेने के लिये तैयार नहीं है। तो फिर क्यों न नुक्सान हो ? सरकार का नुक्सान होता है और जो कैपिटल एक्सपेंडीचर लगा है वह भी नहीं पूरा हो पा रहा है। और जो रेवेन्यू आने वाली थी वह भी नहीं आ रही है। पहले एक, दो, तीन साल तक ट्यूबवेलों से फ्री पानी दिया गया होता तो किसानों में इसकी पापुलेरिटी होती। और इस सम्बन्ध में जितनी ही देर की जायगी उतना ही नुकसान होगा। इसमें सरकार के फाइनेंशियल रिसोर्सेज के नुकसान की बात नहीं है बल्कि इसमें देश के उत्पादन में कमी हो रही ह और उसका असर हमारे देश पर पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में चारों तरफ से आवाज उठी, मुझे मालूम है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी इस सम्बन्ध में आवाज उठाई कि ट्यूबवेल कम से कम पहले तीन साल तक फ्री चलाये जायं, किसानों से पैसा न लिया जाय और उसके बाद जब पापुलेरिटी हो चुकी हो, जो परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हों, जो उत्पादन बढ़ चुका हो, सारी चीजों को देख कर ग्रेड बाई ग्रेड ट्यूबवेल के रेट बढ़ाना चाहिये।

मान्यवर, वित्त मंत्री ने जानबूझ कर बड़े गर्व के साथ इसमें एक आइटम दिया है और वह बड़े अभिमान के साथ समझते हैं कि हम सिंचाई को बढ़ाकर सन् १९६०-६१ में एक बहुत बड़ा एरिया सिंचाई के अन्तर्गत कवर कर लेंगे जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। क्या माननीय वित्त मंत्री ने कभी यह भी देखने की कोशिश की है कि सिंचाई में कौन-कौन से सोर्सेज शामिल होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इर्रीगेटेड एरिया के जो आंकड़े दे रहे हैं वह आंकड़े ऐसे नहीं हैं जिन में कि किसान जो स्वयं अपने निजी साधनों कुवों और तालाबों से सिंचाई करता है, वह एरिया भी शामिल है ? आप सब साधनों को जोड़ कर कहते हैं कि हमने इतने साधन बनाये और इतनी सिंचाई की। अभी थोड़ा सा सूखा पड़ गया तो किसानों में तहलका मच गया और सरकार उनको पलेवा तक के लिये भी पानी नहीं दे सकी।

मान्यवर, बड़े जोर से आवाज यहां उठाई गई कि सरकारी कृषि से साइटियों के जरिये से जो ट्यूबवेल बनाये गये थे उनके लिये सरकार ने कहा था कि वह उनमें से कुछ को लेना चाहती है। आज तक पता नहीं कि उस स्कीम का क्या हुआ। सरकार को मालूम नहीं है कि जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की खाद्य संकट को दूर करने के लिये यह घोषणा है कि एक-एक इंच

[श्री रामशरण यादव]

भूमि हल के नीचे आ जानी चाहिये, वहां वह ट्यूबवेल लगाने के लिये कहीं सहायता भी नहीं देती है। इससे सरकार किसानों को सेल्फ़-हेल्प से रोकती है। क्या यह उचित नहीं होगा कि जो सोसाइटियां ६,००० और ८००० रुपये लगा चुकी हैं और उनके उन कुओं का बोरिंग नहीं हुआ है तो सरकार उनका बोरिंग कराके उन्हें चालू करादे? जितना कैनाल के खोदने में खर्चा होता है उसके १/१० में कुवां तैयार होता है।

*श्री लालबहादुर सिंह (जिला वाराणसी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को १९६०-६१ का बजट पेश करने के लिये बधाई देता हूं। साथ ही, अपोजीशन के डिप्टी लीडर साहब, पंडित नारायणदत्त जी को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने बजट की कोई ऐसी आलोचना नहीं की जिसे हम विरोध कह सकें। मेरी यह राय है। उन्होंने अन्त में इतना ही कहा कि यह बजट असंतुलित है। जिस प्रकार हम सब लोग बजट के बारे में सुझाव देते हैं वैसे ही तिवारी जी ने भी अपने सुझाव रखे। यह सदन के हर सदस्य का कर्तव्य है। मैं किसी की बात को दोहराऊंगा नहीं।

मेरी समझ में यह बजट बहुत कल्याणकारी, किसान का और सोशलिस्ट पैटर्न का बजट है। सब से बड़ी बात इस बजट में यह है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कोई टैक्स नहीं लगाया। क्या इससे भी अच्छा और कोई कल्याणकारी बजट हो सकता है? मैंने अखबार में २, ३ सदस्यों के बयान पढ़े। वे कहते हैं कि इस बजट में यह नहीं कहा गया कि आगे भी टैक्स नहीं लगेंगे। जो टैक्स लगाने के लिये यहां बठे हैं उन्होंने टैक्स लगाया नहीं, लेकिन बू आने लगी। नारायणदत्त जी ने २, ३ महानुभावों के नाम लिये और कहा कि ये बड़े अर्थशास्त्री हैं और किन के विचार के अनुसार यह बजट बनाया गया है? मैं नारायणदत्त जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम किसी अर्थ शास्त्री के पीछे चलने वाले नहीं हैं कि जो वह कहें वही करें। हमारे प्रदेश का जिसमें फायदा होगा, हम वैसा बजट बनावेंगे।.... मान्यवर, इस वक्त लकीर का फकीर होन से काम नहीं चलेगा। मुझे खुद बड़ी तकलीफ होती है जब कि वही तरीका कायम रखा जाता है जो पुराना था---फाइनेंस मिनिस्टर साहब बजट पेश करते हैं, उसका विरोध होता है, हमारी स्पीचेज होती हैं। लेकिन आज का युग है कि हम सब मिल कर अगर जरूरत हो तो फाइनेन्स मिनिस्टर साहब और मुख्य मंत्री महोदय के साथ मिल कर बातें कर लें और बातें करके बजट बनाया जाय, वह पेश हो और जल्द से जल्द उसको पास कर दिया जाय। अभी-अभी माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने कबूल किया कि पुलिस के बारे में वे कुछ न कहेंगे। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही। इसलिये नहीं कहा कि उधर चीन का एग्रेशन हो रहा है, इसलिये नहीं कहा कि वे पुलिस कमीशन के मेम्बर हैं।

बजट में सहकारिता को ले लीजिये जो सोशलिस्ट पैटर्न की सब से बड़ी चीज है। जिन लोगों के कारण सहकारिता हमारे सूबे में बढ़ रही है मैं उनका अभिनन्दन करता हूं। उनमें हमारे सहकारिता मंत्री, मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री तथा सहकारिता में विश्वास करने वाले लोग हैं। उसमें एक खामी यह है कि सहकारिता का अभियान तो चलाया है, लेकिन पहले से लोगों को कोआपरेटिव माइन्डेड नहीं बनाया है। इसलिये कुछ काम करने से पहले हमें सहकारिता का दिमाग बनाना चाहिये।

मेरा दूसरा निवेदन पुलिस के बारे में यह है कि चीन का हमारे सूबे में एग्रेशन हो रहा है फिर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो उसका समर्थन करते हैं। ऐसी हालत में पुलिस पर जो रुपया लगाया गया है काफी नहीं है। उसके लिये यह सदन और अधिक रुपया दे ताकि हमारी पुलिस सबल होकर देश और प्रदेश की रक्षा कर सके। हमारे प्रदेश का कई सौ मील

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बार्डर चीन से लगता है। इसलिये देश की रक्षा की सब से बड़ी जिम्मेवारी हमारे और आपके ऊपर है। चाहे आधा पेट खाना पड़े, एक कुर्ता वर्षों पहनना पड़े चाहे और काम बन्द करने पड़े, लेकिन बार्डर की रक्षा होनी आवश्यक है।

कहा जाता है कि इस बजट में पूंजीपतियों की बू आ रही है। कौन सुविधा उनको दी गयी है? यह जरूर है कि अभी तक उत्पादन के स्रोत उनके हाथ में हैं, लेकिन अब बहुत से सरकारी उद्योग धंधे भी खोले जा रहे हैं। फिर कैसे यह पूंजीपतियों का बजट है। हमारे राजा वीरेन्द्रशाह जी ने कहा कि सारा रुपया शहरों को ही अलाट कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद ही कहा कि एन० ई० एस० ब्लाक्स में सारा रुपया घर बना कर खर्च कर दिया जाता है। उन्हीं के कहने के अनुसार देखा जाय तो देहातों में न मालूम कितने सेवा ब्लाक्स खुले हैं। जहां तक मेरा खयाल है नियम के अनुसार तीन साल के बाद वहां के बने हुए सब मकानादि गांव वालों को ही मिल जायेंगे जहां पर कि डाक्टर आदि रह सकेंगे। राजा साहब ने अपने भाषण में खुद ही स्वीकार किया है कि देहातों के अन्दर कितने अस्पताल ऐसे हैं जहां कोई डाक्टर ही नहीं हैं। जब वहां पर कोई मकान उनके रहने के लिय ह ही नहीं तो फिर वहां डाक्टर कैसे रहें? इसी तरह से तो सरकार धीरे-धीरे घर बनवायेगी, सरकार के पास इतना साधन तो है नहीं कि वह एक बार में ही सारी चीजें बनवा दे। अगर इस तरह के कामों के लिये थोड़ा सा भी रुपया सरकार लेती है तो उस पर भी शोरगुल होता है। सरकार ने जो एन० ई० एस० ब्लाक्स बनाने का कार्य अपने हाथ में लिया है वह बहुत ही बुद्धिमानी का कार्य किया है कि जिले के हर क्षेत्र में कम से कम १०, ५ मील के रेडियस में एक ऐसा स्थान हो जाय जहां मनुष्य तथा पशुओं आदि के लिये डाक्टर हो जायं, स्कूल आदि हो जायं। सरकार की यह, बहुत लम्बी चौड़ी स्कीम है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो प्रयास सरकार ने और क्षेत्रों में किया है वह सराहनीय है। हम यह नहीं कहते कि आप सरकार को क्रिटिसाइज न करें, लेकिन साथ ही साथ जो उसने सराहनीय प्रयास किया है उसकी तो सराहना करें!

पी० डब्ल्यू० डी० के बारे में मान्यवर, हमेशा ही करीब करीब लोगों में मतभेद रहा है कि सरकार का यह विभाग ऐसा है जो खाने पकाने वाला है। लेकिन अब इस विभाग से इस तरह की शिकायतें दूर होती जा रही हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस विभाग द्वारा सड़कों के लिये जो रुपया रखा गया है वह कुछ कम है तथा उसके लिये अधिक रुपया रखा जाना चाहिये। श्रीमन्, आज सड़कों की जो हालत है उसे चल कर आप स्वयं भी देख सकते हैं।

जहां तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात है, मैं निवेदन करूंगा कि इस विभाग द्वारा समय की पाबन्दी तो जरूर होती है लेकिन साथ ही साथ आवश्यकता इस बात की है कि इस विभाग के कर्मचारी लोग जनता के साथ नम्रता से पेश आवें।

सामान्य प्रशासन को देखा जाय तो इस साल के बजट में १४ जिलों में जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग करने की स्कीम रखी गयी है। बहुत दिनों से इस बात की मांग की जाती थी कि न्याय को एक्जीक्यूटिव से अलग किया जाय। आज धीरे-धीरे इस चीज को किया जा रहा है। पहले १७ या कुछ अधिक जिलों में इस तरह का सेपरेशन हो चुका है और अब इस साल १४ जिलों में इसे लागू किया जा रहा है तो इसके माने यह हैं कि आधे से अधिक जिलों में तो यह स्कीम लागू कर ही दी जायगी। माननीय मुख्य मंत्री या माननीय वित्त मंत्री के पास कोई जादू का पिटारा या अलादीन का चिराग तो है नहीं कि उन्होंने इशारा किया और इतना रुपया आ गया। एक तरफ तो कहा जाता है कि टैक्सेशन न किया जाय, लेकिन साथ ही साथ यह भी सोचना है कि अगर टैक्सेशन न होगा तो फिर सरकार का काम कैसे चलेगा। यदि हमें शिक्षा के कम को बढ़ाना है, तो उसके लिये नार्मल स्कूल्स का बनाना तो आवश्यक है ही ताकि लड़कों को शिक्षा देने के लिये वहां पर शिक्षक तैयार किये जा सकें। अगर शिक्षक तैयार होंगे तभी तो शिक्षा का कम बढ़ेगा। यहां तो एक दिक्कत और है कि अब शिक्षक लोग भी

[श्री लालबहादुर]

असेम्बली के मेम्बर होकर आने लगे। जो लोग वहां रह कर १०, २० विद्यार्थियों को इस योग्य बना सकते थे कि वे विधायक बन कर यहां आवें या अपने जीवन में सफल हो सकें, ऐसे-ऐसे योग्य शिक्षक लोग यहां पर आने लगे, जैसे कि हमारे माननीय अवस्थी जी हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं छुट्टी पर हूं।

श्री लालबहादुर—जब आप जैसे योग्य अध्यापक लोग छुट्टी ले लेकर यहां पर चले आवेंगे तो फिर उन लड़कों को कौन पढ़ावेगा? मान्यवर, जो बजट यहां पेश किया गया है उसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं और साथ ही माननीय नारायण दत्त तिवारी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने "मौनं स्वीकार लक्षणम्" रह कर इसका समर्थन किया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यह संकुचित बजट नहीं है और इस बजट का उन्होंने समर्थन किया। इसलिए मैं उनको भी बधाई देता हूं। एक साहब दुर्योधन जी हैं गोरखपुर के सदस्य उनके बारे में क्या कहूं वह तो दुर्योधन जी ही हैं। वह कह डाले कि सब रुपया बनारस को ही चला गया, लेकिन मैंने बहुत देखा तो मालूम हुआ कि बनारस को तो बहुत कम मिला है, मैं तो वहां की ऐसी कांस्टीटुएन्सी से आता हूं कि यूनिवर्सिटी, सारनाथ और शहर का बड़ा क्षेत्र उसमें ही है। मुझे बड़ी मजबूरी से कहना पड़ता है कि उन्होंने शायद बजट को पढ़ा नहीं। इतना ही मैं कहता हूं और फिर कभी आप आज्ञा देंगे तब बोलूंगा।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझ जैसे नाचीज वर्कर के खड़े होने पर आपने तालियां बजाईं..

श्री अध्यक्ष—मुझे आप क्यों कह रहे हैं, मैंने तो तालियां नहीं बजाईं?

श्री सीताराम शुक्ल—किसी को भी कहा जायगा तो आपके द्वारा ही कहा जायगा बशर्ते कि यह तालियां मेरे बोलने के बाद भी बजती रहें। मेरा दावा है कि अगर मैं ठीक बात कहूं तो क्यों न मुझे सब तरफ से सपोर्ट मिले। अब आप देखें कि हर साल यह बजट बनते हैं। एक उर्दू के शायर ने कहा है कि—

"सदियों से फिलसफों की चुना चुनी रही,
लेकिन खुदा की जात जहां थी वहीं रही।।"

हर साल बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से बजट बनता है, सरकार और उसके कर्मचारी बड़ी मेहनत करते हैं और उसी ठिकाने से उसकी मुखालफत भी हर साल होती है, उसी जोर से उसी मेहनत और परिश्रम से।

इस बजट पर बोलने से पहले मैं सरकार को इसके लिये बधाई देता हूं कि कर्मचारियों की मेहनत से पार्टी राज में जितना अच्छा बजट बन सकता है वह यह है और इस पर मैं यहां की सरकार, मंत्री जी और कर्मचारियों को बधाई देता हूं। लेकिन मेरी शिकायत है इधर के विरोधी दलों से कि वह केवल विरोध के लिये विरोध करते हैं। यह चीज ठीक नहीं है। मैं भी इधर आया हूं विरोध करने के लिये, लेकिन विरोध के लिये विरोध करने के लिये नहीं। ठीक बात होगी तो ठीक कही जायगी गलत होगी तो गलत। लेकिन "सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्" शास्त्रकारों का कहना है कि प्रिय सत्य भले ही कहा जाय, लेकिन वह सत्य न बोला जाय जो अप्रिय हो। हमें आज सदन में उधर के लोगों को दोस्त की हैसियत से मशविरा देना चाहिये। बजट अच्छा है, लेकिन बहुत से लोग उसकी मुखालफत करते हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ खराबी हों क्योंकि यह पार्टी बजट है, पार्टी राज है, पार्टी हुकूमत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है तो पार्टी की बात तो चलेगी ही, पार्टी की सफलता की बात को महत्व दिया ही जायगा। पार्टीबाजी का भय तो है ही। अवाडी कांग्रेस में यह चीज हुई, प्रस्ताव हुआ कि कांग्रेस में कमजोरियां हैं। सब ने कहा कि यह न हो। इससे पब्लिक में बदनामी होगी, लेकिन पं० जवाहर-लाल जी ने कहा कि नहीं हमें अपनी कमजोरियों को छिपाना नहीं चाहिये और वह पब्लिक में आनी चाहिये और उन्हें ठीक करने की कोशिश भी की जाय, लेकिन जो तरीका उन्हें दूर करने का अख्तयार किया गया है वह ठीक नहीं है। मसल है कि "मर्ज बढ़ता गया जूं-जूं दवा की"। हमारे विरोधी भाई जो अपने केस को पुट-अप करते हैं और शिकायत के तौर पर कहते हैं उससे बड़ा नुकसान होता है। मुखालफत के लिये जो मुखालफत होती है उससे आइन्दा मुल्क का नुकसान होगा। इसलिये सोच समझ कर जबान खोलनी चाहिए। मुखालफत इसलिये हो ताकि सुधार हो सके न कि नुकसान हो जाय। इस बजट के बनाने में हमारे पालीवाल जी शरीक थे जब कि वह मिनिस्टर थे तब भी इसी ढंग का बजट बनता था। जब वह उधर थे तो बजट ठीक था और जब इधर हैं तो खराब हो गया। सोचना चाहिए कि क्या किया जाय जिससे शिकायत न हो। मैं कहता हूं कि सोशलिस्ट वहां बैठ जायं, कम्युनिस्ट वहां बैठ जायं, पी० एस० पी० वहां बैठ जाय या जनसंघ बैठ जाय, लेकिन जब आपके सामने पार्टी है तो वहां बैठ जाने से ही बजट अच्छा नहीं होता। बजट अच्छा होने के लिये जरूरी है कि पार्टीबाजी से ऊपर उठा जाय। इलेक्शन लड़ने के लिये तो पार्टी ठीक है, प्रोपेगेन्डा करने के लिये ठीक है। लेकिन इलेक्शन हो जाने के बाद, हाउस में आने के बाद पार्टी नहीं होनी चाहिए, पार्टीबाजी खत्म होनी चाहिये। यहां आने के बाद मुल्क हमारे सामने होना चाहिए, प्रान्त हमारे सामने होना चाहिए और संसार हमारे सामने होना चाहिए।

आप गौर फरमाएं कि पार्टी से कैसे ऐब शुरू होता है। हर एक पार्टी के बनाने वालों की नीयत बहुत पवित्र होती है कि इस तरह से काम किया जायगा तो संसार की भलाई होगी। दो-चार, दस आदमियों में विचार विनिमय हो गया। पांच-सात आदमियों ने बैठ कर नियम भी बना लिये। फिर मेम्बर बनाना शुरू किया। मेम्बर बनाये जाते हैं तो इस शर्त पर कि हमारे उद्देश्य मंजूर करो। जब उस पार्टी की मीटिंग होती है तब केस पुट-अप किया जाता है कि हमारा उद्देश्य यह है, हम इस तरह से भला करना चाहते हैं पब्लिक का। स्पीकर केस को पुट-अप करता है और बतलाता है कि.....

श्री अध्यक्ष—यह पार्टी सिस्टम पर डिस्कोर्स हो रहा है? आप बजट पर बोलिये।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं जानता था कि यह प्रश्न होगा। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि अगर पार्टी सिस्टम न रहे तो बजट अच्छा बनेगा। मेरे जिम्मे चार्ज दे दीजिये, अगर पार्टी रहेगी तो अच्छा बजट नहीं बन पाएगा.....

श्री अध्यक्ष—आप यह बतलाइए कि पार्टी होने से बजट कैसे खराब हुआ और आपका बजट होता तो कैसा होता।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं तो बतला रहा हूं कि पार्टीबाजी बन्द होनी चाहिए। पार्टी रहेगी तो बजट अच्छा नहीं बनेगा। मैं अर्ज कर रहा था कि केस को स्पीकर पुटअप करता है। अव्वल तो उसमें वह बैठते हैं जो उनसे इत्तफाक करते हैं। अगर कोई खड़ा हुआ मुखालफत करने के लिये तो अव्वल तो कहते हैं कि बैठो और अगर कहीं मौका भी मिल गया...

श्री अध्यक्ष—मालूम होता है कि आपका बजट आपकी नई किताब है, उसी का प्रचार आप करना चाहते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं माफी चाहता हूं बेअदबी के लिये। जो सब कहते हैं वही मैं भी कहूं तो मुझसे और सब में फर्क क्या हुआ? सब कुछ और कहते हैं और मैं कुछ नई बात कहता हूं। वह बात मानी जायगी आज नहीं तो कल। परसों मानी जायगी। यह मेरी किताब है "पार्टी राज्य की खाराबी", "पार्टी राज्य से अच्छा पब्लिक राज्य।"

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---सबको दे दीजिये ।

श्री सीताराम शुक्ल---सबको दे दी जायेगी शर्त यह है कि पढ़ कर वापस दे दीजिये क्योंकि मेरे पास तादाद कम है ।

तो हुजूरवाला, मैं आपसे कह रहा था सन् १९४७ में मैंने देखा कि गाड़ी नहीं चलेगी। जब कांग्रेस पार्टी नाम दाखिल करती थी और मेम्बर चुन लिये जाते थे तब मैंने कहा गाड़ी फंस जायगी । मैंने लिखा कांग्रेस मैनों की बीमारी और उसकी दवा । मामूली आदमी यहां बैठें और काबिल आदमी सड़कों पर घूमता रहे ? मैंने कहा जो जेल गये थे उनको सोने का तमगा और २०० रुपया माहवार पेंशन मिलनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---क्या इसीलिये विद्वानों में जाकर आप बैठ गये ?

श्री सीताराम शुक्ल---हुजूरवाला, मैंने उसी वक्त लिखा कि पार्टीबाजी से उठकर यहां पब्लिक राज्य बने । जो कोई जेल गये थे उनको सोने का तमगा दिया जाय । हमारे अकेले के ही जेल जाने से स्वराज्य नहीं मिला । सारी ताकतों से मिल कर आजादी मिली है । इसीलिये मैंने १९४७ में लिखा और आपको खुशी होगी श्री राजगोपालाचारी ने कहा वही जो मैं पहले कह चुका था । तो मेरा कहना है पार्टीबाजी से ऊपर होने के बाद ही अच्छी सरकार बनेगी, अच्छा बजट बनेगा । अगर पार्टीबाजी रहेगी तो बजट हरगिज अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि आप पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे पहले और देश का खयाल बाद की चीज हो जायगी ।

कुछ रोज पहले यह था कि जो काबिल हो उसे टिकट दिया जाय । आज यह हो गया है जो कम पढ़ा-लिखा है उसी को टिकट दिया जाय क्योंकि वह ब्लाइंड फालोअर होगा । लिहाजा जब सब जा रहा है तो आधा ही बचा लो । हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि कम पढ़े-लिखे आदमी हों और हमारी हां में हां मिलायें । आज तो यह हो गया है कि ठेका दिलायेंगे, लाइसेंस दिलायेंगे, चोरी में जमानत करें ऐसे ही आदमी को वोट दो और इस कम्पटीशन का नतीजा आप देख रहे हैं । जमींदारी का नाश हुआ, पूंजीपतियों पर हैवी टैक्स लगा दिया, सीलिंग होने जा रही है, मकानों के कमरे बंट रहे हैं और आपको सुनकर दुख होगा कि अब जांति-पांति का सवाल पैदा किया जा रहा है । जब मूर्ख राज्य होगा तो बिरादरी में ही झगड़े होने लगेंगे । हुजूरवाला, आपने देखा कि नफरत पैदा करके पाकिस्तान बना । "Islam is in danger in India" "दिल भर के न देखा था होने लगी रुसवाई", पाकिस्तान बने देर न हुई और वहां फौजी हुकूमत हो गई, वोट बन्द हो गये । जिसे काफिर राज्य कहा जाता था मुस्लिम लीग आज भी वहां जिन्दा है, लेकिन पाकिस्तान में मुस्लिम लीग मर गयी । नेपाल में कहा कि राणाशाही बुरी है जिसमें राणा प्रताप पैदा हुए थे । उस कौम को बदनाम किया गया, लेकिन जब प्रोपेगेंडा करके हुकूमत में आ गये तो राणा अच्छे हो गये । अगर इस तरह का जांति-पांति का सवाल पैदा किया गया तो मुल्क में आग लग जायगी । लाल रोशनी हो गयी इसलिये पार्टीबन्दी से ऊपर उठिये । पब्लिक हुकूमत में आइये । पब्लिक हुकूमत कैसे बन सकेगी, लाल रोशनी हो गयी है,इसको बतलाने का मौका नहीं है । आपने मुझे मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद देता हूं ।

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष का यह बजट है और इस नाते इसका बहुत कलरफुल होने की आशा करना व्यर्थ सी बात होगी । लेकिन आजादी के बाद के दिनों से लेकर अब तक हमारी सरकार इतने रिसोर्सेज को टैप करने में और इतना धन इकट्ठा करने में कामयाब हुई और ४६ करोड़ के बजट से आज हम १३० करोड़ रुपये तक खींच सके हैं यह एक अच्छी बात है और इसके लिये हम सरकार को बधाई दे सकते हैं कि हम विकास के लिये और शासन के लिये इतना पैसा निकाल सके । मुल्क इतने दिनों के भीतर बहुत दिशाओं में बढ़ा भी है । जो ऐचीवमेंट्स उसने पैदा किये हैं, प्रदेशीय सरकार एक ढांचे के भीतर जितनी चीजें अपने भीतर बना सकी है वे कोई मीन ऐचीवमेंट्स नहीं कहे जा सकते । पर बजट को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने के बाद हमें यह आशा थी कि हम यह कह

सकें कि जिन चीजों में हम पिछड़े जा रहे हैं उनमें हमें ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता महसूस होती है। हम इस बात के लिये तय कर चुके हैं कि हम इस देश में एक समाजवादी समाज ले आयेंगे और साथ ही इसे एक वेलफेयर स्टेट बनायेंगे। अब उस वेलफेयर स्टेट बनाने में, समाजवादी व्यवस्था के कायम करने में जितना पैसा हमने खर्च किया उसके हिसाब से जो ऐचीवमेंट्स हमने किये हैं वे अगर बराबर नहीं होते हैं तो वह एक चिन्ता का विषय बन जाता है और जब उस हिसाब से हम अपने पैसे के खर्च को व ऐचीवमेंट्स को देखते हैं तो हमें एक बड़ी शंका पैदा होती है।

मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि तब हमें बहुत सचेष्ट होने की आवश्यकता पड़ती है और उस दृष्टिकोण से देखने पर हमको बड़ी खामियां नजर आती हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी सरकार उन खामियों को दूर करने की कोशिश करेगी। इस निगाह से जब हम इस बजट को देखते हैं, जब अपने ऐचीवमेंट्स को देखते हैं तो पैसे का खर्च तो बहुत देखते हैं, लेकिन केवल पैसा खर्च कर देने से ही काम नहीं चलता है .....

श्री अध्यक्ष—अब आप कल भाषण जारी रखेंगे। ५ मिनट आपके हो गये, १० मिनट बाकी हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१६ फरवरी, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७५ पर)

No. 2700-CW/XXIII-PWA—40-C(N)-1959

FROM

SRI JWALA PRASAD,
SAHAYAK SACHIV TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

To

THE COLLECTOR,
GORAKHPUR.

Dated Lucknow, September 18, 1959.

Subject: **Compensation of land and trees in village Chakra Avval and Hansupur in district Gorakhpur**

Sarvajanik Nirman(Ka) Vibhag

SIR,

I AM directed to invite a reference to your letter no. 1386/8-20(1958-59) LAC, dated August 14, 1959, on the subject mentioned above, and to state that the Executive Engineer, Temporary Division, Sarvajanik Nirman Vibhag, Gorakhpur, in his D. O. no. 13MG/4698-56, dated August 21, 1959 (copy with a copy of the narrative enclosed) has informed Government that the possession of the trees and land was taken over by the Sarvajanik Nirman Vibhag after obtaining the consent of the tenants in writing while in your letter under reference it has been stated that the land and trees had been taken over by the Sarvajanik Nirman Vibhag without the consent of the petitioners.

2. It has also been stated in your letter that a proper account has not been kept to show the number of trees cut. The Executive Engineer in his letter under reference has intimated that the trees had been cut after they had been counted by the Overseer in the presence of the tenants, the then Sahayak Abhiyanta, and the representative of the contractor. Besides, a list of the trees and ownership was forwarded to the Revenue authorities for including compensation for these trees in their assessment for land compensation. After verification at the site the Revenue authorities have completed these statements for land compensation and issued notice to each of the tenants showing the number of trees allotted and the compensation proposed to be paid to each tenant. This would show that the proper account has been kept. The position may kindly be verified and a factual report submitted to Government at a *very early date*. The Mukhya Abhiyanta, Sarvajanik Nirman Vibhag, has been asked to direct his representative to contact you and give all details in the possession of the Sarvajanik Nirman Vibhag.

3. It has also been reported that the amount of compensation for the land and the trees payable to the tenants has been assessed by the Revenue authorities and notice has been given to the tenants as required under section 9 of the Land Acqusition Act. The objections have been received from the tenants and they are under hearing in the court. It is requested that necessary steps may kindly be taken to pay up as early as possible whatever may be due to tenants and a report submitted to Government.

Yours faithfully,
(Sd.) JWALA PRASAD,
Sahayak Sachiv.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७६ पर)

PRESS NOTE

AN agreement was signed between the Government of Uttar Pradesh and the Hindustan Aluminium Corporation Ltd., on October 29, 1959 for the supply of power for 25 years from the Rihand Project at Pipri in district Mirzapur to the Aluminium Factory of the Corporation, which is a joint venture of Indo-U. S. enterprise. The factory will be located at Pipri near Rihand Dam and the power from the Project will be made available to it at the main Sub-station of the Project at Pipri. The rate of power has been fixed at Rs. 175 per KW. year on energy basis. The rate of power is inclusive of all taxes on electricity and is firm for the first sixteen years subject to enhancement by mutual agreement or through independent arbitration under the Indian Arbitration Act, 1940. There is a provision in the agreement for enhancement of rate in case of War materially affecting conditions in India. The maximum power demand has been fixed at 55,000 KW. and the maximum energy consumption at 110 million units per quarter subject to 433,620 million units per year. The minimum charge payable by the Company will be for 100 million units per quarter subject to proportionate reduction in case Force Majeure causes operate and prevent the factory from consuming power to the agreed minimum extent. The Corporation will furnish as security a continuing Bank Guarantee to the satisfaction of Government.

The agreement was signed on behalf of the Government by Secretary, Power Department of the Government of Uttar Pradesh and by Sri K. N. Srivastava, Secretary of the Corporation on behalf of the Hindustan Aluminium Corporation Ltd.

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७८ पर)

Statement showing the year-wise position of outstanding Electricity Duty against Textile (Bulk Consumers) Mills in Kanpur for the consumption of Electrical Energy up to November 30, 1959 as on December 1, 1959.

Sl. no.	Name of the Textile Mills at Kanpur	Outstanding dues for financial year 1957-58 on account of Electricity Duty	Outstanding dues for financial year 1958-59 on account of Electricity Duty	Outstanding dues for financial year 1959-60 on account of Electricity Duty	Total outstanding on account of Electricity Duty on December 1, 1959
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	The Swadeshi Cotton Mills Co., Ltd. ..	..	1,78,088.19	..	1,78,088.19
2	The Laxmiratan Cotton Mills Co., Ltd.	28,735.52	1,07,242.85	925.39	1,36,903.76
3	The New VictoriaMills Co., Ltd. ..	..	10,547.01	1,323.96	11,870.97
4	S/s Atherton West and Co., Ltd. ..	32,882.82	4,665.99	1,254.76	38,803.57
5	The Muir Mill Co., Ltd.	61,076.61	..	..	61,076.61
6	M/s Juggilal Kamlapat	..	80,061.21	..	80,061.21
	Total ..	1,22,694.95	3,80,605.25	3,504.11	5,06,804.31

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

संलग्न सूची प्रश्न संख्या १७

	संख्या
१—१९५५-५६	१,७९८
२—१९५६-५७	१,८८७
३—१९५७-५८	२,४५३
४—१९५८-५९ (नवम्बर तक)	४,५०९

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८२ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९५९ के ४ बजे मंगलवार के लिये श्री उग्रसेन द्वारा प्रस्तावित तारांकित प्रश्न संख्या २१ के सम्बन्ध में सूचना

क्रम-संख्या	नाम पद	कुल व्यक्तियों की संख्या	परिगणित जाति के व्यक्तियों की संख्या	पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की संख्या
(क)	चपरासी	५०९	४२	१४७
(ख)	जूनियर क्लर्क—			
	(१) चीफ इंजीनियर का दफ्तर ..	८९	५	१
	(२) सुपरिन्टेन्डिन्ग इंजीनियर का दफ्तर ..	७२	५	१
	(३) एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का दफ्तर ..	६५२	५८	३५
	सीनियर क्लर्क—			
	(१) चीफ इंजीनियर का दफ्तर ..	७८	२	१
	(२) सुपरिन्टेन्डिन्ग इन्जीनियर का दफ्तर ..	६५	..	२
	(३) एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का दफ्तर ..	४१२	१	१०
(ग)	मेट	१,९९३	२४६	५१६
(घ)	मेकेनिक	१२८	८	१३
(ट)	पी० ए०	५	..	..
(ठ)	एकाउन्टेन्ट	४०	..	..
(ड)	टाइपिस्ट	५१	२	३

चौधरी गिरधारीलाल,
सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८६ पर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय में सन् १९५८-५९ में हुये अन्वेषण की सूची

१---बुन्देलखन्ड की काली मिट्टी से अच्छी ईंटों की तैयार करने की विधियां।

२---प्रदेश की कई सड़कों के टूटने व अन्य खराबी आने के विषय में जांच करना व उनको ठीक करने के उपाय बताना।

३---मिट्टी में चूने व सीरे का मिश्रण करके उसे मजबूत बनाना व उसका प्रयोग सड़क की पटरी में करना।

४---प्रदेश के बड़े-बड़े भवनों की नींव की मिट्टी पर जांच करना व उनकी शक्ति के विषय में सुझाव देना।

५---कंकड़ के विश्लेषण के लिये उचित माप-दंड निर्धारित करना।

६---महीन बालू में मौरम मिलाकर उसे चुनाई तथा प्लास्टर के कार्य योग्य बनाना।

७---रामगंगा नदी के पुल के कुओं की तली में जमा होने वाली सीमेंट की जांच करना।

८---रत्थर तथा डामर व तारकोल के बीच आकर्षण नापना।

९---तारकोल तथा डामर को अधिक गरम हो जाने का प्रभाव देखना।

१०---ईंटों को पानी से सोखने से बचाने के लिये साबुन व फिटकिरी के घोल का प्रयोग करना तथा रेत को साबुन से मिलाकर उसे प्लास्टर के काम में लाना।

११---सीमेन्ट बालू के मसाले की शक्ति की जांच करना।

१२---भिन्न-भिन्न पानी रोकने वाले पदार्थों का कंक्रीट तथा मसाले पर असर की जांच करना।

१३---पहाड़ की घाटी बजरी को फूंक कर उसका चूना मसाले के काम में लाना।

१४---कंक्रीट में सीमेंट के स्थान पर कुछ प्रतिशत सुर्खी का प्रयोग करना।

१५---बड़े-बड़े पुलों के निर्माण में यहां पायी गयी बालू की उपयोगिता की जांच करना।

१६---नींव की कंक्रीट से बालू की जगह कुछ अंश तक मिट्टी का प्रयोग करना।

१७---कंक्रीट से प्रथम श्रेणी व ज्यादा पकी ईंट की रोड़ी की उपयोगिता पर जांच करना।

१८---कंक्रीट मिश्रण का क्षेत्रीय डिजाइन करना।

१९---अन्य प्रयोग भिन्न-भिन्न पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, कंक्रीट, सीमेन्ट, चूने व मिट्टी की जांच करना व उनकी उपयोगिता बतलाना।

२०---कच्ची दीवारों के ऊपर मिट्टी के पलास्टर की जांच करना।

२१---भिन्न-भिन्न प्रकार की ईंटों पर प्रयोग करना।

२२---मिट्टी-सीमेन्ट की नालों का निर्माण करना।

सड़कों पर भिन्न-भिन्न प्रयोग

२३---तारकोल के साथ विभिन्न स्थानों के पत्थरों की रोड़ी की सड़क के पहले कोट के कार्य के लिये उपयोगिता देखना।

२४---तारकोल (डामर) का प्रयोग।

२५---वर्षाकाल में तारकोल तथा डामर के साथ पेंटिंग के कार्य की संभावना की जांच करना।

२६---पेंटिंग के कार्य के लिये सनी हुई पत्थर की गिट्टी का प्रयोग।

२७---डामर के इमल्सन से सड़क कुटाई के प्रयोग।

२८---सड़क के कार्य के लिये ईंटों का प्रयोग।

२९---ईंट की रोड़ी पर सेमी ग्राउट का प्रयोग।

३०---मिट्टी के स्थिरीकरण के सिद्धान्त पर सड़क का निर्माण करना व उसकी उपयोगिता को देखना।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८७ पर)

जालौन जिले में बंधियों और नहरों की सूची

(क) बन्धियां	(ख) नहर का नाम
१—नैनापुर बन्धो	१—गारेन माइनर
२—सिरसई बन्धो	२—कोटरा ,,
३—प्रता बन्धो	३—टिमरों ,,
४—सैदपुर बन्धो	४—अकबरपुर ,,
	५—अकबरपुर गूल
	६—मवई माइनर ऐक्सटेन्शन
	७—डवांर
	८—ऊंवा ,,
	९—सरजापुर ,,
	१०—मिझौना ,,
	११—इंट टिमरों ,,

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८६ पर)

क्रम-संख्या कुलाबा	प्रस्तावित दहन	मौका कुलाबा			किनारा ग्राम का नाम
		मील	फर्लांग	फीट	
१	४"	..	२	..	बायां गोडिया।
२	४"	..	३	६२०	दाहिना गोड़िया।
३	४"	..	७	३०	बाया बढ़ौना।
४	४"	..	७	३०	दाहिना बढ़ौना।
५	५"	१	२	४००	बाया बढ़ौना हिरामनपुर।
६	४"	१	२	४००	दाहिना बढ़ौना व दाई।
७	४"	१	४	६००	बाया बढ़ौना हिरामनपुर।
८	५"	२	..	१००	दाहिना हिरामन नवोई मेदउली।
९	४"	२	१	३३०	बायां हिरामनपुर।
१०	४"	२	२	६२०	दाहिना हिरामनपुर मेदउली चारों।
११	४"	२	२	६२०	बायां हिरामनपुर चारों।
१२	४"	२	५	४००	बायां चारों।
१३	४"	२	६	..	दाहिना चारों, हिरामनपुर।
१४	५"	३	..	५००	बायां चारों शाहपुर तिलारी नाथपुर।
१५	६+४"	३	१	६००	बाया गदखरा भगौतीपुर करेमुवा चारों तिलारी मझवा नाथपुर।
१६	४"	३	२	६४०	दाहिना चारों भेदवली।
१७	४"	३	५	५७५	बायां चारी मझवा।
१८	४"	३	६	..	दाहिना मेदवली फतेहपुर मझवा।
१९	४"	३	७	३३०	बायां मझवा करेमुआ।
२०	४"	३	७	४००	दाहिना मझवा करेमुआ।
२१	४"	४	३	२००	बाईं मझवा करेमुआ।
२२	४"	४	४	६१०	दाहिना मझवा सहमलपुर बेलोरी दीनदासपुर।
२३	४"	४	..	२०	बाईं मझवां करेमुवा बेलारी दीनदासपुर।
२४	६+४"	५	४	५००	दाहिना दीनदासपुर बैलारी।
२५	४"	५	४	५००	बाईं दीनदासपुर।
२६	४"	६	२	३००	बाई दीनदासपुर।
२७	४"	६	२	३००	दाहिना दीनदासपुर।
२८	६+६"	६	४	..	नहर का अन्त छिताव।

नत्थी 'झ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९२ पर)

संलग्न सूची (प्रश्न संख्या ८७)

	माइनरों व राजबहों के नाम	तखमीना रुपया
१	सौरावां राजबहा	५७,८३०
२	असोहा राजबहा	६१,१००
३	कुसेरी माइनर	१०,३२३
४	आखारखेड़ा माइनर	२३,०६०
५	क्योनी माइनर	१६,०४९
६	काथा माइनर	१९,५३६
७	गोसाईं खेड़ा माइनर	१०,१७०

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २८६ एल० ए०—१९६०—८४५ ।